राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 7] तेरहवीं विधान सभा के सातवें सत्र का पांचवां दिवस [संख्या : 3

शनिवार

27 अगस्त, 2011

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

श्री अध्यक्ष: अधिसूचनाएं। श्री शांती धारीवाल।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय,...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, अधिसूचना पर मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अधिसूचना पर मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अधिसूचना पर व्यवस्था का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय।

वित्त विभाग

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की निम्न 37 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1- अधिसूचना संख्या : एफ.24(1)वित्त/कर/10-166 दिनांक 23.3.2011 जिसके द्वारा आई.पी.एल क्रिकेट के 7 मैचों को मनोरंजन कर से मुक्त किया गया है;

2- अधिसूचना संख्या : एफ.12(25)एफडी/टैक्स/11-167 दिनांक 23.3.2011 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-I में संशोधन किया गया है;

3- अधिसूचना संख्या : एफ.12(25)एफडी/टैक्स/11-168 दिनांक 23.3.2011 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-IV में संशोधन किया गया है;

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

4- अधिसूचना संख्या : एफ.12(25)एफडी/टैक्स/11-169 दिनांक 30.3.2011 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 51-ए के अन्तर्गत डीलरों को वर्ष 2009-2010 का पूर्ण कर जमा कराने पर 31.3.2011 तक ब्याज और शास्ति पर छूट प्रदान की गई है;

5- अधिसूचना संख्या : एफ.12(25)एफडी/टैक्स/11-01 दिनांक 1.4.2011 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(25)एफडी/टैक्स/11-169 दिनांक 30.3.2011 में संशोधन किया गया है;

6- अधिसूचना संख्या : एफ.12(25)एफडी/टैक्स/11-02 दिनांक 1.4.2011 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 में संशोधन किया गया है;

7- अधिसूचना संख्या : एफ.12(156)एफडी/टैक्स/09-04 दिनांक 8.4.2011 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(156)एफडी/टैक्स/09-58 दिनांक 3.11.09 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

8- अधिसूचना संख्या : एफ.12(71)एफडी/टैक्स/10-05 दिनांक 8.4.2011 जिसके द्वारा मैसर्स अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड को जिला बारां के कवाई में पावर प्रोजेक्ट लगाने हेतु माल के प्रवेश कर में छूट दी गई है;

9- अधिसूचना संख्या : एफ.12(46)एफडी/टैक्स/2011-06 दिनांक 15.4.2011 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-I में संशोधन किया गया है;

10- अधिसूचना संख्या : एफ.12(46)एफडी/टैक्स/2011-07 दिनांक 15.4.2011 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-VI में संशोधन किया गया है;

11- अधिसूचना संख्या : एफ.12(25)एफडी/टैक्स/2011-08 दिनांक 15.4.2011 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 में संशोधन किया गया है;

12- अधिसूचना संख्या : एफ.12(25)एफडी/टैक्स/2011-09 दिनांक 15.4.2011 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(25)एफडी/टैक्स/11-169 दिनांक 30.3.2011 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

13- अधिसूचना संख्या : एफ.2(45)एफडी/टैक्स/09-10 दिनांक 21.4.2011 जिसके द्वारा जयपुर मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड को आथोराइज्ड शेयर कैपिटल बढ़ाने पर देय स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान की गई है;

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

14- अधिसूचना संख्या : एफ.2(97)एफडी/टैक्स/2010-11 दिनांक 25.4.2011 जिसके द्वारा माइक्रो स्माल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज को देय स्टाम्प ड्यूटी को निष्पादित किया गया है;

15- अधिसूचना संख्या : एफ.12(8)एफडी/टैक्स/10-13 दिनांक 05.5.2011 जिसके द्वारा मैसर्स वंडर सीमेंट लिमिटेड, चित्तौड़गढ़ को स्थापना से 7 वर्ष के लिये 50 प्रतिशत विद्युत उपभोग में सशर्त छूट प्रदान की गई है;

16- अधिसूचना संख्या : एफ.12(8)एफडी/टैक्स/10-14 दिनांक 05.5.2011 जिसके द्वारा मैसर्स वंडर सीमेंट लिमिटेड, चित्तौड़गढ़ को 50 प्रतिशत मुद्रांक शुल्क में भूमि क्रय लीज हेतु सशर्त छूट प्रदान की गई है;

17- अधिसूचना संख्या : एफ.12(8)एफडी/टैक्स/10-15 दिनांक 05.5.2011 जिसके द्वारा मैसर्स वंडर सीमेंट लिमिटेड, चित्तौड़गढ़ को वाणिज्यिक उत्पादन से 7 वर्ष के लिये 50 प्रतिशत देय भूमि कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है;

18- अधिसूचना संख्या : एफ.2(21)एफडी/टैक्स/2011-16 दिनांक 16.5.2011 जिसके द्वारा राजकाम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड को शेयर सर्टिफिकेट जारी करने पर देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;

19- अधिसूचना संख्या : एफ.7(8)एफडी/टैक्स/2011-17 दिनांक 16.5.2011 जिसके द्वारा एडिशनल डायरेक्टर, एस डी आर आई को कलक्टर, स्टाम्प नियुक्त किया गया है;

20- अधिसूचना संख्या : एफ.12(69)एफडी/टैक्स/2010-पार्ट-18 दिनांक 17.5.2011 जिसके द्वारा राजस्व ब्यूरो के राज्य निदेशालय में नियुक्त अधिकारियों को निर्धारण प्राधिकारी के रूप में कतिपय शर्तों के अध्यधीन शक्तियां प्रदान की गई हैं;

21- अधिसूचना संख्या : एफ.12(38)एफडी/टैक्स/2008-19 दिनांक 27.5.2011 जिसके द्वारा मैसर्स सेंट गोबेन ग्लास इंडिया लिमिटेड, भिवाड़ी को परियोजना स्थापित करने के लिये माल के प्रवेश कर में छूट प्रदान की गई है;

22- अधिसूचना संख्या : एफ.2(53)एफडी/टैक्स/10-20 दिनांक 31.5.2011 जिसके द्वारा राजस्थान आवासन मण्डल की स्व-वित्त पोषित योजना (एस एफ एस) के तहत स्टाम्प ड्यूटी की छूट दी गई है;

23- अधिसूचना संख्या : एफ.12(8)एफडी/टैक्स/2010-21 दिनांक 9.6.2011 जिसके द्वारा मैसर्स वंडर सीमेंट लिमिटेड, ग्राम-भाटकोटरी, निम्बाहेड़ा को परियोजना स्थापित करने के लिये माल के प्रवेश कर में छूट प्रदान की गई है;

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

24- अधिसूचना संख्या : एफ.12(8)एफडी/टैक्स/2011-22 दिनांक 9.6.2011 जिसके द्वारा मैसर्स वंडर सीमेंट लिमिटेड, ग्राम-भाटकोटरी, निम्बाहेड़ा को वाहनों पर देय प्रवेश कर में छूट प्रदान की गई है;

25- अधिसूचना संख्या : एफ.12(65)एफडी/टैक्स/2011-23 दिनांक 9.6.2011 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(25)एफडी/टैक्स/11-150 दिनांक 9.3.2011 में संशोधन किया गया है;

26- अधिसूचना संख्या : एफ.12(89)एफडी/टैक्स/2007-24 दिनांक 29.6.2011 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-I में संशोधन किया गया है;

27- अधिसूचना संख्या : एफ.12(89)एफडी/टैक्स/2007-25 दिनांक 29.6.2011 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-II में संशोधन किया गया है;

28- अधिसूचना संख्या : एफ.12(89)एफडी/टैक्स/2007-26 दिनांक 29.6.2011 जिसके द्वारा रजिस्टर्ड डीलर द्वारा हाई और लाइट स्पीड डीजल की बिक्री पर देय कर में रुपये 0.54 प्रति लीटर की छूट प्रदान की गई है;

29- अधिसूचना संख्या : एफ.2(45)एफडी/टैक्स/09-27 दिनांक 6.7.2011 जिसके द्वारा जयपुर मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड को शेयर सर्टिफिकेट राशि 99.16 करोड़ में स्टाम्प ड्यूटी पर छूट प्रदान की गई है;

30- अधिसूचना संख्या : एफ.2(32)एफडी/टैक्स/11-28 दिनांक 6.7.2011 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(28)एफडी/टैक्स/2007-157 दिनांक 9.3.2007 में संशोधन किया गया है;

31- अधिसूचना संख्या : एफ.7(17)एफडी/टैक्स-डीवी/2011-पार्ट-31 दिनांक 19.7.2011 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा-96 के अन्तर्गत कर सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है;

32- अधिसूचना संख्या : एफ.7(17)एफडी/टैक्स-डीवी/2011-पार्ट-32 दिनांक 19.7.2011 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 में संशोधन किया गया है;

33- अधिसूचना संख्या : एफ.2(23)एफडी/टैक्स/2011-33 दिनांक 20.7.2011 जिसके द्वारा राजस्थान रजिस्ट्रेशन (लाइसेंसिंग आफ डाक्यूमेंट राइटर्स) रूल्स, 1956 में संशोधन किया गया है;

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

34- अधिसूचना संख्या : एफ.5(31)एफडी/टैक्स/2011-34 दिनांक 20.7.2011 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(28)एफडी/टैक्स/2007-156 दिनांक 9.3.2007 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

35- अधिसूचना संख्या : एफ.12(16)एफडी/टैक्स/06-35 दिनांक 20.7.2011 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(28)एफडी/टैक्स/2007-141 दिनांक 9.3.2007 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

36- अधिसूचना संख्या : एफ.11(1)एफडी/टैक्स/2004-36 दिनांक 5.8.2011 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत (शुल्क) नियम, 1970 में संशोधन किया गया है; एवं

37- अधिसूचना संख्या : एफ.11(1)एफडी/टैक्स/2004-37 दिनांक 5.8.2011 जिसके द्वारा 1.1.2005 से 6.7.2010 तक की कालावधि के लिये कृषि गैर-मीटर प्रदाय उपभोक्ताओं द्वारा संदेय विद्युत शुल्क को उस सीमा तक, जिस तक वह रुपये 4.25 प्रति हार्स पावर/मास से अधिक हो, कम किया गया है।

व्यवस्था का प्रश्न

माननीय सदस्यों को यह जानने का अधिकार है कि अधिसूचना क्यों जारी की

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय जब वित्त विभाग की अधिसूचनाएं सदन के पटल पर रख रहे हैं, ये अधिसूचनाएं जब सदन के पटल पर रखी जाती हैं तो उसका मतलब यह नहीं है कि वे रख दें और चले जायें। कई बार सदन में ऐसा भी हुआ है कि अधिसूचना क्यों आपने जारी की, इसके कारण भी बताने पड़ते हैं और ये अधिसूचनाएं ऐसी हैं, देखिये आप, "अधिसूचना संख्या : एफ.24(1)वित्त/कर/10-166 दिनांक 23.3.2011 जिसके द्वारा आई.पी.एल. क्रिकेट के सात मैचों को मनोरंजन कर से मुक्त किया गया है"। मुक्त करने का अधिकार सरकार को तब है कि कोई कमजोर चीज हो, जिसको प्रोत्साहन करना हो, जिसके पास इन्कम नहीं हो। इस आई.पी.एल. में करोड़ों रुपयों की बोली लगती है खिलाड़ियों की...(व्यवधान) आप मेरी सुन लीजिये, आप भी बोल लीजिये।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

करोड़ों रुपयों की बोली लगती है, करोड़ों रुपयों के विज्ञापनों के ठेके जाते हैं और सारे देश में जुए को चालू करते हैं। आई.पी.एल. एक बहुत बड़ा खेल है। क्या कारण हो गया था राज्य सरकार को कि आई.पी.एल. के मैचों को मनोरंजन कर से मुक्त करना पड़ा? ये अधिसूचनाएं रखने से पहले मंत्रीजी सदन को यह अवगत करायें।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): कराओ, साहब, कराओ।

श्री अध्यक्ष: आप कुछ कहेंगे? आप कुछ कहना चाहेंगे?

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): इस पर चर्चा की बात कर रहे हैं। अगर चर्चा करना चाहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, साहब, लेकिन यह आज तक कभी ऐसा तो होता नहीं है। यह कोई परम्परा नहीं रही है यहां की, ऐसी कोई परम्परा नहीं रही है कि नोटिफिकेशन पर बहस हो। (व्यवधान) नोटिफिकेशन पर बहस अगर आपको करनी है तो आप लिखकर दे दें, स्पीकर अलाउ करेंगे तो वह चर्चा हो जाएगी। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था दीजिये। उप नेता महोदय ने व्यवस्था मांगी है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई नियमों की बात लाइये, नियमों की बात लाइये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है। यह नियम की बात है, यह नियम की बात है। आप अधिसूचना सदन के पटल पर रखेंगे तो माननीय सदस्यों को यह जानने का अधिकार है कि आपने यह क्यों किया। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आप नोटिस दीजिये। आप नोटिस दीजिये, जवाब दूंगा उसका।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): यह शुरुआत कहां से हुई? यह शुरुआत कहां से हुई? जिसने शुरुआत की, वह कहां है, वह तो बताइये ना। वह तो खुद ही लापता है, इसीलिए तो यह विषय आया है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): बहस करेंगे बाकायदा। आप एट रेंडम कहेंगे कि, साहब, यह इस पर बहस हो, तो ऐसा नहीं होता है कभी।

श्री पेमाराम (धोद): यह कारण जानने का भी नोटिस देना पड़ेगा क्या? जब सदन में रख रहे हैं तो कारण भी बताना ही पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष: कृपया कोई व्यवधान नहीं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई एट रेंडम की बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आपसे विनम्र प्रार्थना यह है कि जब आप अधिसूचना लेकर आये हैं तो ऐसा तो नहीं है कि जो आप लेकर आये हैं, उसको हम ऐसे का ऐसे ही निकाल देंगे। ये हाउस में क्यों आती हैं? हाउस में इसीलिए आती हैं कि हाउस की सहमति उन पर मिले। उसके बाद ही अधिसूचना आपका एक रूप लेती है, अन्यथा तो हाउस में रखने की आवश्यकता ही महसूस नहीं होती।

जब आपने रखी है तो प्रतिपक्ष के माननीय उप नेता ने जो यह सवाल खड़ा किया कि मनोरंजन कर आप सात मैचों का समाप्त कर रहे हैं, जब मैच होने थे तब वह हो गये, जो पैसा आना था वह आ गया, मनोरंजन कर भी जो आना था वह आपके पास आ गया, तो आप उन किये गये मैचों पर किस कारण से यह रियायत देना चाह रहे हो? यह क्या है, यह समझ में नहीं आ रही है बात। मतलब ऐसे किसी आदमी को दो जो कोई धर्म का काम कर रहा है, पुण्य का काम कर रहा है, सेवा का काम कर रहा है, उसको आप एडवांटेज दो तो यह बात समझ में आती है पर चूंकि उसका अध्यक्ष आपका है, इसके कारण से उसको मनोरंजन कर से मुक्त किया जाये, यह कहां का न्याय है? यह राजस्थान की जनता के साथ धोखा है। ऐसे बड़े पूंजीपति से आप उसका मनोरंजन कर छोड़कर स्टेट का पैसा जो आ रहा है, उसको आप मुक्त करना चाहते हो और उसको इस तरह से आप हमसे यह छाप लगवाना चाहते हो। हमने पूछा है, उसका जवाब दो।

पहले तो यह बताओ कि इन सात मैचों से मनोरंजन कर बना कितना था? और वह मनोरंजन कर आप कितना छोड़ना चाहते हो? यह बताओ। क्या मजाक कर रखी है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आप यह बता दो, पहले आप यह बता दो कि कितने रुपयों की टिकट पर मनोरंजन कर माफ किया? आपको जानकारी भी है वहां की? दूसरा अर्ज मैं यह करना चाहता हूं कि मैंने ये सब चीजें टेबल पर रखी हैं, अगर आप इस पर बहस करना चाहते हैं तो मैं तैयार हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): तो आप बताओ ना। हमारा ज्ञान नहीं है, मंत्रीजी।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैं बहस के लिए भी तैयार हूं। यह आपको याद होना चाहिए कि सिर्फ 500 रुपये तक के टिकटों पर ही मनोरंजन कर माफ किया गया है, सारे टिकटों पर माफ नहीं किया गया है। 500 रुपये तक की टिकट कौन लेता है? गरीब आदमी लेता है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ऐसा है, सुन लो। जोर से बोलने से कुछ नहीं होगा। सुन लो एक बात और, आप जोर से बोलेंगे, आप जोर से बोलकर मुझे दबा सकते हो क्या? आप अपने तर्क से मुझे समझाओ, अगर आप तर्क से समझाओगे, हम समझने के लिए तैयार हैं। ऐसा नहीं हो सकता है... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया बोलने दें। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, आसन पांवों पर है, कृपया विराजिये। माननीय सदस्य, कृपया आप विराजिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): आप जोर से बोलकर बताओ तो समझ में नहीं आता है।

श्री अध्यक्ष: मैं व्यवस्था दे रहा हूं, कृपया विराज जायें।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): यह जोर से बोलने की बात नहीं है। अगर आप इस पर बहस करवाना चाहते हैं तो मैं बहस के लिए तैयार हूं लेकिन आप नोटिस दे दीजिये पहले।

व्यवस्था

अधिसूचना पर उठाये प्रश्नों का जवाब आसन देने को बाध्य नहीं है, परन्तु प्रभारी मंत्री चाहे तो जवाब दे सकते हैं

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय, आप कृपया विराजिये, मैं व्यवस्था दे रहा हूं। मंत्रीजी, आप कृपया विराजिये, मैं व्यवस्था दे रहा हूं।

माननीय भारतीय जनता पार्टी के उप नेता, सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य, श्री घनश्यामजी तिवाड़ी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, उसके सम्बन्ध में मुझे निवेदन करना है। दिनांक 13 जुलाई, 2004 को श्री विष्णु मोदी, सदस्य विधान सभा ने इस आशय का व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि राज्य सरकार के द्वारा वित्त विभाग से सम्बन्धित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखवाई जा रही हैं, उसमें कतिपय अधिसूचनाओं के द्वारा कुछ व्यापारिक प्रतिष्ठानों को करोड़ों-अरबों रुपयों की कर में छूट किस आधार पर

(श्री अध्यक्ष)

दी गई है? वित्त राज्य मंत्री पहले इस पर स्पष्टीकरण दें, उसके पश्चात् अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखें। इस पर जो व्यवस्था है पूर्व से दी हुई, वह मैं पढ़ रहा हूं। इस पर माननीय अध्यक्ष ने यह कहते हुए व्यवस्था के प्रश्न को अस्वीकार किया कि जो अधिसूचनाएं विभागों के माध्यम से सदन की मेज पर रखवाये जाने हेतु प्राप्त होती हैं, इन पर आसन जवाब देने के लिए उत्तरदायी नहीं है। मंत्रीगण चाहें तो इसका उत्तर दे सकते हैं। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हम आसन से जवाब नहीं मांग रहे हैं, हम मंत्री से जवाब मांग रहे हैं। हम आसन से नहीं मांग रहे हैं, मंत्री से जवाब मांग रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): आवेश में मत आओ, हमारी इतनी सी बात है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं आपको कि आप नोटिस दे दीजिये, मैं जवाब दूंगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ऐसा है, जब यहां लेकर आये तो यह पूछने का राइट है, यह हाउस की प्रोपर्टी बन गया। आपका हाउस में यहां लाना, यह हाउस की प्रोपर्टी बन गया, हाउस की प्रोपर्टी पर आपसे बात करना हमारा धर्म है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नोटिस की आवश्यकता ही नहीं है, नोटिस की आवश्यकता ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, नोटिस की आवश्यकता ही नहीं है। यह हाउस की प्रोपर्टी बन गया है। यह हाउस की प्रोपर्टी है, हमारा अधिकार है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ...आप हमें जानकारी दे दीजिये, हमें तो आपकी जानकारी चाहिए। अगर आप अपने तर्क से हमें संतुष्ट कर सकते हों तो हम आपकी बात को मानेंगे। यह हाउस की प्रोपर्टी है।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, मैं अपनी बात पूरी कर दूं, पहले आप विराजिये। माननीय सदस्य, मुझे अपनी बात पूरी करने दें।

इस विषय में मंत्री को बाध्य नहीं किया जा सकता कि वे जवाब दें। चाहें तो मंत्रीजी जवाब दे सकते हैं और... (व्यवधान) सुनिये, सुनिये। और मंत्रीजी...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह हाउस की प्रोपर्टी बन गया है।

श्री अध्यक्ष: ...यदि जवाब देना चाहेंगे तो जवाब दे सकेंगे। उसके अलावा... मेरी बात पूरी हो जाने दीजिये। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आप विराज जायें। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्री अध्यक्ष: इस पर चर्चा भी की जा सकती है। जब यह चर्चा का विषय आये, तब आप अपनी बात उठा सकते हैं। अभी तो केवल रखने का समय दिया है। फिर भी अगर मंत्रीजी कुछ कहना चाहेंगे तो मंत्रीजी इसके लिए कहने को स्वतंत्र हैं।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री अध्यक्ष: श्री हेमाराम चौधरी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, बात इतनी सी है, इसको समाप्त कर दीजिये, जब फाइल आती है...

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): एक मिनट, हेमारामजी।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय ने मेरा नाम पुकारा है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं बोल रहा हूं, विषय समाप्त नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, जब फाइल आती है तब कारण लिखते हैं, इस कारण से, इस कारण से, इस कारण से, इस कारण से यह छूट दी गई है। वह कारण जानने का हमारा राइट है। मनोरंजन कर है, नहीं तो छूट काहे की है? नम्बर एक। उसका कारण है कि करोड़ों रुपयों में जो खिलाड़ी बिकते हैं, वहां पर खेलते हैं, करोड़ों रुपयों के विज्ञापनों के ठेके जाते हैं, वे लोग यहां पर आते हैं और उसके बाद सरकार छूट देती है...

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार राजस्व विभाग की नौ अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: अब तो कुछ कहना नहीं है? आपको कुछ कहना है? (व्यवधान) सदन के नेता बोल रहे हैं, कृपया विराजिये। माननीय सदस्य, अंकित

(श्री अध्यक्ष)

नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

अनेक माननीय सदस्य: ×××

श्री अध्यक्ष: सदन के नेता बोलने के लिए खड़े हुए हैं, अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा उप नेता प्रतिपक्ष ने कहा, अभी मंत्रीजी जब कह चुके हैं, हमने सब टिकटों पर माफ नहीं किया है, 500 रुपये तक कीमत की टिकटों पर ही टैक्स माफ किया है। उसी से मैं समझता हूं कि आप समझ जायेंगे कि यह इसलिए किया कि...

श्री अध्यक्ष: आप सुनिये।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): ...हम डेमोक्रेसी के अन्दर हैं और जन-भावना देखनी पड़ती है। लाखों बच्चे देखने जाते हैं, उनकी जेब में इतने पैसे नहीं होते हैं कि वे उस पर टैक्स दें। अगर हमने उनके लिए टैक्स माफ किया है तो आपको तो खुश होना चाहिए। जो परम्परा आपके वक्त में शुरू हुई थी आई पी एल मैचों की जिसका किसी ने विरोध नहीं किया, हमने विरोध नहीं किया हालांकि उस वक्त में कई तमाशे होते थे, वह अलग बात है, कई आई पी एस, कई आई ए एस के साथ बदतमीजी होती थी, वह अलग बात है, पर हमने कभी भी एतराज नहीं किया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अन्य किसी सदस्य का अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)...

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): छोटी टिकटों पर टैक्स माफ किया गया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पहले जवाब आने दीजिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया चर्चा समाप्त करें। श्री हेमाराम चौधरी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री अध्यक्ष: श्री हेमाराम चौधरी। (व्यवधान) श्री हेमाराम चौधरी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजें, आपने अपनी बात कह दी। श्री हेमाराम चौधरी।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय उप नेता सदन के, मैं समझता हूं कि हमें इस प्रकार के कमेंट नहीं करने चाहिए, जो मामला सबजूडिस है, हाई कोर्ट में चल रहा है, उस पर सदन में कोई चर्चा करना उचित नहीं है। कोई लूट के लिए झगड़ा नहीं हो रहा है। आप में किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा होगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: कोई अंकित नहीं होगा। श्री हेमाराम चौधरी। (व्यवधान) अन्य कोई अंकित नहीं होगा। श्री हेमाराम चौधरी।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): ×××

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

राजस्व विभाग

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार राजस्व विभाग की 9 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं।

1- अधिसूचना संख्या : एफ.14(1)राज-6/2005/7 दिनांक 26.4.2011 जिसके द्वारा विभागीय आदेश एफ.5(109)रेव-बी/60 दिनांक 20.7.1963 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

2- अधिसूचना संख्या : एफ.6(6)राज-6/92-पार्ट/8 दिनांक 26.4.2011 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 में संशोधन किया गया है;

(श्री हेमाराम चौधरी)

3- अधिसूचना संख्या : एफ.11(1)राज-6/2004-पार्ट/13 दिनांक 19.5.2011 जिसके द्वारा राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आबंटन नियम, 1959 में संशोधन किया गया है;

4- अधिसूचना संख्या : एफ.9(68)राज-6/10/14 दिनांक 20.6.2011 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसाय की स्थापना हेतु भूमि आबंटन) नियम, 2011 विरचित किये गये हैं;

5- अधिसूचना संख्या : एफ.4(1)राज-6/06/पार्ट/15 दिनांक 13.7.2011 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 में संशोधन किया गया है;

6- अधिसूचना संख्या : एफ.6(14)राज-6/95/16 दिनांक 25.7.2011 जिसके द्वारा विभिन्न सहायक वन संरक्षकों को तहसीलदार की वन विभाग की भूमि पर अप्राधिकृत अभियोग के संबंध में समस्त शक्तियां प्रदान की गई हैं;

7- अधिसूचना संख्या : एफ.6(6)राज-6/1992-पार्ट/16 दिनांक 2.8.2011 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 में परिवर्तन किया गया है;

8- अधिसूचना संख्या : एफ.9(13)राज-6/2010/17 दिनांक 2.8.2011 जिसके द्वारा राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आबंटन नियम, 1959 में संशोधन किया गया है; एवं

9- अधिसूचना संख्या : एफ.9(13)राज-6/2010/18 दिनांक 2.8.2011 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.6(2)राज/6/91/24 दिनांक 4.11.92 को तत्काल प्रभाव से विखण्डित किया गया है।

श्री अध्यक्ष: मास्टर भंवरलाल। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्रम एवं नियोजन विभाग

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से श्रम एवं नियोजन विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 13/23/श्रम/विधि/2009 दिनांक 1 मार्च, 2011 जिसके द्वारा राजस्थान असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा नियम, 2011 विरचित की गई हैं, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री भरत सिंह।

पंचायती राज विभाग

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार पंचायती राज विभाग की 3 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं।

1- अधिसूचना संख्या : एफ.4(7)एम/रूल/लीगल/पीआर/2010/825 दिनांक 11.5.2011 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में संशोधन किया गया है;

2- अधिसूचना संख्या : एफ.4(8)एम/रूल/लीगल/पीआर/10/1223 दिनांक 19.7.2011 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज (स्थानान्तरण गतिविधियां) नियम, 2011 में संशोधन किया गया है; एवं

3- अधिसूचना संख्या : एफ.4(7)एम/रूल/लीगल/पीआर/2010/1348 दिनांक 12.8.2011 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में संशोधन किया गया है।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र पारीक।

आबकारी विभाग

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार आबकारी विभाग की निम्न 10 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :-

1- अधिसूचना संख्या : एफ.4(1)एफडी/एक्स/2011-पार्ट-II दिनांक 1.4.2011 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी (रेस्टोरेंट बार लाइसेंस) नियम, 2004 में संशोधन किया गया है;

2- अधिसूचना संख्या : एफ.4(1)एफडी/एक्स/2011-पार्ट-II दिनांक 1.4.2011 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी (होटल बार/क्लब बार लाइसेंस) नियम, 1973 में संशोधन किया गया है;

3- अधिसूचना संख्या : एफ.4(1)एफडी/एक्स/2011-पार्ट-II दिनांक 1.4.2011 जिसके द्वारा राजस्थान नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्स्टेंसेज रूल्स, 1985 में संशोधन किया गया है;

(श्री राजेन्द्र पारीक)

4- अधिसूचना संख्या : एफ.4(1)एफडी/एक्स/2011-पार्ट-II दिनांक 1.4.2011 जिसके द्वारा शोधित प्रासव से बनाई जाने वाली भारत निर्मित विदेशी मदिरा पर लगने वाले आबकारी शुल्क के भुगतान से मुक्ति प्रदान की गई है;

5- अधिसूचना संख्या : एफ.4(1)एफडी/एक्स/2011-पार्ट-II दिनांक 1.4.2011 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 में संशोधन किया गया है;

6- अधिसूचना संख्या : एफ.4(1)एफडी/एक्स/2008-पार्ट-II दिनांक 8.4.2011 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 में संशोधन किया गया है;

7- अधिसूचना संख्या : एफ.7(3)एफडी/एक्स/11 दिनांक 11.5.2011 जिसके द्वारा आबकारी अधिकारियों को कतिपय धाराओं के अन्तर्गत निदेशक रेवेन्यू इंटेलिजेंस विभाग में कार्यरत रेवेन्यू इंटेलिजेंस अधिकारी को भी शक्तियां प्रदान की गई हैं;

8- अधिसूचना संख्या : एफ.4(1)एफडी/एक्स/2011 दिनांक 20.5.2011 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 में संशोधन किया गया है;

9- अधिसूचना संख्या : एफ.4(1)एफडी/एक्स/2011 दिनांक 20.5.2011 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स को शोधित प्रासव/ई.एन.ए. आयात किये जाने में अन्य राज्यों की तुलना में दरों में कमी की गई है; एवं

10- अधिसूचना संख्या : एफ.11(28)एफडी/एक्स/2010 दिनांक 30.6.2011 जिसके द्वारा अतिरिक्त आबकारी आयुक्तों का जिला मुख्यालय एवं राजस्व जिले का निर्धारण किया गया है।

श्री अध्यक्ष: वार्षिक प्रतिवेदन। श्रीमती बीना काक।

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान ट्यूरिज्म डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2008-09)

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619 के

(श्रीमती बीना काक)

अन्तर्गत राजस्थान ट्यूरिज्म डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-09 सदन की मेज पर रखती हूं।

श्री अध्यक्ष: समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन। श्री घनश्याम तिवाड़ी।

समिति का प्रतिवेदन

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति (वर्ष2011-12 का प्रतिवेदन (प्रथम)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति 2011-12 के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री श्रवण कुमार।

पिछड़े वर्गों के कल्याण सम्बन्धी समिति (वर्ष 2011-12) का प्रतिवेदन (सं. 2)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार पिछड़े वर्गों के कल्याण सम्बन्धी समिति 2011-12 के द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री राजकुमार रिणवां।

प्रश्न एवं संदर्भ समिति (वर्ष 2011-12) का प्रतिवेदन (सं. 8 व 9)

श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार प्रश्न एवं संदर्भ समिति 2011-12 के अष्ठम एवं नवम् प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन। श्री वीरेन्द्र बेनीवाल।

कार्य सलाहकार समिति (वर्ष 2011-12) का प्रतिवेदन (सं. 18)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मैं निवेदन करना चाहता हूं..

श्री अध्यक्ष: किस सम्बन्ध में?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): कार्य सलाहकार समिति की रिपोर्ट आपकी आ जाएगी, यह आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप क्या निर्णय देंगे।

श्री अध्यक्ष: किस सम्बन्ध में फरमाना चाहते हैं?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): इसी कार्य सलाहकार समिति की जो रिपोर्ट आप पेश कर रहे हैं, जिसको अभी हम पास कर देंगे तो उसके अनुसार हमको कार्यवाही करनी ही पड़ेगी। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि जब पिछली कार्य सलाहकार समिति की सूची को हमने यहां पर अनुमोदन किया, उसमें यह जो आप नया हमको दे रहे हैं राजस्थान लोक सेवाओं को प्रदान गारंटी का, इस बारे में उस समय जो लेटेस्ट हुआ था उसमें यह बिल डिसकशन में आज की तारीख में होना नहीं था। कल की कार्य सूची में आपने इसको लिया कार्य सलाहकार के आधार पर, आप जब यहां आए।

मैं आपसे बहुत विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आज सवेरे चार बजे हमको यह डाक मिली और आपने लिखा कि साढ़े नौ बजे तक आप इसमें अपना अमेंडमेंट दे सकते हैं। क्योंकि यह जो बिल है, मैं यह कह रहा हूं कि जिस भ्रष्टाचार के बारे में आलोचना कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, अगर हमारा यह सिस्टम सुधर जाता है तो आधा भ्रष्टाचार तो अपने आप ही गारंटी से खतम हो जाएगा। इस बिल को आप इस ढंग से निकालना चाह रहे हैं और आप जब यहां तय कर देंगे और पास कर देंगे तो यह डिसकशन होना ही है। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि इनमें से कोई भी सदस्य खड़ा कर दें और ईमानदारी से वह बताएं कि इस बिल में यह है और इसमें होना क्या है और इसके इफेक्ट क्या होंगे। तो सदन के सदस्यों को इतना भी आपके द्वारा संरक्षण नहीं मिलेगा क्या कि हम विषय को ठीक प्रकार से पढ़ कर इसका जितना भी असर होने वाला है, उसके बारे में सार्थक चर्चा करें? क्योंकि यह कोई साधारण बिल नहीं है। पहली बार सरकार ने एक मन बनाकर इतनी बड़ी हिम्मत की है जिसके कारण से हमारे सेवा सिस्टम में आमूलचूल परिवर्तन होगा। जब आप इतना करो, तो इतना आवश्यक क्या है कि आप बिना समय दिए हुए, बिना ठीक से पढ़े हुए, उसकी बिना तैयारी किए हुए और उस पर ठप्पा लगवा कर...? क्योंकि उसमें हजारों कमियां हैं। आपने दूसरे स्टेटों में जो बिल पास हुए हैं, उनसे थोड़ा भिन्न पेश किया है। तो उन स्टेटों के बिलों से भी जब तक मिलान नहीं करेंगे, उनके साथ इसको जब तक स्टडी नहीं करेंगे, आप एट रेंडम हमको खड़ा कर देंगे और आप हो-हा-हू कराकर पास कराना चाहते हो तो आपकी इच्छा है। मैं सोचता हूं कि यह राजस्थान की विधान सभा में ऐसा महत्वपूर्ण बिल है जिस पर चर्चा करेंगे, उस पर सार्थक चर्चा तभी हो सकती है जब हम उस प्रकार के चार स्टेटों में जो बिल पास हुए हैं,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

उनके साथ में भी इसको मिलान करके इस बारे में अपनी कुछ राय बनाकर अपने कुछ सुझाव दे सकें।

हम तो आपसे प्रार्थना ही कर सकते हैं। जब कार्य सलाहकार के यहां हुआ तो हमारे पास 'हां' और 'ना' करने के बाद हमको तो झक मारकर हाथ खड़ा करना ही है, या तो बाहर जाना है या हाथ खड़ा करना है। अगर आप इसी तरह से समझते हैं कि इससे राजस्थान का बड़ा गौरव बढ़ाएंगे, हमने बड़ी फतह प्राप्त की, जैसे कोई बड़ा तीर मार लिया हो, हम कोई कानून लेकर आए और कोई आमूलचूल परिवर्तन कर देंगे केवल नाम आने से, इसकी गारंटी बिल के आधार पर गारंटी नहीं निकलने वाली है इसमें से, इसकी परतें उखड़ेंगी। मैं शायद सोचता हूं कि इस पर तीन दिन तक भी चर्चा करें और सार्थक चर्चा करने के बाद अगर सार्थक बिल लेकर आएं, मैं सोचता हूं कि ज्यादातर लोग, 50 प्रतिशत जनता, सामान्य जनता, करोड़ों से उसका कोई लेना-देना नहीं है; मुझे किसी स्कूल में जाना है और कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, मुझे छोटे-मोटे काम की जरूरत पड़ती है; वहां जिस प्रकार से आपका हैरेसमेंट होता है, 80 प्रतिशत लोग तो वहां गांव में ही और आपकी तहसील में ही निपट जाते हैं, जयपुर और दिल्ली आने की उनको आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। जयपुर और दिल्ली तो 10 प्रतिशत लोग ही आते हैं। आपके 90 प्रतिशत लोग जिन कारणों से आज परेशान हैं, उनकी परेशानियों का हल करने के लिए हम इतना बड़ा बिल लेकर आ रहे हैं तो इस पर सार्थक चर्चा करने और अच्छी चीज निकालने की आवश्यकता है। इसको सोमवार के दिन क्यों नहीं रखा जा सकता? कम से कम हम स्टडी करके आपको सुझाव देंगे, उनको मानना और नहीं मानना आपकी मर्जी पर निर्भर करेगा लेकिन हम अपना धर्म तो निभाएंगे। उसके लिए आपको समय देने की फुर्सत नहीं है और आप आज ही उस पर ठप्पा लगवाकर निकलना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम तो आसन से निवेदन ही कर सकते हैं, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हो। मैं चाहता हूं कि आप हमारी जरूर रक्षा करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): आपको तो बैठक में आने तक की फुर्सत नहीं है। बैठक में पधारना भी तो आपकी जिम्मेदारी थी। माननीय, आप बैठक में पधारते और अपने विचार रखते।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मेरा दूसरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजो। व्यवस्था के प्रश्न के आधार पर माननीय कटारियाजी ने अपनी बात कही। इसके ऊपर आपका व्यवस्था का प्रश्न होगा क्या? आप इतने सीनियर हैं, पहले उनका व्यवस्था का प्रश्न है। व्यवस्था के प्रश्न के ऊपर व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सिर्फ दो-तीन बिन्दु हैं।

श्री अध्यक्ष: हां, आप बोलिए।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में ही यह तय होता है कि कौनसा बिल कौनसी तारीख को कितने बजे आएगा। आपने बैठक का वाक-ओवर क्यों किया? जब आप जानते थे कि यह बिल इंट्रोड्यूस हो चुका है तो यह सजेशन जो आप यहां पर देना चाहते हैं आपको वहां देना चाहिए था।

दूसरा बिन्दु यह है कि आप यह कहते हैं कि समय नहीं मिला, तो समय नहीं मिला तो प्रतिपक्ष के आठ माननीय सदस्यों ने किस प्रकार से संशोधन पेश कर दिए? यहां पर आठ प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने संशोधन पेश किए हैं। तो क्या पूरे 76 करते क्या आप? (व्यवधान) इन्होंने संशोधन कैसे पेश कर दिए फिर? इसका अर्थ है कि पूरा समय दिया गया।

श्री पेमाराम (धोद): चार बजे भेजा है आपने, रात्रि चार बजे। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): इसका मतलब पूरा समय दिया गया लेकिन आप नहीं चाहते; यह बिल आपकी आंखों में अखर रहा है, आप नहीं चाहते हैं कि यह बिल पास हो या बिल में यह हो।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): थर्ड रीडिंग पर अपनी बात रखिए। कहां दिक्कत है? थर्ड रीडिंग पर ओपन है सबके लिए, आप आइए और अपनी बात रखिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मैं आपसे प्रार्थना यह कर रहा हूं कि अपनी पहली मीटिंग हुई थी 23 तारीख को, उस दिन आपने कार्य सलाहकार की यह जो हमें यहां वेरिफाई कराया 26 तारीख के लिए, यह जो 27 तारीख का बिजनेस था उसमें दो ही बिल थे, एक एफ आर बी एम था

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

और दूसरा आयुर्वेद विश्वविद्यालय का था। यह बिल उस सूची में नहीं था। यह तो कल आपने वापस तारीख बदलकर जो 27 तारीख का बिजनेस है, उसमें कार्य सलाहकार की सूची में अनुमोदन करके दे दिया। उस दिन यह बिल नहीं था, यह बिल तो आपने कल जोड़ा है, मेरे ज्ञान के अनुसार। आप बड़े विद्वान व्यक्ति हो सकते हो, कार्य सलाहकार समिति की पुरानी रिपोर्ट भी देख लो, उस दिन उस सूची में यह बिल नहीं है। आज की तारीख में दो ही बिल पर डिसकशन होना था, एक तो एफ आर बी एम का और एक आयुर्वेद विश्वविद्यालय का। दो के अलावा तीसरा आज नहीं था। आज आपने यह नया जोड़ा है कल की कार्य सलाहकार समिति की मीटिंग में और फिर आप अभी अनुमोदन जब इसका करा दोगे तो बिजनेस तो इसी आधार पर चलेगा।

मैं आपसे रिक्वेस्ट यह कर रहा हूं कि इस बिल को आज नहीं रखकर आप 29 तारीख को, कम से कम सोमवार के दिन रखें। तब तक हम कम से कम इसको ठीक प्रकार से देखकर के, यह जो आठ माननीय सदस्यों ने जो प्रस्ताव रखे हैं न, आप भी जानते हो, मैं भी विधान सभा में कुछ समय से आ रहा हूं, सामान्यतः हम सब लोग एन्टर करने के लिए एक लाइन का प्रस्ताव बनाते हैं, इसको जनमत जानने के लिए भेजिए। यह बन गया आधा मिनट में। बिना कुछ जो उसका टाइटल लिख दो और चार लाइन लिख दो, आपका प्रस्ताव हो गया। लेकिन इसके अन्दर क्या है? इसमें क्या-क्या असर होने वाला है, इसका इसके कारण से नहीं हो सकता। अगर आप इसके कारण से कि यह 200 के सदन में अगर इस जैसे महत्वपूर्ण बिल पर केवल आठ लोग ही अपने विचार और अपना पढ़ा-लिखा है, तो दुर्भाग्य होगा राजस्थान के लोकतंत्र का कि 200 मेम्बर हाउस में से इस बिल के बारे में केवल आठ लोग ही चिंतित हैं। बाकी सब आराम से अपनी ...(व्यवधान) मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इसको जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आप अपनी तरफ से अमेंडमेंट कराइए और इसको सोमवार को रखवाइए।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजो तो सही।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के सदस्यों को कम से कम अपनी जिम्मेदारी का अहसास होना चाहिए। जिस तरीके से...मुझे बोलने दीजिएगा, मैंने भी आपको आराम से सुना है।

श्री अध्यक्ष: आप तो काम की बात फटा-फट कहो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): काम की ही बात कर रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि हमें कोई एतराज नहीं है कि आप इसको परसों रखवा लें, कोई एतराज नहीं है हमें। क्योंकि हमने तो जो बिल जो उचित समझा, वह ले आये आपके सामने और आपको पूरा नोटिस दिया है। नोटिस देने का ही नतीजा है कि आठ-आठ आदमियों ने इसमें संशोधन पेश किये और अभी थर्ड रीडिंग और बाकी है, थर्ड रीडिंग में भी आप अपने विचार पेश कर सकते हैं लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप यह चाहते हैं कि और अच्छे सुझाव आये, हम तो सोमवार को भी रखने के लिए तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री अध्यक्ष: जैसा सभी माननीय सदस्यों को विदित है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ...(व्यवधान) विराजो आप, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य (व्यवधान)... मंत्रीजी, विराजें; मंत्रीजी, आसन पांवों पर है। माननीय सदस्यों को इस बात की जानकारी है ...(व्यवधान) माननीय आहूजा साहब, कृपया आप विराजें। माननीय सदस्यों को इस बात की जानकारी है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के निर्णय से आसन भी बंधा होता है। कल जब यह तय किया गया था तो उसके बाद मेरे पास शाम को यह पत्रावली प्रस्तुत हुई थी और क्योंकि विधान सभा सचिवालय की मजबूरी थी, कल ही यह तय हुआ था, नीचे से तो प्रस्ताव यह आया था कि पांच बजे तक मांग लिए जाए, मैंने इंटरवीन करके उसमें यह लिखा, जो मौजूद है, नहीं, सुबह साढ़े नौ बजे तक का समय तो दे ही दीजिए कम से कम। ...(व्यवधान) कृपा नहीं, आप लोगों का अधिकार है, यह रिकार्ड पर है।

अब जैसी परिस्थिति आई है तो सदन की राय के अनुसार मैं चीफ व्हिप को निवेदन करूंगा कि इस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट में इस पाइंट को सोमवार को रखते हुए आप संशोधित रूप से प्रस्तुत कर दें।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, लांछन तो करो इनको। (व्यवधान) हर बार बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का बहिष्कार करते हैं। इसलिए आप लांछन तो करे इनको। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी बात से भी सहमत हूं और आपने जो निर्णय दिया, उससे भी सहमत हूं लेकिन मैं

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

आपसे एक ताकि हमारी कोई गलत रिपोर्ट नहीं चली जाए, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बिजनेस एडवाइजरी के बारे में कल आपने एक निर्णय लिया था, उसको मैं आपको पढ़ देता हूं ताकि आपकी व्यवस्था ठीक हो जाए। ''215- सदन में प्रतिवेदन के उपस्थापित कर दिये जाने के पश्चात् किसी समय पर यह प्रस्ताव किया जा सकेगा कि सदन प्रतिवेदन स्वीकार करता है या संशोधनों के साथ स्वीकार करता है या अस्वीकार करता है; परन्तु संशोधन प्रस्तुत किया जा सकेगा कि प्रतिवेदन या तो बिना परिसीमा के या किसी विशेष विषयों के संबंध में समिति को वापस सौंपा जावे।'' अब यह बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने तय कर लिया और कल जब मैंने आपको संशोधन दिया था तो आपने अकारण मेरे संशोधन को निरस्त कर दिया, बिना व्यवस्था दिये। यह नियम 215 के यहां होते हुए भी आपने उसको निरस्त कर दिया। अध्यक्ष महोदय, कल हम चाहते थे कि यह काम इस प्रकार का हो, यह नियम में प्रावधान है। आपने मेरे प्रस्ताव पर 'हां', 'ना' भी नहीं कराई।

इसलिए आज हम चाहते हैं कि सोमवार को डिसकशन हो। इसका रास्ता यह है कि हम इसको स्वीकार करें, हाउस बढ़ाये और आप जो है निर्णय करके, आपको अधिकार प्राप्त है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में एक बार निर्णय होने के पश्चात् आप अपने विवेक से उसको एक दिन और आगे के दिन नियत कर सकते हैं। इसलिए आपने जिस प्रकार से अपने अधिकार का दुरुपयोग करके हमारा समय काटकर के साढ़े नौ तक किया, अब उसका सदुपयोग करते हुए उसको आगे के लिए आप करें। यह काम आपका है।

श्री अध्यक्षः दुरुपयोग करके? दुरुपयोग करके?

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैंने कल भी निवेदन किया था कि कोई सदस्य बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के फ़ैसले पर कोई भी अमेंडमेंट नहीं ला सकता और आपका उदाहरण दिया था कि जब श्री गिर्राज प्रसाद तिवाड़ीजी चेयर पर बैठते थे 1985 में और आपने एक अमेंडमेंट दिया था तो उस अमेंडमेंट को रिजेक्ट किया गया था। इसी तरीके से, इसके पहले निरंजन नाथ आचार्य जब स्पीकर थे और दामोदर लाल व्यास ने जब यह बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट पेश की तो उस वक्त जो अमेंडमेंट

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

पेश किया गया, उसको भी तत्कालीन स्पीकर जो हैं, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। उसका जवाब आपने कल नहीं दिया। मैं आपसे फिर यह निवेदन करता हूं कि आप बिलकुल गलत फुट पर हो, स्पीकर को अधिकार है और सदन जो है, बहुमत से उसको पास करेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मैं कौल एंड शकधर....

श्री अध्यक्ष: इसको समाप्त करें। आपकी बात मान ली गई है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मान ली, महाराज, लेकिन सुनो।

श्री अध्यक्ष: इसको पोस्टपोन कर दिया है, अब 29 तारीख को है। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): यह 'महाराज' शब्द क्या है?

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): आसन को 'महाराज' कहकर संबोधित किया जा रहा है, यह अन-पार्लियामेंटरी है, कृपया अपने शब्दों में सुधार करें। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ...(व्यवधान) संसदीय कार्य मंत्री को ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप दोनों ज्ञानी हैं, आप दोनों के ज्ञान पर कहीं किसी को एतराज नहीं है। अब कृपया दोनों अपने ज्ञान को सीमित रखकर सदन की कार्यवाही चलने दें।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अध्यक्ष महोदय, आपको 'महाराज' कहा है।

श्री अध्यक्ष: हां, हां, आपका नाम भी ज्ञानियों की सूची में लिख दिया जाएगा।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति का 18वां प्रतिवेदन उपस्थापन करता हूं।

कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 26 अगस्त, 2011 को मध्याह्न पश्चात् 3.00 बजे माननीय अध्यक्ष के वेश्म (चैम्बर) में हुई। समिति ने अपने सत्रहवें प्रतिवेदन में आंशिक संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया कि दिनांक 27 अगस्त, 2011 से 29 अगस्त, 2011 तक सदन में अग्रेत्तर लिए जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार से किया जाय:-

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

शनिवार, दिनांक 27 अगस्त, 2011	1- वर्ष 2011-2012 (प्रथम संकलन) अनुपूरक अनुदान की मांगों पर मुखबंद का प्रयोग किया जाकर मतदान एवं पारण तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण। 2- वर्ष 2006-2007 के लिये अतिरेक मांगों पर मुखबंद का प्रयोग किया जाकर मतदान एवं पारण तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं पारण। 3- राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011; व 4- राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2011 - पर विचार एवं पारण। 5- कथित रूप से बढ़ रहे भ्रष्टाचार की रोकथाम के उपायों पर विचार।
रविवार, दिनांक 28 अगस्त, 2011	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, दिनांक 29 अगस्त, 2011	1- राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी विधेयक, 2011; 2- राजस्थान किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2011; 3- राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011; 4- राजस्थान नगरीय पथ विक्रेता (जीविका का संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन) विधेयक, 2001; एवं 5- नैदानिक स्थापना (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या-23) के संबंध में शासकीय संकल्प -पर विचार एवं पारण। 6- कथित रूप से बढ़ रहे भ्रष्टाचार की रोकथाम के उपायों पर अग्रेत्तर विचार।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि सदन कार्य सलाहकार समिति के 18वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई।

अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2006-07 के लिए अतिरेक की मांगें मुखबंद का प्रयोग की जाकर मतदान हेतु प्रस्तुत की जाएंगी।

व्यवस्था का प्रश्न

गृह विभाग का प्रतिवेदन अनुदान की मांग पर चर्चा तक प्राप्त न होना

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, इस पर मेरा बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: किस पर?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इसी पर जो आप अनुपूरक अनुदान की मांगें ले रहे हैं। (व्यवधान) हर चीज पर नहीं। यह मैं बहुत गम्भीरतापूर्वक आपको निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: आप गम्भीरतापूर्वक कब नहीं करते हैं?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं हमेशा ही करता हूं, हमेशा ही करता हूं लेकिन मैं बार-बार इसलिए दोहराता हूं कि आप भी उसको उसी रूप में लें।

श्री अध्यक्ष: मैं उसी रूप में लेता हूं।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आप गम्भीर रहते क्यों हो, यह तो बताओ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मैं किसी की आलोचना-प्रत्यालोचना, समालोचना के लिए यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा रहा हूं। आपने बहुत बार व्यवस्थाएं दी हैं, सदन में बहुत बार ऐसी व्यवस्थाएें हुई हैं। कई बार दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटती हैं सदन में और हम हमारे कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाते हैं। इसमें मैं किसी को दोष नहीं देता, हमारा ही दोष है कि हम जिस डाली पर बैठते हैं उस डाली को हम खुद ही काट रहे हैं। दुनिया हमें देखेगी। अभी अनुपूरक अनुदान की मांगें आई हैं, पिछली बार जब सदन में सारी मांगें पारित की गईं, उस समय एक बहुत महत्वपूर्ण त्रुटि हमारे

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

यहां रह गई, उस त्रुटि की ओर मैं आपका ध्यान और आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: कब रह गई? पिछली बार रह गई या अभी?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): पिछली बार।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): वह तो खतम हो गयी बात।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, वह खतम नहीं होती। आप सुन लीजिये मेरी बात।

अपने यहां पर लिखा हुआ है कि जिस समय हम अनुदान की मांगें पारित कराते हैं, उस समय हम आय-व्ययक व प्रगति विवरण विभागों का सारे माननीय सदस्यों को भेजते हैं। उसके बारे में हमारे अध्यक्षों की व्यवस्था दी हुई है, जिसमें लिखा हुआ है, 'प्रत्येक मांग से पहले अनुदान का विवरण, उसके सारे मामले इसमें भेजे जाएंगे।' नियम आपका 140 है और उसके संबंध में, माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यवस्थाएं हुई हैं। मैं बता देता हूं आपको, पेज नं. 107, 'अध्यक्ष पद से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णय', द्वितीय खण्ड-1977 से लेकर 1989 तक; इसमें 107 नं. पेज पर देखें। श्री मूलचन्द डागा ने संबंधित विभाग के प्रतिवेदनों से संबंधित व्यवस्था का प्रश्न उठाया और प्रतिवेदन में कितना खर्च किया गया, क्या किया लिखा गया है और उन्होंने कहा कि हमको, माननीय सदस्यों ने जो आपत्ति उठायी, वह एक हद तक सही है...।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): कब का विषय है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): पेज नं. 107 है। ''अगर प्रोग्रेसिव रिपोर्ट में कोई मुद्दे ही नहीं जिनके ऊपर बहस या चर्चा की जा सके, तो वह चर्चा सार्थक नहीं हो सकती। सरकार को इस संबंध में गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए और प्रोग्रेसिव रिपोर्ट फुल फैक्ट्स के साथ जब तक नहीं आती तब तक सदन में दोनों पक्षों की बहस सार्थक नहीं हो सकती। सदन में प्रस्तुत किये जाने चाहिए। सरकार को डांट लगाइये। उसके बाद में, अध्यक्ष महोदय, 111 अनुदान की मांगों के संबंध में उस समय भी सदस्यों को, उन्होंने कहा कि ''अनुदान की मांगें जैसा कि पिछले वर्षों की परिपाटी है कि सभी मांगों पर दिये गये कटौती प्रस्ताव के साथ-साथ ये माननीय सदस्यों को आने वाली पद्धति को ध्यान करना चाहता हूं, जब तक हम उनको प्रगति प्रतिवेदन नहीं देंगे तब तक उस पर सार्थक चर्चा नहीं हो सकती।'' इसी प्रकार पेज नं. 117

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

और 115 पर, तीन बार माननीय अध्यक्षों ने व्यवस्था की कि राज्य विधान सभा में जब अनुदान की मांगों पर बहस हो, उस समय प्रगति विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: नहीं तो आपको कौनसा प्रगति विवरण चाहिए?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं बोल रहा हूं, साहब। कौल एवं शकधर और मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस, दोनों में यह बात है।

पिछली बार सदन में जब आपने हंगामे में सारी मांगें पारित करायीं, उस समय गृह मंत्रालय का प्रगति विवरण सदन के पटल पर रखा ही नहीं गया, वितरित नहीं किया गया और आपने उसको पारित करा दिया। उस डिमांड का क्या होगा, अध्यक्ष महोदय? इन सारी व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया। गृह मंत्रालय का प्रगति विवरण रखा नहीं गया, बांटा नहीं गया, सदन को दिया नहीं गया और आपने गृह मंत्रालय की मांगों को पारित करा दिया! सारी परम्पराओं का उल्लंघन किया गया इसके अन्दर।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): ये कब की बात कर रहे हैं?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ये पिछले सत्र की बात है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मान लीजिये, उस वक्त हुआ तो उस वक्त क्यों नहीं ...(व्यवधान) उठाया? आज उस बात को लेकर के बैठे हुए हैं। एट रेंडम तो मैं जवाब दे नहीं सकता इसका। (व्यवधान) एट रेंडम तो मैं जवाब दे नहीं सकता। अगर आपको शिकायत थी तो बाकायदा आपको उसी वक्त उठाना चाहिए था। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आज अनुपूरक अनुदान की मांगें आयी हैं, आज देना पड़ेगा जवाब।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आज भी आप मुझे नोटिस दे दें, मैं इसका जवाब दूंगा आपको। उसमें क्या दिक्कत है? आप पता नहीं, कब की बात उठा रहे हैं आज। ...(व्यवधान)

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): ...(व्यवधान) कितने नोटिस दें आपको? (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): आप अनुदान की मांगें लेकर आये हो; इसलिए अभी पूछा जाएगा। और कब पूछा जाएगा? और नोटिस दें, कोई कोर्ट है क्या यह? (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इसके पहले सदन हुआ ही नहीं। उसके बाद सदन आज जुड़ा है और सदन जब जुड़ा है, उस दिन मुझे यह प्रश्न पूछना पड़ेगा।

यह केवल मेरा प्रश्न नहीं है, न, मंत्रीजी, आपका प्रश्न है। इसी सदन में मैं खड़ा था शिक्षा मंत्री के नाते और सी.पी. जोशी साहब ने यह प्रश्न उठाया था, संस्कृत विभाग का प्रगति विवरण जिस समय सदन में चर्चा हो रही थी, उस समय वितरित किया गया था। पिछले टर्म की बात है, बेनीवाल साहब, आपको ध्यान है। उन्होंने प्रश्न उठाया, मैंने उसी समय डायरेक्टर को सदन में निलम्बित कर दिया कि आपने इतनी देर से क्यों दिया। अब इसमें डायरेक्टर का या होम सेक्रेटरी या डी.जी. का निलम्बन नहीं होना चाहिए, यह इतनी बड़ी गलती है जिसमें गृह मंत्री का निलम्बन होना चाहिए, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा, मुख्य मंत्री महोदय गृह मंत्री को बर्खास्त करें; सिर्फ निलम्बन नहीं, बर्खास्त करें ऐसी स्थिति में। अवैधानिक करने के आदी ...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, अभी जिस विषय को माननीय उप नेता ने उठाया, आप कम से कम यह दे दें कि ये जो आपका पुलिस का प्रगति प्रतिवेदन है, यह आपने कब पेश किया, उसकी तारीख बतायें ताकि कम से कम यह स्पष्ट हो जाए कि चर्चा किस दिन थी और आपका प्रगति विवरण हमारे पास आया कब और यह भी पता कर लो कि अभी तक भी पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। इसके बारे में भी अगर कोई बता सकता है तो बता दें, आज की तारीख तक भी पुलिस का प्रगति प्रतिवेदन माननीय सदस्यों के पास पहुंचा या नहीं। जब आपने प्रगति प्रतिवेदन दिया ही नहीं, उस दिन से लेकर जिस दिन बजट आपने पास कराया पुलिस डिमांड का, तो इससे ज्यादा और क्या तौहीन हो सकती है, यह बताओ। अब आप हो-हुल्लड़ में पास करा देते हैं, हम कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि हमें बोलने का मौका तो मिलता ही नहीं। कोई न कोई ऐसा विषय छेड़ देते हैं जिसमें हा-हू करके निकल जाते हैं और इसके कारण से सवाल-जवाब तो कर ही नहीं सकते हैं। आज पहला दिन है, सौभाग्यशाली दिन है कि कम से कम कुछ सवाल-जवाब करने का मौका आसन ने हमको दिया। हम आपके बड़े आभारी हैं। अगर यह मौका और देते तो हम इस विषय को उठाते। आप तो इतना ही बता दें कि ...(व्यवधान)

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: अध्यक्ष महोदय, यह सदन का अपमान है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजें।

एक माननीय सदस्य: ...(व्यवधान) सदन को आज ही अवगत कराना आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजें आप।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): नहीं, आप मेरी बात सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष: आप विराजें।

एक माननीय सदस्य: पूरा सदन यह जानना चाहता है।

श्री अध्यक्ष: आप विराज जाएं।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): सदन नियमों और कायदे-कानूनों से चलता है।

श्री अध्यक्ष: आप विराज जाएं। अंकित नहीं होगा। आप विराजें, आसन पांवों पर है।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: आपको यह भी ध्यान नहीं है कि आसन पांवों पर है। सवाई माधोपुर से आने वाले वाले माननीय सदस्य, कृपया विराजें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री अध्यक्ष: जो व्यवस्था का प्रश्न सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाया है, मेरे सामने आपने यह बात पहली बार प्रस्तुत की है। यदि वास्तव में प्रतिवेदन नहीं आया है तो मैं इसको निश्चित तौर पर गम्भीरतापूर्वक लेता हूं। आपके व्यवस्था के प्रश्न पर मैं विधान सभा सचिवालय से और गृह मंत्रीजी से, गृह विभाग से पूरी जानकारी जांच करने के पश्चात् अगले वर्किंग डे पर 29 तारीख को व्यवस्था दूंगा, तब तक रिजर्व रखता हूं।

प्रश्न यह है कि ...(व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय,...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात।

श्री अध्यक्ष: अब चर्चा समाप्त हो गयी।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मैं आसन को बाध्य नहीं कर रहा हूं लेकिन एक बात मैं भी आसन से इतनी सी निवेदन कर रहा हूं कि 157 के अन्दर प्रगति प्रतिवेदन के द्वारा दी हुई सूचना को ही आसन अधिकृत सूचना मानता है। आसन ने कई बार व्यवस्था दी है कि पत्रिकाओं से, अखबारों से अगर आप कोई सूचना देते हैं उसको आसन मानने को बाध्य नहीं है। अगर यह सदन किसी बात पर डिबेट करता है, किसी विभाग पर डिबेट करता है तो विभाग के प्रतिवेदन के माध्यम से ही डिबेट करता है। तो क्या यह सदन का विशेषाधिकार नहीं है? तो क्या यह विशेषाधिकारों का हनन नहीं हुआ? हमने भी नियम 157 में आपको इस बात का निवेदन किया है कि यह सदन के दो सौ सदस्यों का विशेषाधिकार है, उसी के आंकड़ों से, उसी की जानकारी के ऊपर यहां हम लोग कोई बहस करते हैं जिसको आसन भी मानता है और आसन को बाध्य करते हैं कि उन आंकड़ों के रूप में सरकार बाध्य हो कि अपना जवाब दे। नियम 157 में हमने भी इस बात के लिये आपसे निवेदन किया है। यह सिर्फ प्रतिवेदन रखने की बात नहीं है, इस पूरे सदन के विशेषाधिकार की बात है; न तो सत्ता पक्ष की है और न विपक्ष की है, यह पूरे 200 सदस्यों के अधिकारों की बात है। इसलिए आसन जो भी व्यवस्था दे, कम से कम इस बात का ध्यान रखे कि व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिये कि आइंदा कोई इस प्रकार की गलती करने की जुर्रत नहीं करे। धन्यवाद।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अध्यक्ष महोदय, मैं डिस्टर्ब नहीं करता, एक मिनट सुनेंगे आप।

श्री अध्यक्ष: प्लीज, विराजिए आप। मैंने पहले ही निवेदन किया है कि इस प्रकरण को जो मेरे सामने लाया गया है, गम्भीरतापूर्वक लेकर सारे प्रकरण को देखकर के उसके बाद व्यवस्था दूंगा। व्यवस्था क्या दूंगा, इसके लिये कृपया आप मुझे बाध्य नहीं करें। चर्चा समाप्त।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, केवल एक मिनट सुन लें । अध्यक्ष महोदय, एक बात थोड़ी सी आप सुन लें।

मुखबंद

अनुपूरक अनुदान की मांगों (वर्ष 2011-12) का पारण

मांग संख्या 3-सचिवालय

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 3-सचिवालय के संबंध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 34,44,000/- (चौतीस लाख चवालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 5-प्रशासनिक सेवाएं

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-5 प्रशासनिक सेवाएं के संबंध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/- (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 9-वन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 9-वन के संबंध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,000/- (छह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 11-विविध सामाजिक सेवाएं

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 11-विविध सामाजिक सेवाएं के संबंध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 8,000/- (आठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 12-अन्य कर

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 12-अन्य कर के संबंध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 8,000/- (आठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई। (व्यवधान)

आपस में चर्चा नहीं करें। कृपया चर्चा नहीं करें। आप तो बहुत सीनियर सदस्य हैं माननीय अमराराम जी, आसन पांवों पर है, इस तरह के कमेंट्स आपको शोभा नहीं देते।

मांग संख्या 15-पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 15-पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के संबंध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/- (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 16-पुलिस

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 16-पुलिस के संबंध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/- (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 17-कारागार

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 17-कारागार के संबंध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,29,99,000/- (एक करोड़ उनतीस लाख निन्यानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 18-जन सम्पर्क

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 18-जन सम्पर्क के संबंध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,00,00,000/- (दो करोड़) तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 19-लोक निर्माण कार्य

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 19-लोक निर्माण के संबंध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 16,000/- (सोलह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 20-आवास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 20-आवास के संबंध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,19,83,000/- (छह करोड़ उन्नीस लाख तिरयासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 21-सडकें एवं पुल

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 21-सडकें एवं पुल के संबंध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,75,39,58,000/- (एक अरब पिचहत्तर करोड़ उन्तालीस लाख अट्ठावन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 23-श्रम और रोजगार

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 23-श्रम और रोजगार के संबंध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 10,00,01,000/- (दस करोड़ एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति के संबंध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3000/- (तीन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के संबंध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,00,17,000/- (पांच करोड़ सत्रह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के संबंध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 19,000/- (उन्नीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास के संबंध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 37,91,000/- (सैंतीस लाख इकरानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 32-नागरिक आपूर्ति

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 32-नागरिक आपूर्ति के संबंध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 27,66,000/- (सत्ताइस लाख छियासठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के संबंध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,15,000/- (एक लाख पन्द्रह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई। (व्यवधान) और कोई अंकित नहीं होगा।

मांग संख्या 35-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 35-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं के संबंध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,000/- (छह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 36-सहकारिता

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 36-सहकारिता के संबंध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 50,18,000/-(पचास लाख अट्ठारह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 37-कृषि

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 37-कृषि के संबंध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,06,000/- (पांच लाख छह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 38-लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 38-लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के संबंध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष मं किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1000/- (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 39-पशुपालन एवं चिकित्सा

प्रश्न यह है अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 39-पशुपालन एवं चिकित्सा के संबंध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,000/- (तीन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या 40-राजकीय उपक्रम

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-40- राजकीय उपक्रम के संबंध में 31 मार्च,2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,00,00,000/- (नौ करोड़) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 42-उद्योग

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 42-उद्योग के संबंध में 31 मार्च,2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/- (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 43-खनिज

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 43-खनिज के संबंध में 31 मार्च,2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,000/- (दो हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 46-सिंचाई

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 46-सिंचाई के संबंध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,000/- (चार हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या 47-पर्यटन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 47-पर्यटन के संबंध में 31 मार्च,2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,38,96,000/- (पांच करोड़ अड़तीस लाख छियानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना के संबंध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 51,65,000/- (इक्यावन लाख पैंसठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मुखबंद का प्रयोग किया जाकर पारित की जाने वाली अतिरेक मांगें

अतिरेक अनुदान की मांगों (वर्ष 2006-07) का पारण

मांग संख्या 17-कारागार

प्रश्न यह है कि अतिरेक की मांग संख्या 17–कारागार के संबंध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 39,16,804/-(उनतालीस लाख सोलह हजार आठ सौ चार) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 31-पुनर्वास एवं सहायता

प्रश्न यह है कि अतिरेक की मांग संख्या 31-पुनर्वास एवं सहायता के संबंध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त हुये वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 11,913/- (ग्यारह हजार नौ सौ तेरह) तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 45-राज्य कर्मचारियों को ऋण

प्रश्न यह है कि अतिरेक की मांग संख्या 45-राज्य कर्मचारियों को ऋण के संबंध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त हुये वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,871/- (एक हजार आठ सौ इकहत्तर) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2011

विधेयक का पुर:स्थापन। श्री शांती कुमार धारीवाल।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महादेय, कुछ परम्पराओं का तो पालन कराइये। जब मंत्री स्वयं अनुपस्थित हों, तब तो दूसरे मंत्री रख सकते हैं लेकिन मुख्य मंत्री तो उपस्थित हैं, सदन में उपस्थित हैं मुख्य मंत्रीजी, इनको कैसे कर दिया आपने ? नहीं, नहीं, आज तो कर दिया, व्यवस्था तो करें । जब माननीय मंत्री महोदय उपस्थित नहीं हो या माननीय मुख्य मंत्रीजी उपस्थित नहीं हों तब तो दूसरे मंत्री यह रख सकते हैं लेकिन माननीय मुख्य मंत्रीजी वित्त मंत्री हैं, वे उपस्थित हैं, ऐसे में आपने इनसे कैसे किया? यह नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष: मुख्य मंत्रीजी से संबंधित विधान सभा की कार्यवाही, प्रश्नों के उत्तर, अन्य कार्यों के लिए मुख्य मंत्रीजी ने अधिकृत किया है और मुझे सूचित किया है, मैंने उनको अनुमति दी है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): वह तो दे दी लेकिन यह बिल का सवाल है1 बिल भी कराओ तो आपकी मर्जी है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव करेंगे विचारार्थ लेने का ।

विधेयक पर विचार

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): कौनसे को ?

श्री अध्यक्ष: राजस्थान विनियोग विधेयक, पूरा पढ़ दीजिए, पूरा पढ़ दीजिए।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2011 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: आ गया समझ में? आ गया?

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2011 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

<u>खण्डश: विचार।</u>

खण्ड 2 व 3 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व 3 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 व 3 स्वीकार किये गये।

खण्ड-1, अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री शांती कुमार धारीवाल।

विधेयक का पारण

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2011 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: यदि कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें तो मैं समय देने के लिए तैयार हूं।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2011 को पारित किया जाए ?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2011 को पारित किया गया।

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2011 । श्री शांती कुमार धारीवाल प्रस्ताव करेंगे।

विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2011

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: विचारार्थ लेने के लिए।

विधेयक पर विचार

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2011 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2011 को विचारार्थ लिया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार।

खण्ड 2 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया।

खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री शांती कुमार धारीवाल।

विधेयक का पारण

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2011 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: यदि कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें तो उन्हें मैं समय देने को तैयार हूं।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष: इस संबंध में?

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): हां, विनियोग संख्या तीन। इन्क्ल्यूसिव है होम डिपार्टमेंट की डिमांड में और एक अप्रैल से लेकर आज तक आपने जो खर्चा किया है विभाग ने, वह चार्ज्ड एक्सपेंडिचर नहीं है। टेक्निकली रिपोर्ट में ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठें।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): चार्ज्ड एक्सपेंडिचर नहीं है, तो कंसोलिडेटेड फंड से विथड्रा होगा। इस पर हाउस की अनुमति ली है क्या आपने ?

(12.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप जो बोल रहे हैं, यह एक्सेस डिमांड से संबंधित है। इस डिमांड से संबंधित नहीं है, इस बात से संबंधित नहीं है।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): मूल डिमांड ही अगर पारित नहीं है, उसको पारित नहीं माना तो एक्सस कहां से हो जाएगा?

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2011 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2011 पारित किया गया।

विचारार्थ लिये जाने वाले विषय।

राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 । श्री शांती कुमार धारीवाल।

विधेयक पर विचार

राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मुझे बोलने का भी आप अवसर देंगे परन्तु मैं एक बात जानना चाहता हूं। यह जो आपका एफ.आर.बी.एम. एक्ट है जिसमें आप संशोधन कर रहे हैं, मैंने इसको सब तरफ से देखने की कोशिश की, मैंने कुछ कागज भी इधर-उधर से निकाले,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आया कि यह इस बिल के तहत जिस प्रकार का आप अमेंडमेंट ला रहे हैं, एक बार मेरी थोड़ी सी जानकारी बढ़ जाए तो विषय पर चर्चा करने में सुविधा रहेगी, यह जो इसमें आ रहा है कि "2. Amendment of section 6, Rajasthan Act No. 7 of 2005.- For the existing clause (c) of section 6 of the Rajasthan Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005 (Act No. 7 of 2005), the following shall be substituted, namely:- …..." ये जो फिगर हैं, ये फिगर 13वें वित्त आयोग के क्योंकि इसमें रेफरेंस दिया है, हमने 13वें और 12वें वित्त आयोग की रिपोर्ट को देखने की कोशिश की तो 13वें वित्त आयोग की रिपोर्ट हमारे पास तो उपलब्ध नहीं हुई, "... restrict its total outstanding debt upto 39.3, 38.3, 37.3 and 36.5 per cent of Gross State Domestic Product for the financial year 2011-12, 2012-13, 2013-14 and 2014-15 respectively;" ये फिगर हमने तो ढूंढने में, 13वें वित्त आयोग का भी हमने देखने की कोशिश की लेकिन ये फिगर हमको, सेंट्रल का जो लॉ बना है, उसमें भी हमको कहीं दिखाई नहीं दिया, कहीं मिला नहीं। आपने यह जो परसेंटेज निकाला, जो आप करना चाहते हो, 39.3, 38.3, 37.3 और 36.5, ये फिगर आपने कहां से निकाला? हमने अपनी तरफ से जितनी कोशिश हो सकती थी ढूंढने की, कोशिश की। लेकिन 13वें वित्त आयोग की कोई रिपोर्ट, जो डिटेल है, वह नहीं मिल पाई है। जो मेरे पास आया है, वह है, 12वें वित्त आयोग का जो राजस्व घाटा...

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, आप सुन रहे हैं? मंत्रीजी, आप सुन रहे हैं?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मंत्रीजी, मैं यह चाहता हूं, थोड़ा सा हमारा ज्ञानवर्धन करें कि ये फिगर आपने ऐसे बिलकुल एक्जेक्ट 39.3, 38.3, ये निकाले कहां से हैं? क्या आधार बना था, इन फिगर्स को निकालने का? यह हमारे अभी तक पकड़ में नहीं आ रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं इसको। क्योंकि जो राजस्व घाटा 12वें आयोग का था उसमें था कि 08-09 तक राजस्व घाटा समाप्त करना चाहिए। इसी का, 13वें वित्त आयोग में लिखा है कि 2011-12 तक राजस्व घाटा समाप्त तथा राजस्व शेष बनाये रखना चाहिए और आगे भी इस अधिशेष को जारी रखना चाहिए। फिर 2005 में हमने जो किया है, वह 31 मार्च, 2009 तक राजस्व घाटा शून्य किया जाएगा और उसके बाद में 2011 तक था, 2011-12 में शून्य राजस्व घाटा प्राप्त किया जाएगा और तत्पश्चात अब इसी तरह से राजकोषीय घाटा जो 11वां वित्त आयोग कह रहा है, 12वां और 13वां जो कह रहा है, उसमें इससे कहीं मेल

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

नहीं खा रहा है। ऋण के बारे में भी जो 12वां वित्त आयोग कह रहा है, वित्तीय वर्ष 2009-10 की समाप्ति पर राज्य का ऋण जी.डी.पी. अनुपात 30.8 प्रतिशत तक होना चाहिए। यह 12वें वित्त आयोग की सिफारिश थी। 13वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में था कि 2014-15 तक राज्य का ऋण जी.डी.पी. अनुपात 25 प्रतिशत होना चाहिए। तो उन्होंने जो सजेस्ट किया, वह 25 प्रतिशत सजेस्ट किया था 2014-15 तक और 2009-10 तक उन्होंने 30 प्रतिशत किया। आपने यह 39.3, 38.3, 37.3, 36.5, ये फिगर आपने किस आधार से और कौनसी किताब से और किस तरह से निकाले, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैं, अध्यक्ष महोदय, बहुत विनम्रता से प्रार्थना कर रहा हूं क्योंकि 13वें वित्त आयोग की जो रिपोर्ट है वह हमारे पास उपलब्ध नहीं है, हमने कोशिश की इधर-उधर से कुछ उसके फिगर्स निकालने की लेकिन हम उस फिगर को नहीं निकाल पाये। एक बार तो आप यह ज्ञानवर्धन कर दो तो फिर आगे अपन चलते हैं कि इसके पीछे आपकी मंशा क्या है। यह फिगर यह जो आपने परसेंटेज निकाला है जी.डी.पी. का, यह कहां से लिया, कैसे लिया, क्या इसके पीछे परपज था, यह बतायें तो ज्ञानवर्धन होगा और चर्चा में ठीक प्रकार से भाग ले सकेंगे।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन मैं भी कर दूं। आप जो बात बोलेंगे, आप हमें यह भी बता दें, अगर आपने इस फिगर को कंसोलिडेट करके परसेंटेज आपने निकाला है ना, आपने एक फार्मूले का इस्तेमाल किया होगा जो आप चाहें तो आप गैलेरीज से इस बात को पूछ लें, जिस फार्मूले को इन्होंने डिफाइन किया है, 13th Finance Commission has defined that formula, जहां कि आपको डिराइव करना है फिस्कल कंसोलिडेशन में, that is $B_t=f_t(1+g^*_t)(1+g^*_{t-1})PE_{t-2}$ आप समझा दें कि आपने इसको किस तरह से डिफाइन किया है। Here B_t stands for net borrowing limit for year "t". 't' will be the corresponding year. अब आप कोरस्पोंडिंग ईयर को प्रीसीडिंग ईयर्स से कम्पेयर करेंगे या प्रीसीडिंग ईयर्स को कोरस्पोंडिंग ईयर से कम्पेयर करेंगे तो नोशनल वैल्यू लेंगे, प्रोविजनल वैल्यू लेंगे, एक्चुअल वैल्यू लेंगे जिससे आपको जी.एस.डी.पी. का एक्चुअल वोल्यूम पता लगे, जिससे आप उसको परसेंटेज कर सकें। और 'f_t' is supposed to be "prescribed fiscal deficit for year 't' …" now 't' is the current year that you will be saying … "….as a ratio to GSDP". अब आप इस चीज को डिफाइन किस प्रकार से करना चाहते हैं?

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

इसको डिफाइन करके आप परसेंटेज कैसे निकालेंगे? क्योंकि जिस क्लाज को आप अमेंड कर रहे हैं, वह बिलकुल सिम्पल सा वोल्यूम था कि रेवेन्यू रिसीप्ट्स से दोगुनी आपकी लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए। उसको अमेंड करके आप परसेंटेज में ला रहे हैं।

जी.एस.डी.पी. को, आप 2000 की जी.एस.डी.पी. को 2005 में बदल चुके हैं। यह बात मैं पिछली बार आपको कह चुका हूं कि जो 2000 में जी.एस.डी.पी. थी, जी.एस.डी.पी. का जो आंकड़ा जो 2000 में था, वह 2005 के बाद में 2000 का ही जी.एस.डी.पी. का आंकड़ा आपने बदल दिया। इस प्रकार से अगर आप बदलते हैं तो कौनसे फार्मूले का आप इस्तेमाल कर रहे हैं? यह जानकारी जब तक हमको पहले नहीं होगी तब तक आप आज कुछ भी फरमायें, हमारे पास में तथ्यात्मक जानकारी के अभाव में, हो सकता है, इस बिल के ऊपर अगर हम कोई विचार रखना चाहें तो शायद इस बिल के साथ में हम जस्टिस नहीं कर पायें। हम और किसी चीज की ओर निवेदन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इतना सा निवेदन कर रहे हैं। इस पर आप अपने विचार फरमायें। धन्यवाद।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि उदयपुर से आने वाले माननीय कटारिया साहब ने कहा कि यह फिगर कहां से लाये आप, यह 13वें फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट है, इसकी कापी मैं आपके पास भेज दूंगा, इसमें साफ लिखा हुआ है 2009-10 में 41.5 प्रतिशत, 2010-11 में 40.4 प्रतिशत। अब 2011-12 ले लें आप, 2011-12 से लेकर के 2014-15 तक ले लें, 2011-12 में फिगर दे रखा है बाकायदा 39.3 प्रतिशत जो मैंने अमेंडमेंट में दिया है और 2012-13 में 38.3 प्रतिशत, 2013-14 में 37.3 प्रतिशत और 2014-15 में 36.5 प्रतिशत, ये फिगर हैं। मैं इसकी कापी आपके पास भेज दूंगा। आपने कहा कि मेरे पास नहीं है, आप खुद तसल्ली से देख लें। (व्यवधान) यह तो जवाब आपकी बात का हुआ। जब 13वें वित्त आयोग की आपने कहा कि मुझे जानकारी नहीं है, मैं इसकी कापी आपके पास भिजवा दूंगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ठीक है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आपका जवाब, शाहपुरा से पधारने वाले माननीय सदस्य ने ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन के बाबत् कहा, जी.एस.डी.पी. के बाबत्, कि इसका आधार क्या है। कुल मिलाकर के इसके

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

तीन आधार हैं, इन तीनों आधारों पर किसी भी एक को आधार बनाकर, तीन आधार नहीं हैं, तीन बिंदु हैं, तो किसी भी एक को आधार बनाकर इसको आंका जाता है। 13वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के पैरा नम्बर 9.85 में दिये गये फार्मूले के अनुसार एनेक्सर-9.1 में प्रत्येक राज्य के ऋण भार के आने वाले वर्षों के लिये भी यह निर्धारित किया जाता है। पहला पाइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, राज्य के आर्थिक सांख्यिकी विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़े, यह पहला आधार है; दूसरा आधार है, 13वें वित्त आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट में अंकित किये गये अनुमानित आंकड़े; और तीसरा आधार है केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़े। इन तीनों में से कोई भी एक आधार को लेकर के आज की जी.एस.डी.पी. को आंका जाता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, तब तो मंत्री महोदय के स्पष्टीकरण के बाद मामला और ही उलझ गया है।

श्री अध्यक्ष: और उलझ गया?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, यह इसलिये उलझ गया...

श्री अध्यक्ष: नहीं उलझ गया या उलझा रहे हो?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): दोनों ही हैं।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): पूरा उलझा था, अब और उलझ गया। अब और ज्यादा उलझ गया।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): पूरा उलझा था, और उलझ गया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): दोनों ही उलझ गये। इसमें और उलझ गया। (व्यवधान) अब और उलझ गया है। मैं उदाहरण दे रहा हूं, आप देखो। तीन आप संशोधन लाये। एक तो पहला संशोधन आप ले आये, वह तो आपको डर रहता है हमेशा, माननीय मुख्य मंत्रीजी को डर रहता है कि मेरे मुख्य मंत्री बनते ही बरसात नहीं होगी, यह डर रहता था पहले, अब तो वह डर खतम हो गया। माननीय मुख्य मंत्रीजी को यह डर रहता था कि मैं मुख्य मंत्री बन गया तो बरसात नहीं होगी, तो वह निकल गया।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अबकी उल्टा हो रहा है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): वह डर निकल गया तो पहला बिल तो यह लाये, संशोधन इसमें कि अगर किसी प्रकार प्राकृतिक आपदा के कारण, यह रहा, पहला लाये, किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण से अगर इसको

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

बढ़ाना पड़े तो हम बढ़ाएंगे, यह पहला लेकर आये; उसके बाद यह दूसरा अभी गुलाबजी ने कहा, वह लेकर आये; तीसरा अब आप यह लेकर आये हो।

अब आपने जो स्पष्टीकरण दिया उसमें दो बात हैं, एक तो जी.एस.डी.पी. का 39.3 परसेंट, एक हमारी जो संचित निधि है, उसका दुगना। आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो इस बिल की उपादेयता ही खतम हो जाएगी। जो संचित निधि का दुगना है, वह 64 हजार करोड़ के अनुसार हमारी एक लाख 28 हजार करोड़ तक की ऋण की सीमा थी, उसको आप एक लाख 5 हजार को क्रास कर चुके हो, और 15 हजार करोड़ रुपए साल का आपको लेना पड़ता है। अब जो यह संशोधन ला रहे हो 2010 में 2 लाख 55 हजार 412 करोड़ आपकी जी.एस.डी.पी. है, इसका 39.3 परसेंट निकालोगे तो वह एक लाख 28 हजार करोड़ से भी कम होगा। तो आप यह लाये किसलिए हो, महाराज? इसका जवाब नहीं है आपके पास। इसलिए ...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): जवाब दूंगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, देंगे आप जवाब। होशियार आदमी हैं, दे देंगे, आपकी चतुराई का मैं कायल हूं लेकिन मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि यह राज्य के सारे वित्तीय ढांचे से संबंधित है और हम इस पर अच्छी तरह से सरकार की मदद करना चाहते हैं। हम इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहते। इसलिए हम चाहेंगे कि आप या तो इसको डिस्कस कर लें या इसको प्रवर समिति को भेज दें। हम चाहते हैं कि यह बिल बहुत अच्छी तरह से रहे, हम इस पर कोई वाद-विवाद पैदा नहीं करना चाहते लेकिन हम समझना चाहते हैं कि ये दोनों आकड़े जो मैं आपको दे रहा हूं, उसके बाद में इस बिल की उपादेयता नहीं रहती।

माननीय मुख्य मंत्रीजी, आप तो स्वयं समझदार हैं। आप जरा इसको एक बार देख लें कि 2 लाख 55 हजार 412 करोड़ की हमारी जी.एस.डी.पी. है और 64 हजार करोड़ की हमारी संचित निधि है। यह दोनों का जो आप, इसका डबल करेंगे और इसका 39.5 परसेंट करेंगे तो एक लाख 28 हजार करोड़ तक की सीमा हमको अभी भी प्राप्त है। इसलिए आप बिना मतलब यह 13वें वित्त आयोग के कारण से केवल और यह आप बजट के टाइम पर भी ला सकते थे और ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मेंडेटरी थोड़े ही है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, और यह मेंडेटरी है नहीं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप ...(व्यवधान) मेंडेटरी का प्रावधान आपने पहले से ही कर रखा है कि जो बिल आपने प्रस्तुत किया कि ''राष्ट्रीय सुरक्षा, सूखा को सम्मिलित करते हुए प्राकृतिक आपदा या राज्य सरकार के नियंत्रण से परे की ऐसी अन्य अपवादिक परिस्थितियों से राज्य सरकार को वित्त पर उत्पन्न होने वाली अकल्पित मांगों के आधार पर, आधारों के कारण विकास और राज्य अपरिहार्य व्यय के कारण केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर उप-दर्शित इस धारा के अधीन निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक हो सकेगा।'' इस धारा के अधीन जब सीमाओं से अधिक हो सकेगा, यह दोनों को जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर इस बिल को लाने की उपादेयता क्या है?

तो हम सब मिलकर, अगर यह सलेक्ट कमेटी में जाएगा तो अपन इस पर विचार कर लेंगे ठीक से और विचार करके जो भी उचित लगेगा, जो भी चाहे कारण से, हम सब कारणों पर विचार कर लेंगे। क्योंकि तीन महीने में, चार महीने में इसकी कोई उपादेयता है नहीं। हमने तो जब हमारी सरकार थी, उस समय शून्य की स्थिति ला दी थी। इसलिए 2011-12 की भी कोई जरूरत नहीं है आपको कहने की, फिर आपने बजट में घोषणा कर दी, हमारे समय में भी राजस्व घाटा शून्य आ गया था। इसलिए हमने तो काम पूरा कर दिया था। इसलिए आप ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप अपनी बात कह चुके हो?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, कह चुका।

श्री अध्यक्ष: तो अब और माननीय सदस्यों को मौका दे दूं बोलने का?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): 1 लाख 5 हजार करोड़ ले चुके हो। यह तो ले चुके हो, 39 परसेंट से ज्यादा तो पहले ही ले चुके हो। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अभी बिल पर डिस्कशन नहीं है। यह तो प्रारम्भिक जो उन्होंने रखा है, हमने उस पर संदेह प्रकट किया है। बिल पर तो तब आएंगे जब उसके बारे में चर्चा करेंगे। नहीं, निश्चित रूप से ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: वह समझ रहा हूं। बिल पर आ जाओ न अब आप। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): वह तो आप अगर लाओगे तो आना ही पड़ेगा, मजबूरी है लेकिन समझना चाह रहे हैं इससे कि ऐसी कौनसी मजबूरी आ गयी। 13वां वित्त आयोग आपके ऊपर मेंडेटरी नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): आप जबरदस्ती क्यों उलझ रहे हो, मैं यह नहीं समझ पाया हूं। हम अपनी वास्तविक आर्थिक स्थिति क्या है और उसके कारण से हमको कर्जे में कहां दिक्कत आ रही है जिसके कारण से हम इस 13वें वित्त आयोग को आधार बनाकर उसको लागू करने के लिए हम यह सारा का सारा अमेंडमेंट लेकर आये हैं? केवल यह एक प्रारम्भिक जानकारी होगी तो डिस्कशन ठीक प्रकार से हो पाएगा। जद्दोजहद करने का नहीं, हमारा मन भी समझने का है कि अगर हम कहीं समझने में भूल कर रहे हैं तो हम उसको समझने को तैयार हैं। निश्चित रूप से, 13वां वित्त आयोग आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप इस प्रकार से करो लेकिन हमारी यहां की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसको करने की क्या ऐसी मजबूरी आ रही है जिसके कारण से हम इसको कर रहे हैं? इसलिए मैं चाहता हूं कि आप एक बार..., वास्तव में, माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा निर्णय आप करेंगे उसके अनुसार ही कार्यवाही होगी लेकिन इसको समझने के लिए भी, यह मैं आपको निश्चित रूप से कहता हूं कि इस माननीय सदन के जितने भी सदस्य हैं, इसकी पेचीदगियों को समझना बहुत आसानी से सम्भव नहीं हो रहा है। बहुत कोशिश करने के बाद भी, रात को पता नहीं, इतने कहां-कहां से कागज कलेक्ट करने के बाद भी हम अभी तक उस टार्गेट पर नहीं पहुंच रहे हैं कि इसको लाने की ऐसी क्या एकदम आवश्यकता हो गई या आप ऐसी कौनसी आर्थिक दृष्टि से दिवालियेपन पर जा रहे हो जिसके कारण से आपको सीमा बढ़ाना बहुत ही आवश्यक हो गया। यह सारा का सारा पता तो लगे कि क्या है यह। समझ में नहीं आता, चाहते क्या हैं ये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सलेक्ट कमेटी को भेज दो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): नहीं, काहे को भेज दें सलेक्ट कमेटी को? अभी तो आप एक बिल पर कहते हो कि परसों ले लो, फिर इसको कहते हो कि सलेक्ट कमेटी को भेज दो, तीसरे को कहोगे कि जन मत को भेज दो। करना क्या चाहते हो? मंशा क्या है? आप सुनो न। आपने जो सवाल उठाये हैं, उनका मैं जवाब दूंगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आपकी मदद करना चाहते हैं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैं आपको संतुष्ट करने की कोशिश करूंगा। निश्चित तौर पर आपको संतुष्ट करने की कोशिश करूंगा। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, करिए; करिए।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आपने यह पूछा कि, साहब, इसको लाने की आवश्यकता क्या पड़ी। इन संशोधनों के बाद राज्य को निम्न प्रकार से तीन लाभ होंगे, इसलिए लाया जा रहा है। जो आपने कहा कि मेंडेटरी नहीं है, मैं भी स्वीकार करता हूं कि मेंडेटरी नहीं है, रिकमंडेटरी है; रिकमंडेटरी है लेकिन कई बार रिकमंडेटरी को भी मान लेना प्रदेश के अगर हित में है तो निश्चित तौर पर उसी के अनुसार कार्यवाही की जाती है। पहला फायदा जो होगा इससे, वह यह होगा कि 13वें वित्त आयोग की यही सिफारिश है कि इसके अन्तर्गत प्राप्त होने वाले 1200 करोड़ रुपया, स्टेट-स्पेसिफिक-ग्रांट प्रदेश प्राप्त करने का हकदार हो जाएगा। 1200 करोड़ रुपया। दूसरी बात यह कि नेशनल स्माल सेविंग्स फंड से प्राप्त ऋणों पर 5 वर्षों में लगभग 831.27 करोड़ रुपये की ब्याज में छूट प्राप्त करने का अधिकार हो जाएगा प्रदेश को और तीसरा है, वित्त मंत्रालय को छोड़कर अन्य मंत्रालयों और विभागों द्वारा स्वीकृत लगभग 273 करोड़ रुपए के बकाया ऋण के राइट-आफ होने का लाभ प्राप्त हो जाएगा। यह तीन बातें हैं, इन तीन बातों के कारण से हम यह अमेंडमेंट लाना चाहते हैं जो प्रदेश के हित में है। अगर इस पर भी आप एतराज करेंगे तो मैं यह समझता हूं कि मेरे दिल को दुःख होगा कि प्रदेश के हित में अपने को सोचना चाहिए कि अपने को क्या करना चाहिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): एतराज नहीं है, समझना चाह रहे थे, एतराज का सवाल तो बाद में आएगा, अभी एतराज का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि हम लोगों ने 12वें वित्त आयोग की इस बात को मानते हुए कि हमारे रेवेन्यू रिसीप्ट्स माइनस में हैं, यह नहीं रहकर यह प्लस में आना चाहिए और जब प्लस में हमारे टाइम में आ गया तो हमको 300 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा इसी कारण से मिला कि आपने रेवेन्यू रिसीप्ट्स को बढ़ा लिया, रेवेन्यू प्लस में हम आ गये। आपके इन तीन बजटों में हम वापस रेवेन्यू माइनस में चले गये, हमारा रेवेन्यू रिसीप्ट्स घट रहा है। तो हमको जो एडवांटेज मिलने वाला है, उसकी और कई शर्तें हैं। केवल इसी कारण से नहीं, 1200 करोड़ रुपया

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

और 900 करोड़ रुपया देखकर आप यह बताओगे, तो उसके बाद बाकी कुछ मापदंड भी हैं, जिनकी पूर्ति आप करोगे तो आपको एक्स्ट्रा पैसा केन्द्र सरकार से एक्स्ट्रा मदद में मिलेगा। हमारा तो जो 300 करोड़ रुपये का हक था, रेवेन्यू को जो हम प्लस में ले आये थे, वह रेवेन्यू रिसीप्ट्स भी आपके इन तीन बजटों में माइनस में चले जाने के कारण से वह जो एक्स्ट्रा पैसा हमको मिला, वह भी रुक गया।

तो आप इससे कैसे क्या, हम तो समझ नहीं पा रहे हैं। या तो हो सकता है कि हमारी समझ नहीं है या हमें इसमें जितना समय मिलना चाहिए, उतने के अभाव में इसको ढूंढ नहीं पा रहे हैं, आंकड़ों को और उसके आंकड़े नहीं ढूंढने के कारण से हो सकता है कि कहीं गलती हो रही हो। मैं सोचता हूं कि इतना जल्दी करके, इससे अगर स्टेट को 1200 करोड़ रुपए और 800 करोड़ रुपए का फायदा है तो हम आपको पूर्णतः सपोर्ट करेंगे स्टेट के हित में। हमारी कोई यह पक्ष और प्रतिपक्ष का सवाल नहीं है। स्टेट के हित में आप जो भी चाहेंगे, उससे हमारी सहमति हमेशा रहेगी लेकिन समझने के लिए, समझना चाह रहे हैं कि आखिर क्या ऐसी मजबूरी आयी। जो हमें मिलना चाहिए, वह तो मिल नहीं रहा है और हम इस आगे के लिए और जा रहे हैं। तो इसका मतलब या तो हम अधिक कर्जा लेने के लिए जो रास्ता है, उसको और बढ़ाना चाह रहे हैं ताकि हम अपने, वह भी नहीं बढ़ रहा है ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): वह भी नहीं बढ़ रहा है।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। मंत्री महोदय, एक बात आप फरमा दें, हमारे पास में 2011-12 के तो आंकड़े नहीं हैं क्योंकि 2011-12 का तो वित्तीय वर्ष चल रहा है लेकिन 2010-11 तक के आपके आंकड़े हैं। आपकी रिवाइज्ड एस्टिमेटेड टोटल लायबिलिटीज 99,054 करोड़ हैं, उसके अगेंस्ट में जो हमारा जी.एस.डी.पी. है, वह 3 लाख 3 हजार 358 है। तो आलरैडी 32.65 परसेंट पर तो

(12.19 बजे)

(मेजर ओ.पी. यादव, सभापति, पदासीन)

हम काम कर रहे हैं, इस 32.65 से आप इस वर्ष को 39.3 पर ले जाना चाह रहे हैं और आपका रेशो निरन्तर घटता जा रहा है टोटल लायबिलिटी जी.एस.डी.पी. का निरन्तर घटता जा रहा है। 2004-05 में 46 था, यह घटता-

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

घटता 2010-11 में रिवाइज्ड एस्टिमेट्स सही हैं तो 32.65 पर आ गया। आपके अगर बजट एस्टिमेट्स 1 लाख 7 हजार 117 रहते हैं और यह 3 लाख 358 को अगर हम कांस्टेंट मान लें, तब भी यह 33-34 से ऊपर ही जायेगा, 39.3 आप क्यों कर रहे है? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं 2 महीने, 3 महीने में आप अच्छी तरह से विचार करवा लें; आपको मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, आप अच्छी तरह विचार कर लें और विचार करवाकर आप चाहें जैसा लायें, हम राजस्थान सरकार की, राजस्थान की जनता के हित की बात कर रहे हैं। हम आपकी कोई आलोचना नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इतना निवेदन कर रहे हैं कि फिस्कल प्रूडेंस और फिस्कल डिसिप्लिन को ध्यान में रखते हुए आप और हम बैठकर इस पर विस्तृत चर्चा कर लें। कुछ लोगों द्वारा हमको पहुंचाया हुआ दस्तावेज और आंकड़ा सिर्फ इसलिये अच्छा लग रहा है कि केन्द्र सरकार से हमें कुछ और धन मिल जायेगा। तो मैं फिर पूछना चाहता हूं, यह आपकी ही रिपोर्ट है स्टेट आफ फाइनेंस, इसमें आपने इसी रेग्युलेटरी कमेटी का, इसी रिकमंडेटरी कमेटी का दो वर्ष से बराबर उल्लंघन किया है। जहां आपको 4 परसेंट तक का रिलक्सेशन था, आपने उसके बावजूद फिस्कल डेफिसिट को 4 परसेंट से ऊपर जाने दिया। आपने एक बार 308 करोड़ रुपये खोये। 308 करोड़ रुपये जो पहले दे दिये, आज सी.ए.जी. कह रहा है, गवर्नमेंट आफ इंडिया वापस मांग रही है। तो जब हम उल्लंघंन ही कर रहे हैं तो ऐसी कौनसी बाध्यता है कि एक दिन में, एक घंटे में इसको हम पास करायें? आप कम से कम एक महीने का समय देकर कमेटी को बाध्य करके इसको ढंग से तो करें। सदन के पास में एक यही अधिकार है; बाकी सारे अधिकार संविधान ने निहित कर रखे हैं लेकिन वित्त व्यवस्था का अधिकार इस सदन का अधिकार है। यहां जितने लोग-बाग़ बैठे हैं, उनके पास संवैधानिक अधिकार है, पैसे का उपयोग और पैसे के उपयोग से राजस्थान की जनता पर कर्ज का अधिकार अगर किसी को है तो इस सदन को है। कम से कम सदन से यह अधिकार तो आप मत छीनो। पार्टी लाइन से व्हिप जारी कर-करके आप बिल पास करवा लेंगे, लेकिन याद रखें, जनता का व्हिप बहुत बड़ा व्हिप है। जनता के वैभव के लिये और जनता की सोच के लिये हम यह चाहते हैं कि इसको आप कमेटी के पास में भेजें, लेजिस्लेटिव कमेटी बैठकर विचार कर लें, यह हमारा आपसे निवेदन और आग्रह है।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, बड़ी सिम्पल बात है, आपने कहा थर्टींथ फाइनेंस कमीशन ने हमको रिकमंडेशन दी और कहा कि तीन चीजों में आपको फायदा मिलेगा। आप डैट : जी.डी.पी. रेशो इस रेशो में रख सकते हैं, अच्छी बात है। यह हम लाये क्यों हैं? जिसका हम अमेंडमेंट लाना चाहते हैं, उस कानून का नाम है फिस्कल रेस्पांसिबिलिटी; फिस्कल कंसोलिडेशन की दिशा में प्रदेश को किस प्रकार से बढ़ाया जाये, फिस्कल डिसिप्लिन किस प्रकार मेंटेन किया जा सके, फिस्कल प्रोफ्लिगेसी को किस प्रकार से कम किया जा सके और इन सारी चीजों के लिये कानूनी बाध्यता राज्य सरकार पर किस प्रकार लागू की जाये, इसके लिये कानून बनाया गया। आप कह रहे हैं, यह कानून ने कहा, फाइनेंस कमीशन ने कहा कि यह 39.3, 38.3, 37.3 और 36.5 आपका जी.एस.डी.पी. रेशो होना चाहिये, डैट आपका जी.एस.डी.पी. का इतना परसेंट होना चाहिये। अभी राव साहब फरमा रहे थे, ये सही कह रहे थे। आप उल्टा क्यों जाना चाहते हैं? दरअसल राजस्थान को इस अमेंडमेंट की दरकार नहीं है और दरकार इसलिये नहीं है कि राजस्थान का डैट: जी.एस.डी.पी. रेशो आलरैडी 32 प्रतिशत है। 2010-11 में आप बात कर रहे हैं 39, 38, 37, 36 पर जाकर पहुंचेंगे 2014 में, माननीय सभापति महोदय, 2010-11 में अपन तो बहुत कम हैं। यह प्रोविजन जिनके लिये प्रेस्क्राइब्ड है, रिकमंडेशन है, यह दरकार ही नहीं है और इतनी दरकार ही नहीं है। आपका तो जी.एस.डी.पी. रेशो 32 प्रतिशत है, इतना कम है। आप इसको बढ़ाना क्यों चाहते हैं? तेरहवें फाइनेंस कमीशन ने आपको यह थोड़े ही कहा कि अगर आपकी परफोर्मेंस ठीक चल रही हो और बी जे पी की मेहरबानी से ठीक चल रही हो, रेवेन्यू अकाउंट डेफिसिट खतम हो गया था तो चूंकि उसको उल्टा करना बहुत जरूरी है, उसको बढ़ाकर 36 पर लाना जरूरी है, आप उल्टा क्यों करना चाहते हैं? 39 पर क्यों पहुंचना चाहते हैं? 32 से 39 पर क्यों जाना चाहते हैं? जबकि राजस्थान के अन्दर डैट: जी.एस.डी.पी. रेशो के घटने का ट्रेंड जारी है, अपने आप जारी है। तेरहवें फाइनेंस कमीशन के बिना जारी है तो उसकी प्रोप्राइटी क्या है? यह हम फिस्कल डेफिसिट पैदा करना चाहते हैं या फिस्कल एनार्की पैदा करना चाहते हैं? 32 प्रतिशत से हम ऊपर ले जाना चाहते हैं। अगर आप यह अमेंडमेंट लाये तो राजस्थान जिस फिस्कल कंसोलिडेशन के ट्रेक पर है, उस ट्रेक से उतारने की आपकी मंशा है। इसकी कोई प्रोप्राइटी नहीं है। फाइनेंस कमीशन की रिकमंडेशन उन स्टेट्स के लिये है, जो इससे नीचे परफोर्म कर रहे हैं। इसलिये इस अमेंडमेंट की कोई दरकार नहीं है, इसकी कोई प्रोप्राइटी नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हम तो सब संतुष्ट हो गये, आपको देखते ही संतुष्ट हो जाते हैं। आप तो एक बात का जवाब दे दें कि 13वें वित्त आयोग की सिफारिश के हिसाब से हमको जो विशिष्ट सहायता मिलती है, वह कब रिलीज होनी थी? नम्बर एक। यदि हम हमारे बजट के समय पर अगर संशोधन ले आते तो हमको मिल जाती कि नहीं मिल जाती? नम्बर दो यह है कि 2007-08 में हम सरप्लस में देकर गये थे, उसके बाद में अगर आप संशोधन ले आते, आप तो रेवेन्यू घाटे में चले गये, इसके कारण से कितना नुकसान हो गया? इस प्रकार से यह जो लापरवाही हुई है जिससे हमको पैसा रिलीज नहीं हुआ, मुख्य मंत्रीजी, उसके लिये कौन जिम्मेदार है ? यह बिल तो हम पास करना ही चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हर प्रकार से आपकी मदद करें लेकिन यह जो दो महत्वपूर्ण पाइंट हैं कि हम बजट सत्र के समय अगर यह संशोधन लेकर आते तो हमको अब तक तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिश का पैसा मिल जाता। वह पैसा हमको नहीं मिला, उसके लिये कौन जिम्मेदार है?

इसलिये हम चाहते हैं और इसमें हम आपकी मदद करना चाहते हैं, तेरहवें वित्त आयोग के आधार पर या तो इसको बैठकर तय कर लें। मैंने स्वयं ने रात को जागकर इसको पूरा निकाला। मैंने लिस्ट आफ इंडेक्स जी.एस.डी.पी. निकाली, यू.एस. डालर में इसमें है, उसकी भी गिनती की। थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती है मुझे, तो मैंने उसकी गिनती करने की कोशिश की तो हम 2 लाख 55 हजार 412 करोड़ रुपये पर पहुंचते हैं और उसी प्रकार से हमारा जो एक्सपेंडिचर निकला, जो हमारी टोटल संचित निधि है, वह 63,998.82 करोड़ की बैठती है। अब इसमें दुगना करें या 39.5 लायें, इन दोनों में स्थिति बराबर सी है। तो नुकसानदायक काम क्यों करें? इसलिये हमको इसमें काम करना है, जिसमें तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिश पर हमको पैसा मिल जाये, इसलिये हम मिल-जुलकर अगर इस बिल को ठीक कर लेते हैं, आज कर लें, कल कर लें, सलेक्टी कमेटी को भेजकर कर लें, कैसे भी कर लें तो हम इसको करने के लिये आपकी मदद करने के लिये तैयार हैं। आप इतनी सी बात पर विचार कर लें, हम इसलिये उठा रहे हैं, नहीं तो रात को जाग-जागकर किसलिये तो इंटरनेट में निकालते, क्यों यह माइक्रो इकोनोमिकस सिचुएशन पढ़ते, लिस्ट आफ इंडियन स्टेट्स पढ़ते? सारा पढ़कर यह काम किया है। रात को ही तो यह बिल मिला था। तो हम चाहते हैं कि आप इस पर ठीक ढंग से विचार कर लें। बाकी अभी भी विचार करना चाहें तो आप विचार करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन हम चाहते हैं कि इसको ठीक ढंग से करेंगे तो स्टेट के इंटरेस्ट में होगा।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): सभापतिजी, इस सरकार में दो साल से एग्रीकल्चर की तुलना में इंडस्ट्री की जो ग्रोथ रेट है, वह नीचे चली गयी। इसके खतरे को भांपकर ऐसा करना चाहते हैं। अच्छा ये होता कि एग्रीकल्चर की, इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट बढ़ा देते तो जी एस डी पी बढ़ जाती और हमें ये और बातें मिल जातीं। यह पाजीटिव काम हमको करना चाहिये। यह तो भगवान की कृपा है, यह इन्द्र भगवान की कृपा है, इस कारण से एग्रीकल्चर ग्रोथ साढ़े चार प्रतिशत चली गयी। इंडस्ट्री की ढाई प्रतिशत से नीचे जा रही है, वह और नीचे चली जायेगी। ये रोज घोषणाएं करते हैं। एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट को और इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट को आगे बढ़ायें, इनको अपने आप और ऋण लेने की सुविधा मिल जायेगी। 32 प्रतिशत पर काम चल जायेगा। इनको यह पाजीटिव कदम उठाना चाहिये, इनको ये नकली सहारे नहीं लेने चाहिये। पिछली बार भी पांच हजार करोड़ खर्च ही नहीं किये इन्होंने। ये 1,200 करोड़ रुपये के लिये कह रहे हैं, हमारी ओपिनियन आई है, उसको नहीं मान रहे हैं। मेरा निवेदन है कि आप ये जो नकली सहारे ले रहे हैं, इनका सहारा मत लीजिये, आप तो ग्रोथ रेट को बढ़ाइये। आपकी जी एस डी पी बढ़ेगी तो अपने आप ही आपको खूब सुविधाएं मिल जायेंगी, ऐसी मेरी प्रार्थना है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब समाप्त करें। विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। श्री गुलाबचन्द कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): सभापति महोदय, मैंने शुरू में ही इस बात के लिये आग्रह किया था लेकिन सरकार शायद यह सोचती है कि इसमें अच्छी बात को मान लेना या उस पर फिर से विचार करना हमारा एक तरह से अपमान है। ऐसा मानकर के विचार करने की इच्छा है तो कोई नहीं, जैसा आप करेंगे, लौटकर के फिर आयेंगे।

जिस प्रकार आपने देखा होगा कि पहले से लगातार बढ़ती देनदारियां, राजस्व राजकोषीय घाटे में उत्तरोत्तर हो रही वृद्धि के कारण अर्थव्यवस्था में असंतुलन का खतरा बढ़ रहा था। अतः राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे में कमी करने के साथ-साथ ऋण प्रबन्धन और विवेकपूर्ण उपयोग और सरकार के वित्तीय कार्यकलापों को पारदर्शी और बेहतर बनाने के लिए यह आप एफ आर बी एम एक्ट जो लाये हैं, केन्द्र ने 2003 में ही इसको पास कर दिया था। उसके उन्होंने तीन आधार जो बनाये हैं, एक तो मध्यावधि राजकोषीय नीति

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

विवरण, तीन प्रकार के परिपत्र पेश किये जो कि एफ आर बी एम एक्ट के तहत मूल्यांकन पर आधारित हैं, पहला मध्यावधि राजकोषीय नीति वितरण, दूसरा राजकोषीय नीति कार्य योजना विवरण और तीसरा वृहद् आर्थिक रूपरेखा विवरण।

राज्य स्तर पर जो आपका आ रहा है, मैंने आपको सारे आंकड़े इसलिए बताये थे कि हमारी वास्तव में जो स्थिति है, मैंने कहा कि वित्त आयोग की एफ आर बी एम एक्ट के अनुसार निर्धारित लक्ष्य हमारे पहले से ही तय थे। मैंने बताया था कि बारहवें वित्त आयोग में 2008-09 तक राजस्व घाटा समाप्त करना था और हमने 2007 में ही राजस्व घाटा समाप्त कर लिया था। हम अच्छी स्थिति में आ गये थे और उसके कारण से हमको केन्द्र से तीन सौ करोड़ रुपया एक्स्ट्रा मिला था। तेरहवें वित्त आयोग में उन्होंने हमको और छूट दे रखी थी। 2011-12 तक राजस्व घाटा समाप्त करना था, राजस्व शेष बनाये रखना चाहिए और आगे भी अधिशेष को जारी रखना चाहिए था। हमने मई, 2005 में जो जारी किया, उसमें 31 मार्च, 2009 तक राजस्व घाटा शून्य किया जायेगा और हमने मार्च, 2011 में जो जारी किया, उसमें था 2011-12 से शून्य राजस्व घाटा प्राप्त किया जायेगा और तत्पश्चात् इसे बनाये रखा जायेगा तथा राजस्व अधिशेष प्राप्त किया जायेगा। यह तो थी हमारे राजस्व घाटे की पोजिशन।

फिर राजकोषीय घाटे के बारे में हमारे बारहवें वित्त आयोग और तेरहवें वित्त आयोग की स्थिति क्या, हमने इसके बारे में क्या किया, बारहवें वित्त आयोग में राजकोषीय घाटा तीन प्रतिशत सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में अथवा उसके समकक्ष लाना चाहिए, हम तीन परसेंट के आसपास थे और उससे भी कम थे। 2011-12 तक राजकोषीय घाटा तीन प्रतिशत सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत रूप में स्तर पर लाना चाहिए और आगे भी इसी सीमा पर रखा जाना चाहिए। फिर इसके बाद 31 मार्च, 2009 तक राजकोषीय घाटा तीन प्रतिशत तक किया जायेगा और उसके बाद 2011-12 में फिर था, यह तीन प्रतिशत तक लाना और फिर बाद में इसे बनाये रखना। यही हमारे डायरेक्शन थे।

ऋण के बारे में भी इसी प्रकार का हमको निर्देशन था। वित्तीय वर्ष 2009-10 की समाप्ति पर राज्य ऋण जी एस डी पी अनुपात 30.8, यह हमारे

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

बारहवें वित्त आयोग का था, 30.8 प्रतिशत तक लाना चाहिए। तेरहवें वित्त आयोग की जो सिफारिश थी, वह थी कि 2014-15 तक राज्य का जी एस डी पी अनुपात 25 प्रतिशत तक आना चाहिए। अब इस 25 प्रतिशत को हमने 2014-15 तक ले जाकर 36.5 तक हमने किया, जो कि तेरहवें वित्त आयोग की रिकमंडेशन के अनुसार 25 तक लाना था। फिर इसके बाद राज्य की कुल देनदारियां ऋण, लोक खाता, और राशि को जोड़कर किसी एक वर्ष में राज्य की संचित निधि की अनुमानित प्राप्तियों की दुगनी से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसको भी अपन पार कर रहे हैं। वितीय वर्ष 2013-14 की समाप्ति पर राज्य का बकाया दायित्व सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 31.81 प्रतिशत तक रहना चाहिए।

अब इसमें ब्याज और देनदारियों के बारे में था, वह भी ग्यारहवें वित्त आयोग ने आपको बांधा हुआ था। वित्तीय वर्ष 2009-10 की समाप्ति तक राज्य की ब्याज अदायगी राज्य की कुल राजस्व प्राप्ति के, कुल राजस्व प्राप्ति के 15 प्रतिशत तक होनी चाहिए। वित्त आयोग की जो मंशा है, वित्त आयोग का अगर अपन पालन करते हैं तो अपना काम इसमें से निकल जाता है।

अब हम जो अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं, हमने पहले ही दो अमेंडमेंट 'ए' और 'बी' में कर दिए और 'सी' का अमेंडमेंट हम लेकर आ रहे हैं। सी यह था कि "(c) ensure that total outstanding debt, excluding public account, and risk weighted outstanding guarantees in a year shall not exceed twice of the estimated receipts in the Consolidated Fund of the State at close of the financial year." यह था कि डबल से ज्यादा नहीं हो। अब आप जो अमेंडमेंट ला रहे हो, वही तो मैंने आपको पढ़कर सुनाया अभी, इस अमेंडमेंट में जो फिगर दिया, उससे असर क्या होने वाला है, आप थोड़ा डिटेल समझायें तो समझ में आयेगा। आप यह जो परसेंटेज ला रहे हैं, पहले हमको डबल तक की ही सीमा थी, क्लाज 'सी' के अनुसार हम डबल तक ही रख सकते थे। अब आप जो अमेंडमेंट ला रहे हो, ''Amendment of Section 6, Rajasthan Act No. 7 of 2005. For the existing clause (c) of Section 6 of the Rajasthan Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005 (Act No. 7 of 2005), the following shall be substituted, namely:-…" यह आप इसमें नया जोड़ रहे हैं। पहले चोइस हो सकता था, अब आप इसमें परसेंटेज को ला रहे हैं। "(c) restrict its total outstanding debt upto 39.3, 38.3, 37.3 and 36.5 per cent of Gross State Domestic Product for the financial year 2011-12, 2012-13, 2013-14..." ''आप जो

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे फिगर बता रहे हो, वह कभी भी एक साल में नहीं आ सकता। इसका राइट फिगर तीन और चार सालों में आयेगा। टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्शन का जो फिगर आयेगा, वह एक साल में निकाल कर कोई नहीं बता सकता कि यह हमारा है। इसके लिए तीन साल तक अपने को वेट करना पड़ेगा, तब जाकर अपन सही फिगर पर पहुंच पायेंगे। तो मैं सोचता हूं कि जिस कारण से अपन कर रहे हैं, एक तो आप यह स्पष्ट करें कि हमारी आज की पोजिशन क्या है? आज 'सी' क्लाज के कारण से हम कहां घाटे में जा रहे हैं और यह अमेंडमेंट हमको इस कारण से करना पड़ रहा है? जो पहले से क्लाज 'सी' था उसमें डबल तक की सीमा थी, उसके कारण से हम कहां जाकर बाधित हो रहे थे? और इसको बदलने के कारण से हमारी सीमा क्या तो बढ़ेगी और क्या घटेगी?

सभापति महोदय, मेरा आपसे आग्रह है, हो सकता है, क्योंकि यह फाइनेंशिल मैटर है, इसको ठीक तरीके से एनालायसिस करना इतना आसान तो नहीं है लेकिन समझने के दृष्टिकोण से, अगर स्टेट के हित में इस अमेंडमेंट के कारण कोई लाभ हमको मिल रहा है तो आप सदन को इस बारे में समझायें कि पहले यह था और इस क्लाज के कारण से यह बाधा आ रही थी और अब इसकी जगह इस अमेंडमेंट को ला रहे हैं, इसके लाने से स्टेट को ये-ये लाभ विशेष होंगे, तो मैं सोचता हूं कि सदन का हर व्यक्ति संतुष्ट होगा और निश्चित रूप से, जहां केन्द्र से हमको मदद लानी है या हमारी जो कुछ भी कैपेसिटी है, वह बढ़नी है या अदायगी के बारे में हमको कुछ लाभ मिलना है तो स्टेट के हित में, पक्ष विपक्ष एक हैं, हम मदद करेंगे।

मैं सोचता हूं कि हम बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं और इसीलिए मैंने कहा कि इसको एक महीने के लिए परिचालित किया जाए, आप सलेक्ट कमेटी को दे दो, किसी भी एक कमेटी को सात दिन का समय दे दो, दस दिन का समय दे दो, वह इसका पूरा का पूरा विश्लेषण करे। तेरहवें आयोग की इतनी बड़ी रिपोर्ट को निकालना और पढ़ना, क्योंकि आपने तो हमको दी नहीं, तेरहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट को माननीय सदस्यों को आप उपलब्ध करवा देते या आप चोइस पर छोड़ देते कि जो लेना चाहें तो लाइब्रेरी से ले लें तो भी हम लेकर देखने का प्रयास करते, लेकिन हमने इधर-उधर से या इंटरनेट से जितना हम निकाल सकते थे, उतना हमने निकालने का प्रयास किया और उसके कारण से अभी भी हमारे समझ में नहीं आ रहा है। यह जो आपको लगा,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

''केन्द्र राज्यों के संयुक्त ऋण के सम्बन्ध में जी डी पी का 68 प्रतिशत लक्ष्य 2014-15 तक प्राप्त किया जाए। राजकोषीय के मार्ग में केन्द्र सरकार से वर्जित ऋण स्टाक 2014-15 तक जी डी पी के 45 प्रतिशत तक और राज्य के सम्बन्ध में 2014-15 तक जी डी पी का 25 प्रतिशत सतत कमी लाना है।'' तेरहवें वित्त आयोग की जो कुछ भी हमारे पास रिकमंडेशन हैं, उनको हम निकाल पाये, उससे तो हम यह समझे थे। मैं सोचता हूं कि इस बारे में जिद्द नहीं करनी चाहिए। यह विषय ऐसा नहीं है कि जिस पर पक्ष और विपक्ष हैं, राज्य के हित में हम सब एक पक्ष में हैं। इसको किसी भी तरह से, इसको आप रोकेंगे और सलेक्ट कमेटी को देकर फिर से इस पर आप डिसकशन करेंगे, जो भी इसके एक्सपर्ट हैं उनको बुलाकर समझेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे और राज्य के हित में जो कुछ भी होगा, इसलिए मैंने कहा कि इसको एक महीने के लिए परिचालित किया जाए। मेरा विश्वास है कि सदन मेरी इस बात पर गौर करेगा।

श्री सभापतिः श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, सदन में एफ आर बी एम एक्ट, 2005 की धारा 6 की उप धारा (क) और (ख) के संशोधन पर सदन विचार कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि यह संशोधन राजस्थान सरकार भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के निर्देश के अनुसार लेकर आयी है, पर इसके पीछे सरकार की जो मंशा है वह मुझे तो एक ही नजर आती है कि सरकार इस राजस्थान को और कर्ज में डुबाना चाहती है। क्योंकि अगर जी.एस.डी.पी. का और कर्जे का रेशो अगर हम देखें, आज हम 32 परसेंट पर खड़े हैं और, सभापति महोदय, यह जो तेरहवां वित्त आयोग है, जो संविधान के आर्टिकल 280 के अनुसार बना, जिसकी सिफारिशों पर सभी राज्यों को केन्द्रीय करों में अपना हिस्सा मिलता है और जिसके लिए अभी मंत्री महोदय कह रहे थे कि 1,200 करोड़ रुपये स्पेसिफिक ग्रांट मिलेगी; सभापति महोदय, उसकी आड़ के अन्दर यह इस जी.एस.डी.पी. और कर्जे के रेशो को बढ़ाकर राजस्थान को कर्ज में डालना चाहते हैं।

मैं आपका ध्यान उद्देश्यों और कारणों के कथन की तरफ दिलाना चाहता हूं। मंत्री महोदय, आपने खुद ने कहा है कि 2011-12 में कुल ऋण भार जी.एस.डी.पी. का 39.3 परसेंट, 2012-13 में 38 परसेंट, 2013-14 में 37

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

परसेंट और 2014-15 में 36.5 परसेंट, मतलब अगर यह आयेगा तो कम से कम सरकार इसका रोड मैप तो लेकर आये। आज हम 32 परसेंट पर खड़े हैं, आप इसको यकायक बढ़ाकर ले जायेंगे और 39.3 परसेंट कर देंगे तो आपका रोड मैप क्या है? आप चाहते क्या हैं?

सभापति महोदय, एक ओर यह तेरहवां वित्त आयोग राजस्थान के लिए सौगात लेकर आया क्योंकि सारे राज्यों का केन्द्रीय करों में हिस्सा बढ़ गया, जो पहले बारहवें वित्त आयोग में 30.5 था, वह 32 परसेंट हो गया। इसके अलावा, सभापति महोदय, तेरहवें वित्त आयोग ने राजस्थान के स्थानीय निकायों को 2011-12 के लिए 2 परसेंट और अनुदान देने का अभी तय कर लिया। अगर इन सारी चीजों को हम देखते हैं तो बारहवें वित्त आयोग की सिफारिश पर हमें मिले थे 9,233 करोड़ रुपये, जो तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिश पर 12,252 करोड़ रुपये, यानी इन रिकमंडेशंस से 33 परसेंट की बढ़ोतरी और आज हालत क्या है। आज सारी वित्तीय व्यवस्था चरमरायी हुई है, वित्तीय प्रबन्धन बेकाबू है। अगर आज जो वास्तव में कर्जा ले रखा है, सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा जिसको बाइबल कहा गया, उस घोषणा पत्र का जिक्र करूं तो उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार पर यह कहा था कि पूर्ववर्ती सरकार ने 79 हजार करोड़ के कर्जे का प्रदेश की जनता को भार दे दिया और 12,000 रुपये प्रति व्यक्ति कर्जा लादकर प्रदेश के लोगों के साथ अन्याय किया। अब अगर आज इनका हम रोड मैप देखें, 2004-05 में जो कुल कर्जा 60,134 करोड़ रुपये था, 2008-09 के अन्दर 84,24 हो गया और 2009-10 में 93,934 और 2011-12 में 1,10,605 करोड़, यानी अभी आपका मन भरा नहीं है। अगर, सभापति महोदय, इसके साथ हम उस ऋण को शामिल कर लें जो विद्युत कम्पनियों ने लिया, अन्य स्थानीय निकायों ने लिया, जे.डी.ए. ने लिया, म्युनिसिपल कारपोरेशन ने लिया, उन सब को शामिल कर लें जिनमें सरकार ने गारंटी दी है तो यह कुल कर्जा इनका है, 39 हजार 68 करोड़ रुपये, यानी आज की तारीख में राजस्थान पर 1,49,511 करोड़ का कर्जा है और इसमें अगर साढ़े छह करोड़ जनता को डिवाइड करूं तो लगभग 23 हजार, 24 हजार करोड़ का कर्जा है। अब इसी कर्जे को, और कर्जा लेने के लिए इन्होंने बहुत बड़ी बात की और यह अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तेरहवें वित्त आयोग की चर्चा अभी शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने की, झोटवाड़ा

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

से आने वाले माननीय सदस्य ने की, उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने की, उसी तेरहवें वित्त आयोग ने इसमें यह भी कहा है कि आप राज्य की विकास दर को भी बढ़ायेंगे। उसमें एक यह कहा है कि 2011-12 में ग्रोथ रेट आपकी होनी चाहिए 11.36 परसेंट, 2012-13 में होनी चाहिए 11.50 परसेंट और 2013-14 में होनी चाहिए 11.50 परसेंट। आज क्या है, सभापति महोदय, अफसोस, शर्म से सर झुक जाता है जब हम यह कहते हैं कि हमारी ग्रोथ रेट आज 2.5 परसेंट पर खड़ी है। हम राजस्थान को कहां ले जाना चाहते हैं? आज जी.एस.डी.पी. कैसे बढ़ेगी, बातों से बढ़ेगी? आज सर्विस सेक्टर में लोगों के पास रोजगार नहीं हैं, उद्योग और कृषि का जी.एस.डी.पी. का योगदान निरन्तर गिरता जा रहा है। सभापति महोदय, यही कारण है कि आज तेरहवें वित्त आयोग की इतनी राशि मिलने के बाद भी आप अपनी सबसे बड़ी वार्षिक योजना, जिसका ढिंढोरा आप बार-बार पीटते हो, 27,500 करोड़ की योजना, इसको हम यहां काटने का काम करते हैं।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करूं कि अगर पिछले साल की तुलना करें एक वर्ष की, 15 से 20 परसेंट महंगाई की दर बढ़ी है और राज्य में सकल पूंजी निवेश, जो राज्य की खुशहाली का प्रतीक है, वह 20 परसेंट कम हो गया, हमारी ग्रोथ रेट 2.5 रह गयी। हम कहना क्या चाहते हैं? इस पूरी सरकार का फिस्कल मैनेजमेंट का जो रिपोर्ट कार्ड है, वह इन्हीं के योजना आयोग के जो सदस्य हैं अभिजीत सेन, 11 जनवरी, 2011 को आये, उन्होंने जो कहा, उन्हीं को कोट कर रहा हूं, ''विकास के पहलू को देखें तो प्रदेश की स्थिति देश के अन्य राज्यों के मुकाबले बहुत खराब है। योजना आयोग की नजर में राजस्थान विकास की दृष्टि से नीचे से तीसरी पायदान पर है।'' और ये आगे कह रहे हैं, ''राजस्थान सहित अन्य राज्यों को विशेष दर्जा देने की मांग को हम सिरे से खारिज करते हैं। जो झुनझुना काफी बार हमारे मुख्य मंत्रीजी जाकर बजाते हैं, प्रधान मंत्री के पास जाते हैं, पेयजल में विशेष दर्जा दो, राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हैं, इसमें विशेष दर्जा दो, आज तक एक बात भी मनवा नहीं पाये।

इसलिए, मंत्री महोदय, मेरा आरोप है सरकार पर कि इस पूरे बिल के पीछे आपकी मंशा सिर्फ एक ही है कि आप कर्जा और लेना चाहते हो और वह कर्जा लेना चाहते हो जिस कर्जे की बात को लेकर आप पूर्ववर्ती सरकार पर पत्थर फेंके थे। आज किस मुंह से आप कह रहे हैं?

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, मुझसे पहले बोलने वाले माननीय सदस्य सही कह रहे हैं कि 25 परसेंट का रेशो तो आज खड़ा है और इनका जो रोड-मैप है उस रोड-मैप से आप 39.3 पर जब आयेंगे तो इसमें कितना ज्यादा कर्जा लेंगे? जी.एस.डी.पी. बढ़ाना आपके बस की बात नहीं है। राजस्थान की खुशहाली बढ़ाना आपके बस की बात नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है, मंत्री महोदय, आप विचार करें, आप रहें, हम रहें, ना रहें, यह सदन रहेगा और इस सदन के अन्दर जो लोग आयेंगे, वे यह कहेंगे कि एक ऐसा काला कानून जिसकी आड़ में राजस्थान की सारी अर्थव्यवस्था को चौपट करने का लक्ष्य प्रस्तुत किया, कम से कम आप इस विभाग के मंत्री नहीं हैं, आप तो इस पाप के भागीदार नहीं हों। आप तो मुख्य मंत्रीजी को कह दीजिए, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा; मुख्य मंत्रीजी, मुझे इसमें खोट नजर आती है, राजस्थान के विकास का मार्ग रुकता नजर आ रहा है। तब लोग आपको कहेंगे कि आप जीवट वाले मंत्री हो। इसलिए इस पर विचार करें।

सभापति महोदय, मुझे इतना ही निवेदन करना था।

श्री सभापति: डा. दिगम्बर सिंह।

(अनुपस्थित)

मैं एक बार फिर बोलता हूं। डा. दिगम्बर सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री रामहेत सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री रोहिताश कुमार।

(अनुपस्थित)

श्री राधेश्याम गंगानगर।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): सम्माननीय सभापति महोदय, जिस तरह की चर्चा आज सदन में चल रही है और हमारे इधर के साथियों ने जो भी प्रस्ताव आपके सामने रखे हैं, उन पर गम्भीरता से अगर विचार करेंगे; फाइनेंस मिनिस्टर साहब वाली जो बात राजेन्द्रजी कह रहे थे, आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हो? आज यह सदन आपको याद करे कि आपने वास्तव में कोई एक इस तरह की परम्परा यहां इस सदन में रखी है तो आने वाला समय आपको याद रखेगा।

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इतने अच्छे विचार आपके सामने आये हैं, इतनी बातें आपके सामने आयी हैं जिन पर आपको गम्भीरता से विचार करना चाहिए और इस विचार से जो चीजें निकल कर आयेंगी, राजस्थान की जनता आप पर हमेशा प्रसन्न होगी। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप पुनः इस चीज को सोचिये, एकदम इसमें यह नहीं कि हमने जो बात कह दी वह तुरन्त होनी चाहिए। जब यहां के, इधर के सारे साथी हैं, क्योंकि यह सम्पत्ति हमारे पूरे हाउस की है, इस हाउस की सम्पत्ति को बचाये रखने के लिए इसमें आगे आने वाली संतति आपको याद रखेगी कि इन्होंने एक पूरी बहस कर के इस मामले पर जो सही चीज थी, उसको सदन में रखा है।

सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय ना लेकर आपको निवेदन करना चाहूंगा, मेरी जो नीयत है, वह आप समझ रहे हैं और मेरे ख्याल से चाहे किसी और की मानो या ना मानो, मेरी आप जरूर मानेंगे। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री कालीचरण सराफ।

(अनुपस्थित)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): डा. दिगम्बर सिंहजी आ गये।

श्री सभापति: श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, एफ.आर.बी.एम. एक्ट से सम्बन्धित संशोधन पर आज हम सदन में विचार कर रहे हैं। इसके प्रारम्भ होने से पहले हमने सरकार से निवेदन किया था कि यह कोई पार्टीगत मामला नहीं है, यह राज्य के हितों का मामला है। माननीय मुख्य मंत्रीजी वहां बैठे थे, हम चाहते थे कि प्रवर समिति में जाता और इस बिल में हम सब लोग मिलकर हमारी राय देते। हम राय देते उन बातों पर कि तेरहवें वित्त आयोग ने जो सिफारिशें की हैं, उनमें अधिकतम संसाधन हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इन सब बातों पर जाने से पहले, माननीय मंत्रीजी, फिर मैं आपसे निवेदन करूं कि आपको तो पूरा अधिकार प्राप्त है, या तो भगवान सर्व शक्ति सम्पन्न होता है, या मंत्री जो बिल को पायलेट करता है वह बिल के बारे में सर्व शक्तिमान होता है, वह जब चाहे जब यह प्रस्ताव कर सकता है, कि मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस बिल को सलेक्ट कमेटी को भेजा जाय और उसी समय वह स्वीकार हो जाता है, यह अधिकार आपको प्राप्त है इसलिए जब भी आपकी इच्छा शक्ति

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

जाग्रत हो, इस अधिकार का आप प्रयोग करेंगे तो मैं समझता हूं कि हम आपके प्रति कृतज्ञ रहेंगे।

सभापति महोदय, समझने की आवश्यकता यह है कि यह बिल आया क्यों। यह बिल भारत की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए आया और यह बिल इसलिए आया कि जब चुनाव होते थे और चुनाव के अन्तिम वर्ष में जो पार्टी राज में होती थी, वह घोषणाएं करती है कि पांच हजार स्कूल खोले जायेंगे, चालीस हजार लोगों को नौकरी लगाई जाएगी, इतनी यह व्यवस्था की जाएगी, बड़े-बड़े घाटे के बिल पेश कर देते थे। उन सारी बातों को समाप्त करने के लिए भारत सरकार यह बिल लेकर आयी कि कम से कम जिम्मेदारी तो फिक्स करें कि जाते समय सरकार चुनाव के समय इसका फायदा न उठाए और गलत घोषणाएं नहीं करे। इसलिए कुछ सिद्धान्त तय करके भारत सरकार ने यह कानून बनाया जो स्वागत योग्य कानून था और उसके बाद राजस्थान सरकार ने भी कानून बनाया और कानून बनाने के बाद हमारी सरकार ने उस पर कार्यवाही प्रारम्भ की और हम रेवेन्यू लास को समाप्त करने की स्थिति में आ गये और हमको भारत सरकार से पैसा भी मिला। उसके बाद आप आ गये। आपने आने के बाद तुरन्त संशोधन करने स्वीकार किये, यह तीसरा संशोधन आपका इसमें है। पहला संशोधन तो आपने 12 अगस्त, 2009 को जो राजस्थान राजपत्र में जारी हुआ है, वह किया। उसमें इसी सेक्शन 6 के विद्यमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाय। वह छूट आपने इसलिए ली कि यदि हमें कर्ज की सीमा के लिए इस एक्ट के बाहर जाना पड़े तो हम जा सकते हैं। वह अभी कायम है, मंत्रीजी, या नहीं है?

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): बताऊंगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अभी बता दो तो मैं इस पर ज्यादा बोलूं नहीं। अगर यह कायम है, उसमें इन्होंने क्या लिखा है, सभापति महोदय, ''राष्ट्रीय सुरक्षा या सूखा सहायता को सम्मिलित करते हुए प्राकृतिक आपदा या राज्य सरकार के नियंत्रण से परे की ऐसी अन्य आपवादिक परिस्थितियों से राज्य सरकार के वित्त पर उत्पन्न होने वाली अकल्पित मांगों के आधार या आधारों के कारण विकास और अन्य अपरिहार्य व्यय के कारण या केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर उपदर्शित सीमाओं तक इस धारा के अधीन विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक हो सकेगा।''

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

इसी प्रकार से आपने उसमें 6-क को हटा दिया जो इसमें पूर्ण रूप से नियंत्रित करता था कि इससे ज्यादा आप घाटा नहीं करेंगे; वह हटा दिया, वह बिल आप ले आये। जले हुए बिल आप लेकर आ गये।

इसके बाद सामान्य तौर पर हम यह जानते हैं कि यह जो संशोधन है, यह संशोधन आप अगर लाना भी चाहें तो आप बजट सत्र में लेकर आते। मेरा प्रश्न है आपसे, माननीय मुख्य मंत्रीजी चले गये हैं, वित्त मंत्री का काम देखते हैं, आप तो उनकी जगह काम कर रहे हैं, उस समय लेकर आते। मेरा पहला प्रश्न आपसे है कि तेरहवें वित्त आयोग के ऐसे कौनसे पैसे हैं जो अपन बजट के समय संशोधन ले आते तो अब तक ये पैसे हमको मिल जाते? जो पैसे हमको नहीं मिले, वह आप हमको बता दीजिए। दूसरा, अब आप ले आए हो तो अगला बजट आने तक कौनसे रुपये मिल जायेंगे, यह बता दीजिए। तीसरा यह बता दीजिए कि हम प्रवर समिति में जाकर इस बिल को ले आएंगे तो फिर कौनसे रुपये का हमको नुकसान हुआ है। यह तीन बातें बता दीजिए। इन तीन बातों में अगर आप स्वयं सन्तुष्ट हों तो हम भी सन्तुष्ट हैं और इन तीन में अगर आप सन्तुष्ट नहीं हों तो आप इस बिल के बारे में दुबारा विचार कर लें।

जहां तक सरप्लस का सवाल है, 2007-08 में सरप्लस में हम आ गये थे। फिर आपको यह लिखने की, बिल लाने की क्या जरूरत थी या बजट में घोषणा करने की क्या जरूरत थी कि हम 2011-12 में इसमें शून्य ला देंगे? जब 2007-08 में आपका सरप्लस आ चुका था रेवेन्यू, फिर आपको लिखने की क्या आवश्यकता थी? क्यों लिखा आपने? और काम तो आप बिना देखे करो लेकिन, वित्त मंत्री महोदय, वित्त का, बजट का भाषण पढ़ते समय यह देखें कि उस वित्त में हम कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहे हैं जो हम गलत कर रहे हों, जिससे राज्य को नुकसान हो। इतना देखने की जिम्मेदारी हमारी है। फिर भी हम नहीं देख सकें तो आपकी, मैं समझता हूं, गैर जिम्मेदारी की बात है।

फिर आप संशोधन लेकर आए, आपने फिर संशोधन किया, तुरन्त परिवर्तित होकर आया यह 2011 का विधेयक। इसको फिर आपने संशोधन किया, वित्तीय वर्ष 2011-12 से शून्य राजस्व घाटे का लक्ष्य प्राप्त करेंगे और तत्पश्चात यह बनाये रखेंगे, यह राजस्व अधिशेष प्राप्त करेंगे। क्यों लिखा आपने? यह जब 2007-08 में आप आ गये थे तो आपको लिखने की क्या

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

जरूरत थी कि 2011-12 में हम आयेंगे? किसके कहने से लिखा? क्यों लिखा आपने? वह आंकड़ा देखा क्यों नहीं? राज्य को नुकसान पहुंचाने के लिए अड़े हुए हो। 2007-08 में अधिशेष हम आ गये थे फिर यह एक संशोधन लाने की क्या जरूरत थी? इस संशोधन में अगर आप लाते, यह जो आज इस संशोधन में लेकर आए हो तो आपको इस बिल का उस समय लाभ मिलता। आज जो बिल लाए हो, वह उसी समय लाना चाहिए था।

अब आपको मैं दूसरा तर्क एक दे रहा हूं। सरकार के दो खाते हैं, राजस्व खाता है, पूंजी खाता है। दोनों खातों के बारे में जानते हैं अच्छी तरह से। राजस्व खाते में राज्य के कर आते हैं, नान टैक्स रेवेन्यू आती है, केन्द्रीय करों का हिस्सा आता है, ग्रांट-इन-एड आती है। पूंजीगत खाते में ऋणों की वसूली आती है, उधार आता है, प्लान एक्सपेंडिचर, नान-प्लान एक्सपेंडिचर होता है। राजस्व खाते की प्राप्तियों को, पूंजीगत खाते की प्राप्तियों को मिलाकर इस प्रकार हम राज्य का बजट बनाते हैं। तो यह सारे बजट में उनका जो खातों का अन्तर है, वह अन्तर ही तो आपका नुकसानदायक है। तो उस अन्तर को कम करने के लिए आपने क्या कदम उठाये?

हमको यह भी बताने की कोशिश करें कि आपका इस समय कर्जा कितना हो गया है? राज्य पर कर्जा कितना है इस समय? हमारी सूचना के अनुसार 1 लाख 12 हजार करोड़ रुपये के करीब का आपके पास कर्जा है; मेरी पूरी जानकारी नहीं है, आप संशोधित कर दें। अब आप अगर इसको कर्जे के लिए बढ़ा रहे हो तो कर्जे के लिए, बढ़ाने के लिए आपको यह बिल लाने की क्या जरूरत? यह जरा आप मुझे समझा दीजिए। संचित निधि के, कंसोलिडेटेड फंड आफ राजस्व का जो हमारा पैसा है उस पैसे से दुगना हम कर्ज ले सकते हैं, वह हमारा कंसोलिडेटेड फंड है। कुल व्यय जो हमारा होता है 63,998.82 करोड़ रुपया, यह हमारा कंसोलिडेटेड फंड है, इसका दुगना अपन वर्तमान एक्ट के अन्तर्गत ले सकते हैं। तो आप बता दीजिए कंसोलिडेटेड फंड कितना है, उसका आपने कितना पैसा ले लिया?

फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारी जी एस डी पी कितनी है आज के दिन? मेरे पास जो लिस्ट है इंडियन स्टेट्स की जो मैंने इंटरनेट से प्राप्त की है, वित्तीय वर्ष 2010 में वह हमारी डालर में, डालर को रुपये से गुणा करें, 2,55,412 करोड़ रुपये है। यह इतनी है, या कम-ज्यादा है, यह बता

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

दीजिए। और 2,55,412 करोड़ रुपये है तो फिर आप यह जो कर रहे हो 39 परसेंट और 39.3 परसेंट, 38.3 परसेंट, 37.3 परसेंट और 36.3 परसेंट, यह परसेंटेज आपने किये कैसे हैं? कैसे काम करोगे आप? जब आप पन्द्रह हजार करोड़ रुपये सालाना कर्जा ले रहे हो, वह पन्द्रह हजार करोड़ रुपये आप इसमें कैसे समाहित करोगे, यह आप हमको बताइये। यह कर्जा अगर आप लोगे तो फिर आपके इस संशोधन को लाने का क्या लाभ होगा?

ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। सभापति महोदय, ये मुद्दे यहीं तक सीमित नहीं हैं। मैंने उस समय बजट के टाइम पर भी यह बात उठाई थी तो माननीय मुख्य मंत्रीजी का भाषण मेरे पास है, उन्होंने कहा था, आप भी समझदार हैं, हम भी समझदार हैं, हम इसका रास्ता निकाल लेंगे। अब वह रास्ता निकला नहीं और तेरहवें वित्त आयोग से हमको जो मिलना चाहिए था, मिल गया। वास्तव में अगर हमको सदन में कोई चर्चा करनी चाहिए

(13.00 बजे)

तो तेरहवें वित्त आयोग से राज्य की वित्तीय स्थिति पर क्या असर पड़ता है, इस बात पर हमको चर्चा करनी चाहिये। इसलिये मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यह फिस्कल रेस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट का जो बिल है, वह बिल हमारे लिये बहुत महत्वपूर्ण है। माइक्रो इकानामिक सिचुएशन में, ''The Gross State Domestic Product. The Gross State Domestic Product of Rajasthan has been estimated Rs. 2.9769 crores at current price of Rs. 1.4822 crores at constant 1999-00.'' तो जो मैं बोल रहा हूं, वही माइक्रो स्टडी में है। स्टडी में भी वही है, इंटरनेट पर भी वही है, आपका संचित निधि भी वही है। तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिश भी आपके पास है। तो इसको लाना था तो आपको बजट के समय लाना था तो अब तक लाभ मिलता। अब लाए हो आगे तो इसका कोई लाभ नहीं है। अब इस बिल को अगर हम बाद में सोचकर पास करें तो इसका लाभ है। यह विधेयक हम जब बनाते हैं ना, उस समय, माननीय मंत्रीजी, कोई पार्टी की सीमाएं नहीं हैं। इसका सीधा-सीधा असर राज्य की वित्तीय व्यवस्था से है। राज्य की वित्तीय व्यवस्था हम कैसे सुधार सकते हैं और उसमें आपका कैसे योगदान कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, वह हमारी एक ड्यूटी है। इसलिये हम आपको आगाह करना चाहते हैं कि इस प्रकार से लगातार छोटे-छोटे टुकड़ों के रूप में लाने के बजाय आप एक बार राज्य की वित्तीय स्थिति को ठीक से देखें तो सही कि हम क्या कर रहे हैं।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सभापति महोदय, आज मैंने केवल एक बात पर टोका। एक लम्बी लिस्ट आयी है हमारे पास, वह लम्बी लिस्ट आयी है, कौनसी छूट कब-कब किसको दी गयी। बहुत लम्बी लिस्ट है। सारी छूट ही छूट है। यह सदन जो बजट पास करता है, सदन जो टैक्स लगाता है, इस सदन में जो टैक्स का पैसा लिया जाता है, वह केवल हमको सूचित करने तक ही सीमित नहीं है। केवल हमको सूचित कर दिया गया कि हमने यह छूट दे दी, हमने यह छूट दे दी, हमने यह छूट दे दी। आपने क्यों दी? आपको देने की जरूरत क्यों पड़ी? आपके देने से सार्वजनिक लाभ क्या हुआ? यह हमको बताना पड़ेगा। अगर बजट पर कंट्रोल करने के लिये जिम्मेदार कोई एक संस्था है तो वह राजस्थान की विधान सभा है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है। राजस्थान की विधान सभा ही इस बात की जांच करती है। सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। राज्य सरकार यदि कोई चीज सदन से छिपाती है, इसका मतलब वह राजस्थान की जनता से छिपाती है। एक-एक अधिसूचना केवल इसलिये नहीं आ गयी, हम सदन के पटल पर क्या रख रहे हैं, क्यों रख रहे हैं सदन के पटल पर, यह कोई कबाड़खाना है क्या यहां पर? सदन के पटल पर रखने के पीछे निहितार्थ हैं और उन निहितार्थों का प्रयोग नहीं होता। सभापति महोदय, आई पी एल को मनोरंजन कर से मुक्त कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? किसके लिये कर दिया गया? किस आधार पर कर दिया गया? आप जानते हैं कि जैसे बोली लगती है ना, उन खिलाड़ियों की भी बोली लगती है। यह दो करोड़ में बिक गया, यह तीन करोड़ में बिक गया, यह चार करोड़ में बिक गया। फिर इनके नार्म्स होते हैं...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): यह तो पहले भी लगती थी...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, पहले भी लगती थी। मैं उस चीज का पक्ष, समर्थन नहीं कर रहा हूं...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): हां, वह पहले हो चुका है ना।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): जो हुआ है सो सारा ही गलत हुआ है। किसी ने भी किया हो। शुरुआत करने वाले भी हों और चाहे समाप्त करने वाले भी हों।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): शुरुआत भी आपके वक्त में हुई।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): किसी के भी हुई हो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आप तमाशा देखते रहे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हमने कोई तमाशा नहीं देखा।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): तमाशा ही देखा आपने।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं तो चीयर गर्ल्स को देखने के लिये कभी स्टेडियम गया ही नहीं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): छिपकर देखा आपने।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं कभी गया नहीं इसमें। मैच तो, सभापति महोदय, क्रिकेट का खिलाते हैं, बुलाते हैं चीयर गर्ल्स को! क्या ठाट और उसको मनोरंजन कर की छूट! मुजरा करने वालों को ही दे देते तो उनको लाभ तो होता। किसलिये दे रहे हैं उनको? तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आई पी एल जब से शुरू हुआ है, भारत के क्रिकेट को भी समाप्त कर रहे हैं। (व्यवधान) हुआ, हमारे समय से हुआ। बोलो। गलत काम कभी भी शुरू हुआ वह हुआ। अगर यह हमारे से शुरू हुआ, नहीं हुआ; वह हमारा शुरू हुआ भी, अन्त आपका करेगा।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): यह आई पी एल को थोड़ा पूरा समझा दो तो मजा आ जायेगा। कब से शुरू हुआ, उसके क्या-क्या आइटम रखे गये थे...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): कुछ आपको करने के, वह आप करिये, हमारे करने के काम मैं करूंगा।

सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था, आई पी एल जिसके आधार पर तो भारत सरकार ही टिकी हुई है, आई पी एल की सारी जांच की तो भारत सरकार का तो खम्भा ही निकल जायेगा। सब फंसे हुए हैं उसमें। सारे देश में, हर घर में, गांव में जुए का अड्डा बना दिया। क्रिकेट के खिलाड़ियों पर सौदा लगाते हैं। गली-गली में उसका सौदा होता है। क्रिकेट के आधार पर सौदे चल रहे हैं, सट्टेबाजी हो रही है। उसके आधार पर मैच फिक्सिंग हो रहा है। चीयर गर्ल्स का डांस हो रहा है। उसको हम राज्य सरकार की ओर से छूट दे रहे हैं! उनसे तो पैसा लो। उनको देने का क्या काम है? उनसे पैसा लेओ, उनको दे क्यों रहे हो?

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): यह चीयर गर्ल्स क्या हैं, मेरी समझ में नहीं आयी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आर सी ए के बारे में आप मुझसे कुछ कहलवाना चाहते हैं

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आर सी ए के बारे में आप लोगों को कुछ पूछना हो तो उनसे पूछो, हमसे क्या पूछते हो?

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अगर ज्यादा पूछना हो तो लंदन कॉल मिला सकते हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ऐसा है, सभापति महोदय, सारे काम मैं ही करूं, कोई जरूरी थोड़े ही है; कुछ आपके हैं। शरद पंवार जी का काम है तो आप करो, प्रफुल्ल पटेल जी का काम है तो आप करो। मैं क्यों करूं ?

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): लंदन कॉल तो आप मिला सकते हो ना।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप विराजें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप कृपया बहुत संक्षिप्त करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं संक्षिप्त ही कर रहा हूं...

श्री सभापति: कृपया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं इसलिये समाप्त कर रहा हूं कि जब एक बिल आता है किसी विषय के सम्बन्ध में, तो उस बिल के आर्बिट में, उसकी परिधि में वित्त विभाग से सम्बन्धित सारी बातें आती हैं, इसलिये मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं और इसलिये डिस्कस कर रहा हूं कि मनोरंजन कर की छूट देने से राज्य सरकार को नुकसान होता है और मैं इसके विरोध में हूं। यह मैं साफ बता दूं आपको। हम इस खेल पर इतना खर्च कर रहे हैं। हमारा स्टेडियम क्यों दे दिया इसको ? आज भी खाली नहीं है, ताला है। एक ताला एक जोशी ने लगा दिया, एक ताला दूसरे जोशी ने लगा दिया। अब पंडित लोग ताला लगा दें तो दूसरे से कैसे खुलेगा ? वह खुल ही नहीं रहा है और सरकार मौन दर्शक है। हमें कह रही है कि नहीं-नहीं, यह मामला न्यायालय में है, इस पर बात मत बोलो। बोलेंगे, भाई, बच्चे खेलने जाते थे और करते थे, सारा काम बंद हो जाए। दोनों लड़ रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं। इसलिये मैं कह रहा हूं, क्यों लड़ रहे हैं, आप समझ लीजिये, मुझे दुःख है यह बात कहते हुए लेकिन मैं कह रहा हूं कि जिस चीज की ओर एकदम से सारे नेता दौड़ पड़ें, वह आप समझ लो उसमें बहुत बड़ा घपला है। जब सारे नेता क्रिकेट की ओर भाग रहे हैं...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): स्किल डेफिसिट आ रहा है...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उसमें ही आ रहा है, फिस्कल डेफीसिएट...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): फिस्कल डेफीसिएट, रेवेन्यू लोसेज...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): तो उस पर कह रहा हूं....

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): आपने कहा, पंडित ने ताला लगा दिया। अब पंडित जी ने घर की सफाई ठान ली तो मुझे लगता है, आपका घर तो साफ हो ही जायेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): देखिये, आपकी जबान हिली है, जबान हिलते ही सफाई हो जाती है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): नहीं, बाकी तो सब ठीक है पर आप अफसोस के साथ क्यों बोल रहे हैं?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं अफसोस के साथ इसलिये बोल रहा हूं...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): दुःखी आत्मा हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह राज्य का पैसा इसमें जा रहा है; मैं अफसोस के साथ इसलिए बोल रहा हूं कि मैं उस संस्कृति में विश्वास नहीं करता जिसमें लड़कियों को चीयर गर्ल्स बुलाकर सबके सामने नचाया जाए; इसको मैं बिलकुल पसन्द नहीं करता इसलिये मैं बोल रहा हूं।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इन सारे विषयों पर, सब विषयों पर सारी जनता के विचार आ जाएं, लोगों के विचार आ जाएं, जनमत जानने के लिये इसको तीन माह के लिये हम परिचालित कर दें और हम अखबारों में अनाउंस कर दें कि जिस-जिस आदमी को इसके बारे में जानकारी हो, वह हमें अवगत कराये तो सबके विचार हमारे आ जायेंगे और विचार आने के बाद हम इस काम को ठीक कर सकेंगे। यही आपको कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति: श्री राव राजेन्द्र सिंह।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): सभापति महोदय, किसी भी कानून को बनाने से पहले कानून का जो प्रारूप इस सदन के सामने रखा जाता है, उसकी भावनाओं और उसके पीछे जो उद्देश्य होता है वह उसके स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एंड रीजंस के अन्दर डिफाइंड होता है। जिस प्रकार से आपके

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

आब्जेक्टिव्ज इसमें है इस आब्जेक्टिव्ज के पहले आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, आप स्वयं इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि किसी भी पार्लियामेंटरी फोर्म आफ गवर्नमेंट में, संघीय प्रणाली की व्यवस्था के अन्दर सबसे बड़ा अधिकार किसी को है तो वह उस सदन को है जो विधान सभा के नाम से होता है या केन्द्र में पार्लियामेंट के नाम से होता है और संविधान ने इसका बहुत अच्छी तरह से उल्लेख कर रखा है। संविधान निर्माताओं ने जिस वक्त संविधान का निर्माण किया, उस वक्त इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि इस देश की या इस प्रदेश की जनता को विकास के मार्ग पर चलाने से पहले अगर कोई भी वित्तीय व्यवस्था या विकास के नाम पर खर्च होता है तो जनता से चुने हुए इस सदन को या संसद को एकाधिकार होता है कि उनकी अनुमति के बाद ही जनता के लिए, जनता से इकट्ठे किये हुए पैसे को वह विवेकपूर्वक खर्च करे। यह सारा का सारा अधिकार कांस्टिट्युएंट असेम्बली और कांस्टिट्यूशन के आर्टिकल 293 (1) से मिलता है। आज हम जिस वित्त विधेयक की बात कर रहे हैं, जिस वित्त बिल की हम चर्चा कर रहे हैं, शायद इस बात को भी आपको समझना होगा कि आर्टिकल 293 जब संविधान लागू हुआ तब से ही लागू हुआ। उसके अन्दर यह स्पष्ट लिखा हुआ है, मैं इसलिए पढ़ रहा हूं, सभापति महोदय, कि 63 वर्ष तक, 2005 तक किस प्रकार संविधान का बराबर केन्द्र में और प्रदेशों में उल्लंघन होता रहा, जिस वित्त व्यवस्था के लिए कांस्टिट्यूशन ने विधान सभाओं को और संसद को बाध्य किया था कि वह कानून बनाये लेकिन दुर्भाग्य यह है कि एफ आर बी एम के माडल एक्ट के आने से पहले ना तो केन्द्र में कानून बना, ना प्रदेश में कानून बना, 293 का क्लाज 1 स्पष्ट कहता है- "Subject to the provisions of this Article, the executive power of a State extends to borrowing within the territory of India upon the security of the Consolidated Fund of the State within such limits, if any, as may from time to time be fixed by the Legislature of such State ….." (interruptions)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): सभापति महोदय, यह क्या हो रहा है? (व्यवधान) मंत्री महोदय, सुनिये आप, आपके लिये है यह। (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया शांति बनाये रखें। (व्यवधान) कृपया बैठें। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): आप इस तरह से बातें करेंगे तो ... (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया बैठिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मंत्री महोदय, मैं आपसे सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जिस-जिस बात को आप फरमायेंगे ...(व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): माननीय सदस्य को जिस बात की तकलीफ है पहले आप उनकी इस तकलीफ का समाधान करें। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय सदस्य का ध्यान बंटता है, मंत्री महोदय एक जगह बैठें।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): सभापति महोदय, यह आर्टिकल 293 की वे लाइनें पढ़ रहा हूं, एज में, बोरोइंग करने की बात है, साफ बात है "....Consolidated Fund of the State within such limits, if any, as may from time to time be fixed by the Legislature of such State by law ...." अब यह सदन कम से कम यह बता दे कि एफ आर बी एम एक्ट तो 2005 में आया, इसके 2005 में आने से पहले क्या इस सदन ने या संसद के सदन ने कोई भी ऐसा एक्ट आफ लॉ पास किया था क्या कि जिससे लेन-देन, कर्जा लेना और कर्जा लेकर के किस प्रकार से खर्च करना उसका कोई कानून बनाया? इस एक्ट से पहले किसी प्रकार का कानून नहीं बना। हर सी ए जी की रिपोर्ट के अन्दर इस बात का उल्लेख है कि बाई एक्ट आफ लॉ, लेजिस्लेचर की लॉ से आप कर्ज ले सकते हैं। यह 2005 तक आपने नहीं बनाया। सौभाग्य से जब 2005 में एफ आर बी एम का माडल एक्ट आया तो यह एक्ट बना। लेकिन आज भी मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप एक्ट बना रहे हैं, मंत्री महोदय, क्या आप इस सदन को आश्वस्त करते हैं कि इस एक्ट के प्रोविजन्स और इसकी लिमिटेशंस से बाहर राजस्थान की सरकार नहीं जायेगी? क्या इस एक्ट से कोई भी सरकार हो, मैं राजस्थान की सरकार की बात कर रहा हूं, आज की सरकार हो, भविष्य की सरकार हो, क्या आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि एफ आर बी एम एक्ट जिसमें एक संशोधन आप ला रहे हैं, जिसके दो संशोधन पिछले बजट सत्र में ला चुके हैं, क्या इस एक्ट की लिमिट में रहने के लिए राजस्थान सरकार बाध्य है? अगर बाध्य है तो कम से कम मंत्री महोदय आप इस बात का उत्तर देना कि इस बाध्यता का आपने उल्लंघन किया या नहीं किया?

उसके लिए मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, मैं आप ही के सी ए जी के स्टेट फाइनेंसेज आफ दी ईयर 2010 का वह पन्ना पढ़ना चाहता हूं

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

जिसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि किस प्रकार संशोधित एक्ट के उपरान्त भी राजस्थान सरकार ने इस एक्ट के प्रोविजन्स का उल्लंघन किया है। यह सी ए जी की रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट का पेज नम्बर 8 और सेक्शन है 1.5.2, Receipts of miscellaneous general services के अन्दर आपने यह लिखा है "The Government of India allow the state Government to keep its fiscal deficit…." यह संशोधित आंकड़ा है ''.....deficit upto 3.5% and 4% during the year 2008-09 and 2009-10 respectively. In view of the fiscal deficit being maintained earlier, the Government of India provisionally released the debt relief of the year 2008-09 but due to inability…" मैं वापस उसको पढ़ रहा हूं "…but due to inability of the State Government in covering the fiscal deficit within 3.5." 3.5 अमेंडेड परसेंटेज थी "…within 3.5% of the GSDP of 2008-09, the Government of India directed to RBI to recover the debt instalments of these 308.7 crores." यह आपने उल्लंघन किया है ना इसका। और यहीं नहीं रहा, अगले वर्ष आप देख लीजिये, "….in 2009-10 the debt release was not sanctioned by the Government of India and the State Government once again failed to maintain the fiscal deficit within 4% of the GSDP."

आप इस सदन में कानून क्यों ला रहे हैं? हम बार-बार इस बात की चर्चा कर रहे हैं, ऐसी कौनसी बाध्यता है कि आप इस कानून को आज पास कराना चाहते हैं। पहले के संशोधित कानून का भी आप उल्लंघन कर चुके हैं। 60 वर्ष तक, 2005 तक ना तो विधान सभा ने कोई कानून बनाया और ना पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया। तब आप उल्लंघन करते रहे, कानून बना लिया उसके बाद आप उल्लंघन करते हैं। इस बात की क्या श्योरिटी है कि आज आप जो अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं, उसका आप उल्लंघन नहीं करेंगे?

आप क्या करना चाह रहे हैं, उसके लिए भी मैं आपको निवेदन कर दूं, इस क्लाज (सी) में जो आप अमेंड कर रहे हैं, पहले क्या था और अब क्या है, यह स्पष्ट मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, पहले यह था कि आप दुगना ऋण ले सकते हैं, लायबिलिटी हो सकती है लेकिन पब्लिक अकाउंट को अलग रखा था। आपको मालूम है, पब्लिक अकाउंट का लायबिलिटी परसेंटेज क्या है? पब्लिक अकाउंट का जो लायबिलिटी परसेंटेज है जिसको आप आज अमेंड कर रहे हैं, वह आपके 9-10 के अन्दर, टोटल लायबिलिटी का पब्लिक अकाउंट 29 परसेंट है और उसके पहले 30 परसेंट था। अगर यह जुड़ जाता है तो उस दुगने वाले को आप क्रास कर जाते हैं।

सभापति महोदय, इस प्रकार से किसी भी चीज को यहां लाकर, उसको

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

यहां की वैधता प्रदान करना और सिर्फ इस वजह से कि हम पार्टी की, दलों की मर्यादाओं से बंधे हुए हैं, हमारे को बाध्य किया जाता है। एंटी-डिफेक्शन बिल और मर्यादा, व्हिप की इसलिए लगी थी कि कोई इसका भद्दा उपयोग ना कर सके। इसलिए तो नहीं लगी थी कि जन-प्रतिनिधि, जनता के द्वारा चुना हुआ जन-प्रतिनिधि, अपनी बात कहकर सरकार को इस बात के लिए बाध्य नहीं कर सके कि हम पार्टी में बाद में हैं, इस देश के नागरिक पहले हैं। हमारी सम्प्रभुता और हमारा संरक्षण राष्ट्र के लिए संविधान प्रदान करता है और बाध्य करता है कि पार्टी लाइन से बाहर निकलकर, उठकर उस बात को चिन्हित करें क्योंकि जनता ने 200 विधायकों को चुनकर इस प्रदेश को संरक्षण प्रदान करने के लिए कहा है। इस एफ आर बी एम के संशोधन को आप लागू कर देंगे और उसके बाद भी अगर आपने उसका उल्लंघन किया, मैं यह चाहता हूं कि मंत्री महोदय जब आप जवाब दें तो आप इस बात के लिए इस सदन को आश्वस्त करें कि इस एक्ट का उल्लंघन नहीं होगा। यह भी जवाब दें कि जब आपने उल्लंघन कर लिया तो उसके लिए जब आप थे और आपकी सरकार थी, उससे यह सदन किस प्रकार का जवाब चाहे? आप एक्ट ला रहे हैं, कानून बना रहे हैं, विधिवत हम इसको कानून की संरचना प्रदान कर रहे हैं, उसके बाद आप उल्लंघन कर रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं कहता हूं कि जिस भ्रष्टाचार की बात पर दिल्ली आज की तारीख में गरम है, क्या यह एक तरह का भ्रष्टाचार नहीं है कि जिस कानून को खुद विधान सभा बनाये, जिस कानून को विधान सभा पास करे, उसी विधान सभा से मान्यता प्राप्त कोई सरकार उस कानून का उल्लंघन करे, क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? अगर हमारा बनाया हुआ कानून, हमारे यहां से मान्यता प्राप्त सरकार उसका निर्वाह नहीं करेगी तो कौन करेगा उसका निर्वाह? आम आदमी उल्लंघन करे तो उसके लिए कोई न कोई पेनल्टी है, आम आदमी उल्लंघन करे तो उसके लिए कोई न कोई दंड है और आप मिलकर उल्लंघन कर लें तो उसका कोई दंड नहीं है।

सभापति महोदय, इस एफ आर बी एम एक्ट को लाने से पहले कम से कम आप यह बात भी समझें कि पब्लिक अकाउंट्स को आपने इस अमेंडमेंट में ले लिया; आपका अमेंडमेंट जिस प्रकार से आया है, उसके अन्दर यह जो डिफरेंस है वह आपने खतम कर दिया। लेकिन मैं इतना तो निवेदन करना चाहूंगा, चाहे मैं इस सदन का कनिष्ठ सदस्य होऊंगा और मुझे ज्यादा

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

इकानामिक्स के बारे में जानकारी नहीं है लेकिन संविधान की उस संवेदनशीलता के प्रति मैं आपका ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा जो स्वयं 293 और 292 के लिए स्वयं बी.आर. अम्बेड़कर जो चेयरपर्सन थे आपके कांस्टिट्एंट असेम्बली के, उन्होंने क्या टिप्पणी की, "The intervention by Dr. B.R. Ambedkar makes it abundantly clear that the Parliament's power under Articles 292-293 were intended to be very wide and there is no scope of putting any narrow restrictive interpretations."

यह तो आपके एक्ट का मूल प्रारूप था, इस कांस्टीट्यूशनल आर्टिकल के पीछे हम इन्हीं चीजों का उल्लंघन कर देते हैं, इन्हीं चीजों के लिए हम यह बात कहते हैं।

मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि भगवान की दया से, प्रकृति का नियम है और प्रकृति के नियम में भी आज की तारीख में भौगोलिक परिस्थितियों, प्रतिकूल परिस्थितियों में यह राजस्थान की जनता फिर भी संघर्ष कर रही है। इस राजस्थान की जनता को और कर्जदार बनाने का उद्देश्य अगर इस सरकार का है तो मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता लेकिन जिस सभ्यता में आप और हम पले हैं, उस सभ्यता में यह सीख दी जाती है कि बहुत बुरी परिस्थिति हो जाए तो कर्ज लिया करो, उधार की ली हुई चीजें चुकाने में बहुत परिश्रम होता है। इस राजस्थान की सरकार का निर्वाचन उधार में नहीं हुआ, इस राजस्थान की सरकार का निर्वाचन राजस्थान की जनता ने मन से किया है। इसलिए राजस्थान की सरकार भी मन से इस विधेयक पर मनन करे और अगर मन से मनन करेगी तो मेरा मन मांगता है और इस सदन का मन मांगता है कि प्रवर समिति को भेजकर इसको पुनः निरीक्षण करवाने का आप यहां पर कम से कम हौसला फरमाएंगे। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री राजपाल सिंह शेखावत।

(अनुपस्थित)

श्री निर्मल कुमावत

(अनुपस्थित)

श्री मानसिंह

(अनुपस्थित)

डाक्टर दिगम्बर सिंह, बोलना चाहेंगे?

(अनुपस्थित)

प्रभारी मंत्री उत्तर देंगे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): माननीय सभापति महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य सभी जानते हैं कि एफ आर बी एम एक्ट का प्रमुख उद्देश्य रेवेन्यू डेफिसिट को कम करना और फिस्कल डेफिसिट को सीमित करना है। यह सब जानते हैं कि वर्ष 2008-09 में और 2009-10 में एक्सेप्शनल सरकमस्टांसेज ड्यू टू रेसेशन फिस्कल कंसोलिडेशन बाधित हुआ; यह भी आप जानते हैं, 13वें वित्त आयोग के द्वारा वर्ष 2010-11 को समायोजन का वर्ष बनाने का तय किया गया और यह भी आशा प्रकट की गई कि वर्ष 2011-2012 में राज्य अपने फिस्कल करेक्शन के पथ पर वापस आने में समर्थ होंगे।

13वें वित्त आयोग के बाबत एक बात मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने इसकी सिफारिशों के आधार पर एक कमेटी का गठन किया और उस कमेटी की अनुशंसा के आधार पर वित्त मंत्रालय ने यह सिफारिश की कि राज्य सरकारें एफ आर बी एम एक्ट के प्रावधान उसमें डालें और जो प्रावधान आज डाले गए हैं वह वित्तीय वर्ष 2011-12 के शुरू होने के बाद में सिफारिश हुई, यह नया डवलपमेंट था जो कि मैं आपको अर्ज कर रहा हूं।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, जैसा कि तिवाड़ी साहब ने कहा, सबसे पहले तिवाड़ी साहब की बात का जवाब देना चाहता हूं, एक बात का जवाब मैंने आपको दे दिया, दूसरी बात आपने कही कि 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार क्या अनुदान की राशि मिलने का प्रावधान है। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि यह अनुदान की राशि वर्ष 2011-12 में ही मिलने का प्रावधान है। कटारिया साहब ने जो बात कही थी ...(व्यवधान) फाइनेंस का मैटर है, मेहरबानी करो, भिण्डा साहब, आप।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): मैं तभी बोल रहा हूं, मंत्रीजी, मैं सही बोल रहा हूं। वास्तव में शाबाशी मिलेगी क्या ज्यादा कर्जा लेने पर? ज्यादा कर्जा लेने पर क्या शाबाशी मिलेगी?

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): ऐसे कैसे काम चलेगा?

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अजी, इससे आपका कोई लेना-देना नहीं है, इस पर आप काहे को परेशान हो रहे हो?

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): कर्जा घटाने से, कर्जा बढ़ाने से शाबाशी अगर दे रहे हो तो भगवान ही मालिक है देश का।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): कोई ग्रामीण विकास का हो तो आप बोल लेना।

श्री सभापति: देखिए, प्रभारी मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, कृपया शांति बनाए रखें।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): कटारिया साहब ने जो बात उठाई, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 12वें वित्त आयोग की सारी सिफारिशों का समावेश करते हुए 13वें वित्त आयोग ने अपनी सिफारिशें की हैं। तो 12वें वित्त आयोग का कोई अर्थ ही नहीं रहा। 13वें वित्त आयोग ने सारी सिफारिशों का अपने में समावेश कर लिया और इसलिए 12वें वित्त आयोग की सिफारिशें अब प्रभावी नहीं रहीं। वर्ष 2008-09 और 2009-10 में विश्वव्यापी मंदी, रिसेशन के लिए, जिसकी ओर अभी मैंने आपको अर्ज किया, उसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने हर राज्य के ऋण भार को बढ़ाने की अनुमति दी थी ताकि विकास कार्यों में रुकावट नहीं हो। अब फिस्कल करेक्शन पथ और फिस्कल कंसोलिडेशन के अनुसार राज्य अपने ऋण भार की अधिकतम सीमा, अपर लिमिट तय कर रहे हैं। वास्तविक स्थिति 13वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित मापदण्डों, पैरामीटर्स से राज्य की स्थिति कहीं बेहतर है, कहीं बेटर है।

मैं आपको बताना चाहता हूं, राजपाल साहब ने जो बात उठाई कि बेहतर वित्तीय प्रबन्धन की वजह से हमारा ऋण भार, राजपाल साहब नहीं हैं यहां पर तो आप सुन लें,...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बता दें, कितना-कितना है?

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): बेहतर वित्तीय प्रबन्धन की वजह से हमारा ऋण भार वर्ष 2010-11 में 32.65 प्रतिशत रहा और वर्ष 2011-12 में यह मात्र 32.10 प्रतिशत रहा। जो संशोधन प्रस्तावित है, उसके अनुसार ऋण भार की अपर लिमिट तय की जा रही है, वह 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): कुल कितना हुआ?

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): तो बता दिया न आपको कि इतना हुआ। आप निश्चित रहें, हमारा ऋण भार इस सीमा से कम ही रहेगा, यह मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। आप निश्च्ति रहें कि इससे कम ही रहेगा ऋण भार।

राव साहब ने दो बातें उठाईं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): 22 प्रतिशत तो बता दें, 1 लाख है कितना है, बता दें।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैं राव साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि वर्ष 2011-12 में राज्य की रेवेन्यू सरप्लस की राशि 1,055 करोड़ रुपए रही है। यह बिन्दु आपने उठाया था। इसी के साथ-साथ अभी आपने यह भी बताया कि राज्य का ऋण भार जी एस डी पी के प्रतिशत के अनुसार वर्ष दर वर्ष बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): भिण्डाजी ने जो मामला उठाया, वह भी बताओ आप।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आपने कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल 292-293 का हवाला दिया। हमारी वार्षिक ऋण सीमा संविधान के अनुच्छेद 293 के अनुसार प्रतिबंधित है और यह ऋण भार जी एस डी पी के 3 प्रतिशत से अधिक हो ही नहीं सकता। अगर राज्य सरकार निर्धारित सीमा, जी एस डी पी के 3 प्रतिशत से बढ़ाना भी चाहे तो भी नहीं बढ़ा सकती।

ठीक इसी तरीके से राव साहब ने एक बात और उठाई कि वर्ष 2008-2009 में जी एस डी पी के 3.5 प्रतिशत से अधिक ऋण लेने के प्रश्न के बारे में राज्य सरकार ने भारत सरकार से निवेदन किया है। जी एस डी पी के लेटेस्ट एस्टिमेट्स के अनुसार राजस्थान राज्य निर्धारित सीमा के अन्दर ही है, अतः रोकी गई राशि जो 308 करोड़ रुपए थी, उस रोकी गई राशि को रिलीज करने के लिए भी हमने भारत सरकार से निवेदन कर रखा है और वह उनके विचाराधीन है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): रोकी क्यों है?

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मंत्री महोदय, एक बात और बता दें कि यह रिपोर्ट तो आपने ही पेश की है, मैंने कहीं और से नहीं ली है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैं तो खुद निवेदन कर रहा हूं आपसे कि 308 करोड़ रुपए जो उन्होंने रोके हैं, उसके लिए हमने निवेदन कर रखा है और वह उनके विचाराधीन है और वे मना नहीं करते हैं, वे कह रहे हैं कि हम इस पर विचार कर रहे हैं।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): आदरणीय, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि हमारे पास जो दस्तावेज हैं, जो दस्तावेज इस सदन में रखे गए हैं, उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर हम

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

आपसे हमारी बात निवेदन करेंगे। तो आपने जो दस्तावेज रखे और उनमें जानकारी अगर गलत है, असत्य है...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आपके पास जब यह पहुंचता है तो उसके बाद भी परिस्थितियां बदल जाती हैं। तो मैं वही निवेदन कर रहा हूं आपसे कि वह उनके विचाराधीन है, उन्होंने मना नहीं किया है। (व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मैं सिर्फ इतना निवेदन कर रहा हूं कि वर्ष 2008-09 की परिस्थितियां वर्ष 2011-12 में बदल गईं। वर्ष 2009-10 की परिस्थितियां वर्ष 2011-12 में बदल गईं। स्टेट आफ फाइनेंस की ऑडिट रिपोर्ट आप पेश कर चुके हैं, इन परिस्थितियों में आप बोल रहे हैं। तो आखिर यह बता दीजिए कि सी ए जी की रिपोर्ट के बाद, सी ए जी के आडिट रिपोर्टर की भी ऑडिट रिपोर्ट दें। आखिर इस प्रकार से कैसे व्यवस्था चल पाएगी? फिस्कल प्रूडेंस, फिस्कल डिसिप्लिन किसी चीज को तो हम कहेंगे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैं आपसे पहले भी यह निवेदन कर चुका हूं कि देखिए, निश्चित तौर पर इस अमेंडमेंट से राजस्थान राज्य को लाभ होगा और लाभ होगा, उसकी डिटेल भी मैं आपको यह बता दूं कि 1,200 करोड़ का जो लाभ होने वाला है, उसमें ड्रिंकिंग वाटर के लिए 500 करोड़ रुपये रखा गया है, इर्रिगेशन के लिए 300 करोड़ रुपये रखा गया है जिसमें 60 पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं, इसी तरीके से पब्लिक हैल्थ के लिए 150 करोड़ रुपये हैं, स्टेट के अदर माइनर प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए 150 करोड़ रुपये, पुलिस वगैरह उनके लिए सौ करोड़ रुपये हैं; तो 1,200 करोड़ रुपये का तो फायदा यह होने वाला है। दूसरी बात आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो 831 करोड़ रुपये नेशनल स्माल सेविंग्स फंड से जो प्राप्त ऋण थे, पांच वर्षों में लगभग, उन पर ब्याज की छूट मिलने वाली है। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वित्त मंत्रालय के अलावा भी जो दूसरे विभाग हैं जिन पर कि 273 करोड़ रुपये का बकाया ऋण है, वह राइट-आफ होने की उम्मीद है। ये 3 इतने बड़े फायदे हैं कि अगर इस अमेंडमेंट से, इन तीन फायदों से प्रदेश को फायदा होता है तो मैं समझता हूं कि इसको पारित किया जाना चाहिए।

दूसरी बात आपने एक बात यह पूछी थी, वह एग्जेक्ट फिगर मैं

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

आपको बता दूं, निश्चित तौर पर हर साल 15 हजार करोड़ का कर्जा नहीं बढ़ा।...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): कितना कर्जा है?

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैं बता रहा हूं, 1 लाख 71 हजार, सारी, ...(व्यवधान) एक मिनट, मैं जोड़ नहीं पा रहा हूं। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): 1 लाख 72 हजार याद आ गया होगा?

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): 1 लाख 71 हजार 19.99, कुछ इसी तरीके का है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): वह 2G स्पेक्ट्रम के आसपास का है, 72 हजार करोड़ तो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): क्यूमूलेटिव डैट इन्क्लूडिंग अदर लाइबिलिटीज, सारा मिलाकर के कह रहा हूं आपसे...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): वह शामिल नहीं है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): क्या?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इसमें हमारी जो संस्थाएं हैं, वे शामिल नहीं हैं; यह राज्य सरकार का कर्जा है, प्योर।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आई पी एल का?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, दूसरी इंस्टिट्यूशंस का नहीं है इसमें शामिल (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): दूसरी कम्पनियों का ...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): क्यूमूलेटिव डैट इन्क्लूडिंग अदर लाइबिलिटीज मैं आपको बता रहा हूं, परसेंटेज और जी एस डी पी बता दूं आपको, उसमें सारा का सारा है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, बता दीजिए। नहीं, हमको तीन हिस्सों में बता दीजिए कि राज्य सरकार ने जो गारंटी दे रखी है, वह कितनी है; एक बजट गारंटी जैसे अभी आपने गरीब परिवारों के लिए आवास योजना शुरू की, वैसे ही इस प्रकार की अन्य गारंटियां हैं; फिर हमारी जितनी प्राइवेट

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कम्पनियां और सरकार ने जो बना रखी हैं बिजली कम्पनियां, उनकी भी हमने गारंटी दे रखी है, उनका जो कर्ज है। वह प्योर राज्य सरकार का कर्ज है? यह सारा मिलाकर के, यह तो राज्य सरकार का खुद का है, मैंने ही बताया था यह तो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सारा मिलाकर के क्यूमूलेटिव डैट इन्क्लूडिंग अदर लाइबिलिटीज, मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि 1 लाख 7 हजार 120 करोड़ रुपये है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): 1 लाख 7 हजार ...(व्यवधान)

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान राज्य वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया जाता है।

प्रश्न यह है कि राजस्थान राज्य वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया। (व्यवधान)

खण्डशः विचार ।

खण्ड-2 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 स्वीकार किया गया।

खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री शांतीकुमार धारीवाल।

विधेयक का पारण

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 को पारित किया जाए।

श्री सभापति: कोई सदस्य बोलना चाहें?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): सभापति महोदय, मैं फिर आपके माध्यम से मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि राजस्थान की स्थिति आर्थिक दृष्टि से इन वर्षों में जितनी कमजोर होती जा रही है, यह मैंने पिछले बजट के समय भी रखी थी लेकिन शायद किसी ने इस बारे में कोई तवज्जोह देने की कोशिश नहीं की। मैं सोचता हूं कि हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद है, वह 2006-07 में 1 लाख 52 हजार 189 करोड़ था, जो 2010-11 में आकर 1 लाख 96 हजार बन गया और अब इस समय 2 लाख 55 हजार 412 करोड़ रुपये है, जी एस डी पी, उसकी तुलना में हमारी प्रति व्यक्ति जो आय है, वह घट रही है। यह आश्चर्यजनक है। एक तरफ हमारी जी एस डी पी बढ़ रही है और दूसरी तरफ राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय उसकी तुलना में, उसके परसेंटेज के हिसाब से घट रही है। 2006-07 में जब 1 लाख 52 हजार रुपये थी तब प्रति व्यक्ति की आय 21342 रुपये और अभी जो 2010-11 में जो 1 लाख 96 हजार 45 करोड़ रुपये जब थी तब हमारी प्रति व्यक्ति आय थी 25616 रुपये, इसका मतलब हमारी प्रतिव्यक्ति आय इन वर्षों में केवल 16 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ी है और हमारा जो जी एस डी पी है, वह 29 परसेंट से बढ़ा है तो कृपा करके बताइए कि जब जी एस डी पी इतनी बढ़ी है तो प्रति व्यक्ति आय दर कैसे घटी है। इसको थोड़ा स्पष्ट करें।

फिर इस सरकार ने, मैंने उस समय भी बताया था कि इस सरकार के आने के बाद जितना हम कर्जा ले रहे हैं, उतनी हम परिसम्पत्तियां नहीं बना पा रहे हैं, जब भी कांग्रेस आती है तो जितना कर्जा लेती है, उसकी तुलना में उसकी परिसम्पत्तियों का परसेंटेज घटता जाता है, मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि इस फीगर पर भी आप निगाह डालिए कि वास्तव में यह स्थिति क्यों आती है कांग्रेस के कार्यकाल में? मैं सिर्फ 1999-2000 के फिगर आपके

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सामने रख रहा हूं कि जब हमने कर्जा लिया था, वह हमने लिया था 4282 करोड़ रुपये, उसके तहत हमने जो परिसम्पतियां बनाई वह 1517 करोड़ रुपये। हमने 2006-07 में जितना कर्जा लिया, उतने से अधिक की परिसम्पत्तियां बनाई। मैं केवल एक फिगर देना चाहता हूं, 2006-07 में हमने कर्जा लिया था 4,738.91 करोड़ रुपये और परिसम्पत्तियां बनाईं, थी 4,809.37 करोड़ रुपये की; अर्थात् 101 प्रतिशत कर्ज की तुलना में परिसम्पत्तियों का निर्माण किया वर्ष 2006-07 में। 2007-08 में हमने कर्जा लिया था 5,992.22 करोड़ रुपये, परिसम्पत्तियां बनाई थी 6,555 करोड़ रुपये; अर्थात् 109 प्रतिशत जो कर्जा लिया था उसकी तुलना में परिसम्पत्तियां बनाई। लेकिन इस सरकार के आने के बाद कर्जा लिया इन्होंने 2008-09 वाले में 7166.73 करोड़ रुपये और परिसम्पत्तियां बनाई हैं 5,899 करोड़, अर्थात् 82 प्रतिशत। 109 परसेंट पर परिसम्पत्तियां ले गये थे हम उधार की तुलना में और जैसे ही यह सरकार आई, परिसम्पत्तियों का परसेंटेज घटकर के 82 हो गया। उसके बाद 2009-10 का फिगर देखिए आप, इसी तरह से, 7,503 करोड़ रुपये का हमने कर्जा लिया इस साल में और परिसम्पत्तियों अभी बनीं 5,175, केवल 68 परसेंट। इसके बाद वाले सालों में यही है। हम कर्जा ले रहे हैं, कर्जा लेकर के अगर परिसम्पत्तियां बनाते हैं, तब भी राज्य के हित में होता है लेकिन दुर्भाग्य यह है कि कांग्रेस आने के बाद कर्जा बढ़ता जाता है और परिसम्पत्तियां घटती जाती हैं। इसका कारण स्पष्ट करिये और इसके बाद वाले फिगर आप बताइए कि 2010-11 में कर्जा कितना लिया, परिसम्पत्तियां कितनी बनीं। निरंतर आपकी परिसम्पत्तियों का परसेंटेज गिरता चला जा रहा है।

इसी तरह से आपका जो कर्ज का मामला है, वह कर्ज भी एक तरह से प्रति व्यक्ति कर्ज भार है। वह इतना तेजी से बढ़ रहा है, कभी आप इसके बारे में विचार करें कि आखिर यह जो कर्ज भार प्रति व्यक्ति के हिसाब से बढ़ा है, 2006-07 में जब 11 हजार रुपये का प्रति व्यक्ति कर्जा आ रहा था, आज की तारीख में यह कर्जा इस 2011-12 में जाकर के लगभग 17 हजार, अर्थात् 2011 में हम 17 हजार रुपये प्रति व्यक्ति के ऊपर आए हैं।

हमारा जो कर्जा आप बता रहे थे 1 लाख 7 हजार, मैंने पिछली बार भी कहा था आपको, आपका कर्जा इस 31 मार्च, 2012 तक एक लाख 12 हजार से भी ऊपर, आपने जो कागज दिये हैं, उनकी जोड़-बाकी लगाने से

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इतना बैठता है। अर्थात्, हमारा कर्जा निरन्तर बढ़ रहा है, प्रति व्यक्ति के हिसाब से कर्जा बढ़ रहा है और हम जितना कर्जा ले रहे हैं, उतनी हम परिसम्पत्तियां नहीं बना पा रहे हैं। इसका मतलब हमारा कर्जा कहीं न कहीं फालतू कामों में खर्च हो रहा है जिसके ऊपर हमें ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। इसको भी देखना चाहिए और प्रति व्यक्ति आय क्यों घट रही है? जब हमारा जी डी पी बढ़ रहा है तो जी डी पी जिस तुलना में बढ़ रहा है 29 प्रतिशत से, तो प्रति व्यक्ति आय भी तो बढ़नी चाहिए। वह केवल 16 प्रतिशत क्यों है? इन सब सवालों के ऊपर भी ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

यह ठीक है कि आप जिस ढंग से भी चाहें, पास करावें। यह आपको लिमिट बढ़ाने की, जब 32 प्रतिशत में ही आपका काम चल रहा है तो आप अपने इस 2011-12 में 39.3 क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं? इसका मतलब यही है कि आप कर्जा लेकर के, इस प्रदेश को कर्जे में डुबोकर परिसम्पत्तियां तैयार नहीं करेंगे, इसको कर्जदार बनायेंगे और न तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, न परिसम्पत्तियां तैयार होंगी। पैसा केवल लो, मजे आओ, खाओ-पिओ, ऐश करो, यह इसमें से परिणाम निकलने वाला है। इसको सीमा में बांधने के लिए आपने लिमिट दी है, अंतिम लिमिट जरूर दी है पर आज की आज ही इस लिमिट को बढ़ाने का जो आपने रीजन दिया न, उसके ऊपर विचार करो और इन दोनों का भी मेल बिठाओ कि प्रति व्यक्ति आय क्यों नहीं बढ़ रही है जी डी पी बढ़ने के बाद भी और प्रति व्यक्ति का कर्जा कैसे बढ़ रहा है।

श्री सभापति: मंत्री महोदय।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): यह धारणा कि परिसम्पत्तियां नहीं बनाई जा रही हैं, यह बिल्कुल गलत है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मैंने जो कुछ दिया, मैं आपको बताता हूं कि यह आपका आर्थिक समीक्षा का जो पेज नम्बर तीन है, इसको आप देखिये। मैंने कोई फिगर किताब के अलावा नहीं लिया है, मैंने मन से नहीं जोड़ा है। मैंने जो फिगर निकाले हैं, वे किताब से निकाल कर दिये हैं। 31 मार्च, 2012 तक हमारा जो कर्जा प्रति व्यक्ति 16,500 का रहा, यह भी मैंने आपकी किताब से ही निकाला है, पेज नम्बर दो से। इसमें से यह जो परिसम्पत्तियां हैं, यह मैंने पूरा चार्ट निकाला है, यह भी आपकी समीक्षा रिपोर्ट

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

से ही निकाला है कि हमारी परिसम्पत्तियां जितना हम कर्जा ले रहे हैं, उसकी तुलना में हमारा जो कार्यकाल था 2006-07, 2007-08 का, इनमें 101 प्रतिशत और 109 प्रतिशत परिसम्पत्तियां बनाईं और आपका 82 से लेकर 68 और 68 से भी नीचे परिसम्पत्तियों का आंकड़ा गिर रहा है। यह मैंने अपने मन से आंकड़े नहीं बनाये हैं, मैंने आपकी किताब से ही आंकड़े निकाले हैं और उसी को देखकर के आप जवाब दीजिये।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, 2011 और 2012 के बजट अनुमान के अनुसार असेट क्रिएशन, असेट क्रिएशन के बाबत बोल रहा हूं, वह 106 प्रतिशत है और 2011 और 2012 के बाबत बता रहा हूं कि बजट अनुमान के अनुसार...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): वह तो मार्च में कम्प्लीट करेंगे। अभी से आपके पास फिगर कैसे आ गये?

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): फिगर आ गये, यह मैं बता रहा हूं आपको। आप इनको चैक करवा लीजिये अगर गलत हों तो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आपने फाइनेंशल ईयर की असेट भी बना ली.... (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आप इसे चैक करा लें। (व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): आप तो टोटल 2010-11 का बताओ, 2011-12 का क्यों बता रहे हो? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): 2010-11 का पहले बता दो ताकि कम से कम वह साल तो हो गया न।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मुझे जवाब तो देने दीजिये। 2011-12 के बजट अनुमानों के अनुसार....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह कहो न।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): बजट अनुमानों के अनुसार असेट क्रिएशन 106 प्रतिशत है और इसके पूर्व के 2-3 वर्षों में जो विश्वव्यापी मंदी थी.... (व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): आपने ही भत्ता दिया है कर्मचारियों को 16 प्रतिशत, जब मंदी आई थी। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): नहीं थी मंदी? आप बता दें। मंदी से एवं छठे वेतन आयोग के भार से असेट क्रिएशन उससे कुछ कम हुआ है। आप यह बता दें कि वेतन आयोग का असर नहीं हुआ? (व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): 16 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया है कर्मचारियों को और कह रहे हैं कि मंदी आई है। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मंदी का असर नहीं हुआ? (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): मंत्रीजी, इसमें पर्सनल असेट तो शामिल नहीं है? (व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): आपने 2009-10 और 2010-11 में एक बार 10 प्रतिशत और एक बार 16 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया है और आप कह रहे हो कि मंदी आई है। क्यों असत्य बोल रहे हो?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय मंत्रीजी उत्तर दे रहे हैं, आप कृपया सुनें। कृपया सुनें आप, पहले आप उनका उत्तर सुनिये।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, डाक्टर साहब का आपने दो बार नाम पुकारा, तब तो ये मरीज देखने चले जाते हैं और अब बोल रहे हैं। जी डी पी की वार्षिक बढ़ोतरी के साथ-साथ जनसंख्या में भी बढ़ोतरी हुई। इसको तो मानेंगे आप? न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा जनसंख्या कहीं बढ़ी है तो अपने प्रदेश में बढ़ी है और वृद्धि की दर अन्य राज्यों की तुलना में निश्चित तौर पर अधिक है। अतः केवल जी एस डी पी में वृद्धि से ही प्रति व्यक्ति आय या पर-कैपिटा-इन्कम की तुलना करना उचित नहीं होगा। यह उचित नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, वस्तु-स्थिति को भी देखना पड़ेगा।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 को पारित किया जाय?

(स्वीकृत)

राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 पारित किया गया।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान।

विधेयक पर विचार

राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2011

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2011 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, सदन के सम्मुख राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) विधेयक विचारार्थ लिया जा रहा है। सभापति महोदय, इसमें कोई शक नहीं कि जिस महान् विभूति, भारत के पूर्व राष्ट्रपति डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से इस विश्वविद्यालय के नाम को अलंकृत किया जा रहा है उसमें किसी का विरोध नहीं क्योंकि जब उनकी चर्चा करते हैं तो उनके दर्शन शास्त्र, उनका तर्कवाद, मानवतावादी दृष्टिकोण और संस्कृत से उनकी निकटता, इन सब बातों को देखकर लगता है कि विश्वविद्यालय जो पूरे देश में दूसरा है, उसका नाम यह होना चाहिए। परन्तु, सभापति महोदय, कल सरकार सदन के अन्दर 6 निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों के विधेयक पास कराकर के गई है, बड़े उद्योगपतियों के व्यवसाय के अन्तर्गत ये विश्वविद्यालय स्थापित होंगे। जब नामकरण की बात चलती है तो मैं, मंत्री महोदय, आपसे जानना चाहूंगा कि आपने महाराजा सूरजमल का नाम सुना होगा, महाराजा सूरजमल, जिन्होंने मुगल सल्तनत को ललकारा, जिनके बारे में यह कहावत आज भी चलती है कि ''एक फिरंगी नौ-ग्यारह, लड़े जाट का दो छोरा'', ऐसा शानदार इतिहास जिनका था उनके नाम से विश्वविद्यालय खोला गया था। 11 मार्च, 2008 को इसी सदन में घोषणा हुई थी महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय, भरतपुर की। क्या गुनाह किया था? या तो आप इस महान् विभूति को मानते नहीं। इसी तरह से महाराज भर्तृहरि के नाम से आपके जिले का विश्वविद्यालय खुला। वे राजा जो अपना राज-पाट छोड़कर के ऋषि बन गये और इसी तरह से शेखावाटी विश्वविद्यालय खुला।

जब आप नाम परिवर्तन को लेकर के आये हैं तो ये नाम जिन्हें आप गुमनामी के अंधेरे में लेकर चले गये, जिन विश्वविद्यालयों के अन्दर 2008-09 में तत्कालीन सरकार ने ओ एस डी नियुक्त कर दिये, भूमि का चिन्हिकरण हो

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

गया, अध्यादेश जारी हो गया, अध्यादेश राजभवन में गया तो तत्कालीन राज्यपाल महोदय ने कुछ आपत्तियों के साथ उनको लौटाया, तब तत्कालीन सरकार ने मंत्रीमण्डल की पुन: बैठक करके उन सारी आपत्तियों का निराकरण करके वापस भेज दिया पर फिर आचार संहिता लग गई। सोच तो यह रहे थे कि ये अध्यादेश एक्ट के रूप में इस सदन के अन्दर लेकर के आओगे, पूरे शेखावाटी में आंदोलन हुआ, जनता सड़क पर आ गई, भरतपुर में आंदोलन हुआ, आपके गृह जिले अलवर में आंदोलन हुआ परन्तु आपने इन तीन विश्वविद्यालयों को ठंडे बस्ते में क्यों डाल दिया? क्या यह सही है कि इन विश्वविद्यालयों के लिए जिन जमीनों का चिह्नीकरण किया गया था, आज उन जमीनों को भी आपने रिलीज कर दिया? आपने ओ एस डी को भी हटा दिया?

मैं इस नाम के विरोध में नहीं हूं पर शिक्षा के स्वायत्तकरण के नाम पर उच्च शिक्षा के प्रति सरकार जितनी संवेदनशील होनी चाहिए थी उतनी संवेदनशील नहीं है, गम्भीर नहीं है। आज कुकुर-मुत्तों की तरह निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय खुल रहे हैं। हमारे शेखावाटी के सेठ सिंघानियाजी का व्यापार जब कम चलने लगा तो विश्वविद्यालय खोल दिया। कई विश्वविद्यालय ऐसे हैं, सभापति महोदय, संसद के अन्दर मामला आया था, मानव संसाधन मंत्री, कपिल सिब्बल ने कहा कि हिन्दुस्तान के अन्दर जब हमने जांच की तो हिन्दुस्तान के 28 ऐसे विश्वविद्यालय मिले जो फर्जी थे, यानी एग्जिस्टेंस में नहीं थे, सिर्फ मोहर लगाकर डिग्री देने का काम करते थे। वे निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय थे।

इसलिए मंत्री महोदय, आप नामकरण राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय का करें पर आपकी सरपरस्ती के अन्दर इस विश्वविद्यालय की जितनी दुर्गति हो रही है, इस विश्वविद्यालय के अन्दर आज फैकल्टी नहीं है, इस विश्वविद्यालय के अन्दर यू.जी.सी. के मापदण्ड के अनुसार जितने फैकल्टी में लोग होने चाहिए, उतने नहीं हैं। आयुर्वेद के क्षेत्र में, जिस चिकित्सा की परम्परा के बारे में हिन्दुस्तान को लोग अग्रणी ही नहीं, संस्थापक मानते हैं, विदेशी लोग शोध कर रहे हैं। आपकी सरपरस्ती के अन्दर दूसरे दर्जे का अपना विभाग माना है। आज चले जायें गांवों के अन्दर, सारे आयुर्वेद औषधालयों के बारे में मेरी चुनौती है, लगभग 36 प्रतिशत आयुर्वेद औषधालयों में वैद्य नहीं हैं। आप करना क्या चाहते हैं? सभापति महोदय, विश्वविद्यालय इसलिए खोला जाता है कि उस विश्वविद्यालय से जो लोग तैयार होंगे, जो चिकित्सक बनेंगे,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

वैद्य बनेंगे, वे समाज की सेवा करेंगे। यह कारखाना है। इसके साथ नामकरण तो आप इतने बड़े आदमी का कर रहे हो पर आज यह विश्वविद्यालय किस स्थिति के अन्दर है, कभी आपने गौर किया? जिसको आप कहते हो, पूरे देश में यह दूसरा विश्वविद्यालय है, कभी एक बार भी, मंत्री महोदय, आप या आपके प्रमुख शासन सचिव ने जाकर देखा है, किस तरह से विश्वविद्यालय चल रहा है?

इसलिए मेरा निवेदन है कि आप नाम का अलंकरण करें, ठीक है, परन्तु ये जो अनुत्तरित सवाल हैं, जिनका जवाब जनता मांगती है, क्या कारण है, महाराजा सूरजमल से क्या दुश्मनी थी आपकी, उनके नाम से खुले हुए विश्वविद्यालय को आप बंद कर रहे हो। महाराजा भर्तृहरि है, किसके चेले हैं, पता हैं, गोरखनाथजी के। मैं समझता हूं, आप कितने गम्भीर हैं इस विश्वविद्यालय के लिए, यह आप अपना नाम सीधा अंकित नहीं कर पाये। जो बिल आया है आज राजस्थान की विधान सभा के अन्दर, उस बिल में भी मंत्री महोदय अपना नाम काटकर लिखे, एमादुद्दीन अहमद, फिर बीच में दुरू मियां। दुरू मियां जी, बीच में यह खान शब्द। बड़ा प्रेम है न आपको? आपने काटकर लिखवाया, एमादुद्दीन अहमद खान। निश्चित रूप से आपका बैकग्राउंड है, राजशाही आपके खून में है परन्तु यह लोकशाही है। यह लोकशाही जवाब मांगती है आपसे कि आप जिस विश्वविद्यालय का नामकरण कर रहे हो, उस विश्वविद्यालय की दुर्गति भी आप कर रहे हो पर शेखावाटी, भरतपुर और अलवर, अलवर में भर्तृहरिजी के नाम से विश्वविद्यालय खुला है, ये गोरखनाथजी के शिष्य रहे हैं। एक सांप मिल गया ना आपको तो बड़ी मुश्किल हो जायेगी आपकी। इसलिए आज आप खड़े होइये और खड़े होकर यह कहिये कि मैं इस विश्वविद्यालय का नामकरण कर रहा हूं, यह बहुत अच्छी बात है परन्तु ये तीनों विश्वविद्यालय हैं, इन तीनों विश्वविद्यालयों को खोलने का काम भी मैं करूंगा। अगर हिम्मत है तो आप इस भावना के साथ खड़े होकर अपना जवाब दें।

श्री सभापति: डाक्टर दिगम्बर सिंह। कृपया कोई टिप्पणी नहीं करें, सुनिये माननीय सदस्य को।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): सभापति महोदय, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के नाम परिवर्तन का यह विधेयक है, मैं इसके लिए तो माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा और बधाई भी देना चाहूंगा कि कम से

(डा. दिगम्बर सिहं)

कम इस नाम परिवर्तन से आपने अपने विजन को तो स्पष्ट किया, नहीं तो आज तक कांग्रेस इन्दिरा गांधी और राजीव गांधी, इनसे तो बाहर निकलकर आई नहीं है। जो भी संस्थाएं खोली गईं, राजीव गांधी, कहीं इंदिरा गांधी के नाम से खोली गईं। आप कम से कम एक ऐसे व्यक्तित्व के नाम पर नाम परिवर्तन कर रहे हैं जिसका आदर-सत्कार पूरे हिन्दुस्तान में है और यहीं नहीं, विदेशों में भी रहा है। एक ऐसे दर्शनशास्त्री जिसका लोहा लोग मानते थे, ऐसे नाम पर आप नाम परिवर्तन कर रहे हैं, इसके लिए तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं पर बहुत अच्छा होता, मंत्री महोदय, इस विश्वविद्यालय के नाम परिवर्तन के साथ-साथ आयुर्वेद के लिए और कुछ परिवर्तन भी इसमें आप लाते। केवल नाम परिवर्तन से आयुर्वेद का कोई भला होने वाला नहीं है। यह सब लोग जानते हैं कि आयुर्वेद, योग और संस्कृत, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा रहे हैं परन्तु, सभापति महोदय, 65 साल के आपके राज की यात्रा रही है, इसने सबसे बड़ा अगर दुर्गुण पैदा किया है, सबसे बड़ा समाज को अगर नुकसान दिया है तो हमें अपनी संस्कृति से अलग करने का दिया है। हम संस्कृत को भूल गये, हम आयुर्वेद को भूल गये, हम योग को भूल गये और जब विदेशों में योग योगा के नाम से प्रचारित होने लगा, जब वहां पर आयुर्वेद आयुर्वेदा के नाम से चालू हुआ तो हमारे देश में वापस जागृति पैदा होने लगी कि हमको भी आयुर्वेद में कुछ करना चाहिए। आपने 2002 में ये संस्थान खोले हैं, यह यूनिवर्सिटी 2002 की है परन्तु आज 2011 में भी कितना रिसर्च वर्क आयुर्वेद के इस इंस्टिट्यूशन में होता है, कभी आप जाकर देखना। आज एस.एम.एस. अस्पताल के अन्दर इतनी भीड़ रहती है। कारण क्या है? हिन्दुस्तान के लोग तो बहुत तारीफ करते हैं, हमारा समाज चाहता है कि हम आयुर्वेद की दवाई लें, सब कहते हैं कि साइड इफेक्ट आते हैं एलोपेथी की दवाइयों से, उसके बावजूद भी आज आयुर्वेद के दवाखाने खाली क्यों पड़े रहते हैं?

पहली बार पिछली सरकार ने किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा वसुन्धराजी को कि आयुर्वेद के बेरोजगारों की लम्बी लाइन को रोजगार देने का कार्यक्रम किया था। पहली बार, कितने सालों के बाद तो पिछली सरकार ने किया था और केवल आयुर्वेद में ही नहीं, बल्कि यूनानी में और होम्योपेथी के चिकित्सकों को और कम्पाउंडर्स को नौकरी देने की व्यवस्था की थी तो पिछली सरकार ने की थी। आपकी सरकार ने तो नाम परिवर्तन का

(डा. दिगम्बर सिंह)

काम किया है, यह बहुत अच्छी बात है। वैसे तो आपकी सरकार सबसे ज्यादा अगर बिजी रही है तो नाम परिवर्तन में रही है। जब भी मौका मिला है, तब से आप देख लो, स्कूलों के नाम बदल दिये, उद्यानों के नाम बदल दिये। यह करने में लगे रहते हैं। जिसने स्वतंत्रता संग्राम में पिल्ला नहीं मारा, उसके नाम से बड़े-बड़े उद्यानों के नाम आप लोगों ने रख दिये क्योंकि वह कांग्रेस का कार्यकर्त्ता था, इसके अलावा उसकी कोई वेल्यू नहीं थी।

तो आपने यह तो खैर, एक काम बहुत अच्छा किया परन्तु मैं निवेदन करना चाहूंगा, जैसा राजेन्द्रजी ने कहा, अगर विश्वविद्यालयों की हम बात करें, कल आपने छह बिल पास किये हैं। जिस तरह से कामरिमिलाइजेशन एजुकेशन का आप लोग कर रहे हैं, आने वाले समय में न तो कोई डिग्री की वेल्यू होगी, न कोई क्वालिफिकेशन की वेल्यू होगी क्योंकि वहां तो केवल पैसे देने वाले जायेंगे; जिनके घर में अच्छा पैसा है, वे पैसा देकर अपने बच्चे का एडमिशन करायेंगे तो एजुकेशन की क्वालिटी क्या होगी, इसका भगवान मालिक है। यह मैं फिर कहना चाह रहा हूं कि जिस तरह से टेक्निकल एजुकेशन में हुआ है, कुकुरमुत्ते की तरह इंजीनियरिंग कालेज चारों तरफ खोलकर पटक दिये, आज खाली पड़ी हैं सीट्स, आधी से ज्यादा सीट खाली पड़ी हैं, लोगों को स्टूडेंट्स नहीं मिल रहे हैं।

तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल में अमेंडमेंट के साथ इसमें कुछ ऐसा भी आपको करना चाहिए था जिससे आयुर्वेद को कैसे हम आगे ला सकें, इससे रिसर्च वर्क में और हम कितना काम कर सकते हैं, वह बहुत आवश्यक था और जिस तरह से तीन विश्वविद्यालयों के बिल लाये हैं, पिछली सरकार ने तीन यूनिवर्सिटीज स्वीकृत की थीं, हमारी सरकार ने की थीं, भरतपुर में महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय, अलवर में विश्वविद्यालय और शेखावाटी के अन्दर विश्वविद्यालय। लैंड अलाटमेंट हो गया, वहां पर एक ओ.एस.डी. की नियुक्ति कर दी गई, बजट में प्रावधान हो गया, उसके बावजूद भी सरकार ने केवल इसलिए कि भरतपुर में तो सात विधायकों में से भारतीय जनता पार्टी ने छह विधायक जीते हैं, इसलिए भरतपुर के अन्दर विश्वविद्यालय नहीं खोलेंगे। आप मेडिकल के मंत्री हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे कितनी बार मिला, मेडिकल कालेज के लिए। आपने वहां पर पहले शुरुआत की थी, हमने शुरुआत की थी, मेडिकल कालेज में आपने ओ.एस.डी. नियुक्त कर दिया था। उसके बाद ओ.एस.डी. साहब वापस आ गये, आपकी सरकार ने बुला लिया

(डा. दिगम्बर सिंह)

और मेडिकल कालेज को भी आप लोगों ने रद्दी की टोकरी में डाल दिया। तो इस अमेंडमेंट के माध्यम से...

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): अलवर में तो माननीय मुख्य मंत्रीजी और हमारे स्वास्थ्य मंत्रीजी उद्घाटन भी कर आये थे।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): पर इस बात को पहली बार आपको, सरकार को ध्यान में रखने की बात है, आप नाम लेकर योजना तो ले आते हो और सारे विधायक यहां बैठे हैं, हमारे सदस्य यहां बैठे हैं, सबके यहां पर राजीव गांधी विद्युतीकरण की योजना अभी चालू हुई होगी बी पी एल परिवारों को कनेक्शन देने के लिए, वह फ्री में बिजली देंगे बी पी एल को, एक-एक साल, आठ-आठ महीने हो गये, बिजली के मीटर तक लग गये परन्तु आज तक करंट नाम की चीज उनमें नहीं पहुंची है। लोग गाली देते हैं। राजीव गांधी योजना को गाली देते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि केवल नाम परिवर्तन से काम नहीं होगा। अगर आपको इसमें कुछ सुधार लाना है तो इसके अन्दर जाना पड़ेगा और किस तरह से हम इसका डवलपमेंट करते हैं, इस पर आपको विचार करना पड़ेगा। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रामहेत सिंह। मैं पुनः बोल रहा हूं, श्री रामहेत सिंह

(अनुपस्थित)

श्री रोहिताश कुमार

(अनुपस्थित)

श्री राधेश्याम गंगानगर।

(14.00 बजे)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): सम्माननीय सभापति महोदय, इस विधेयक के ऊपर मैं अपने विचार रखते हुए, बहुत ही अच्छी सरकार की यह योजना है, जो नाम आपने प्रस्तावित किया है, वास्तव में उसकी जितनी भी तारीफ की जाय वह कम है, डाक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिन्होंने भारत के अन्दर अपना एक नाम पैदा किया शिक्षा में, लेकिन इसके अन्दर जो कमियां हैं उनको आप दूर करने का प्रयास नहीं कर रहे। मेरे को ध्यान है, कुदरती मुझे भी मौका मिला, यह आयुर्वेद विश्वविद्यालय जो खुला है सूर्यनगरी जोधपुर में, मेरा भी उस पर नाम लिखा हुआ है, मैं भी उस वक्त मंत्री था, यह मेरी देन है, मैंने ही यहां पर रखा था प्रस्ताव। तो, सम्माननीय, मैं आपके माध्यम से हमारे

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

मंत्री महोदय से, बहुत प्यारे मंत्री हैं, मैं निवेदन करूंगा, इसकी स्थिति डगमगा गई है, इस स्थिति में कुछ भी नहीं है, इसमें जो सुधरना चाहिए, वे चीजें नहीं हैं। मैंने...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य....(व्यवधान)

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया (चूरू): आप सरकार को दोष दो, वे अलग सरकार चला रहे थे।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): मैंने एग्रीकल्चर बोर्ड बनाया था...

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया (चूरू): आपकी देन कैसे हो सकती है? उस सरकार की देन थी।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): मैंने इसके अन्दर और कई सुधार किये थे। मेरे को यह ध्यान है कि संयोग से...

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया (चूरू): ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, माननीय सदस्य।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): बारह हजार करोड़ की खेती की हुई दवाइयां चाइना से जाती हैं अमेरिका को और हमारे यहां से केवल चार सौ करोड़ की। तो मैं यह चाहता हूं कि इस बात को आप बढ़ाओ। हमारा मेडिसिन प्लांटेशन बोर्ड बना हुआ था, उस बोर्ड का क्या किया? कहां चला गया वह बोर्ड, इसके ऊपर आपको पूरी तरह अध्ययन करना चाहिए और पुनः इस चीज को जीवित करना चाहिए।

मुझे गर्व है, ये अभी जो जिक्र कर रहे थे, यह बात अलग है, इधर या उधर का मतलब नहीं है, यह विषय जो है यह विषय राजस्थान की जनता से जुड़ा हुआ विषय है। आज आपके जो वहां विश्वविद्यालय से निकल रहे हैं, उनकी हालत क्या है? आगे आपको आदमी, पूरे डाक्टर मिल नहीं रहे। मेरे को याद है, मैंने आयुर्वेद का नाम पूरे राजस्थान में ऐसा चमकाया था कि आज तक हिन्दुस्तान में ऐसी मिसाल नहीं है। आप किसी भी अधिकारी से पूछ लेना और जनता से पूछ लो, पूरे हिन्दुस्तान में अपने नम्बर का वन था यह और यह यूनिवर्सिटी जो बनी, विश्वविद्यालय बना, मैं दिल्ली से, भारत सरकार से इसकी मंजूरी लेकर आया और यहां मैंने वह बिल पेश किया, एक्ट पेश किया और सदन ने उसको पास किया। उसकी भावना के अनुरूप, मैंने जब कोटा में,

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

बीकानेर में, उदयपुर में, जयपुर में कैम्प लगाये, हजारों की तादाद में लोग आयुर्वेद पर विश्वास करने लग गये। लोग आकर उपचार कराते थे और लोगों को उससे लाभ होता था। यह भारतीय पद्धति है हमारी, इसको हम भूलते जा रहे हैं, केवल कागजों में हमने इसको रख रखा है, हमारा कोई भी इसका काम नहीं हो रहा। सिवाय भ्रष्टाचार के इसमें कोई भी चीज नहीं है। आप इसको अगर अच्छी तरह....(व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): राधेश्यामजी, पहले आप इधर थे...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, राठौड़ साहब, बैठें। कृपया बोलने दें, माननीय सदस्य को बोलने दें।

श्री करणसिंह (छबड़ा): आपने अपनी पद्धति बदल दी, आपने अपनी पद्धति बदल दी इसलिए गड़बड़ हो गई।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): यह इधर और उधर की बात छोड़ो मेरे भैया...

श्री करणसिंह (छबड़ा): गड़बड़ हो गई ना इसीलिए।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): यह सोचो कि क्या बात मैं कर रहा हूं, आप मनन करो।

श्री करणसिंह (छबड़ा): अभी भी मौका मिल रहा है आपको, आपको चांस मिल रहा है।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): आप मनन करो। अगर आपकी सोच सही होती...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप वाद-विवाद न करें। (व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): आपकी भावना भी आगे बढ़ाने की है तो इधर...(व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): मैं कहता हूं, आपमें कोई अच्छाई होती तो मैं उधर ही रह जाता न । आपकी बुराइयों को देखकर पूरे हिन्दुस्तान में आपका झंडा बुलंद हो रहा है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार, मेरे ख्याल से वर्ल्ड में, दुनिया में कहां हुआ है? मैं कहां रहता? मेरा तो दम घुट रहा था वहां। (व्यवधान)

श्री नगराज (धरियावद): इधर मंत्री रहते हो और भ्रष्टाचार के विरुद्ध उधर जाकर बैठना पड़ रहा है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): आपका जीवन उधर ठीक कट जायेगा।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): आपको इसका मालूम ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): आपका जीवन उधर ठीक से कट जायेगा। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): आपको मालूम नहीं है इस विषय में।

श्री नगराज (धरियावद): इस पार्टी ने आपको उधर बैठाने का दिया है।

श्री करणसिंह (छबड़ा): आप मालूम कर लो।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): और फिर मैं पूरा पिटारा खोलूंगा न तो यहां सुबह से शाम हो जायेगी। (व्यवधान)

श्री नगराज (धरियावद): हां, हां, तैयार बैठे हैं हम।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): मैं, मंत्री महोदय, आपसे आशा रखता हूं कि आप इस....

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): यह कब कैंसल हो रहा है, यह तो बताओ।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): कार्य को बड़े सुन्दर तरीके से लेकर और आयुर्वेद जो हमारी पद्धति है, हमारे पुरखों ने इस चीज का बहुत भारी लाभ उठाया है, कम पैसे में आयुर्वेद में जो लाभ जनता को मिल सकता है वह कहीं नहीं मिल सकता। अब आप जो स्कीम लागू कर रहे हैं बहुत अच्छी स्कीम है, बहुत अच्छा आपने सोचा कि मरीजों को हमारी दवाइयां हास्पिटल में मुफ्त मिलें। यह जरूरी नहीं कि सारे काम आपके गलत होते हैं, जो अच्छे हैं उनकी हम तारीफ भी करते हैं लेकिन इसी तरह आयुर्वेद का भी हर हास्पिटल में आपका एक बहुत बड़ा सेंटर होना चाहिए। आयुर्वेद, होम्योपेथी और यह जो जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, चार हैं इसमें, वेदा भी है, तो इनको आप लेकर पूरी तरह इसको सुचारु रूप से, भारत की जनता इनसे जुडी हुई है। यह जो मैं आपको निवेदन कर रहा था, उसको आपने नोट किया या नहीं किया, जो मेडिसिन प्लांटेशन बोर्ड था उसके माध्यम से किसानों ने हजारों

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

करोड़ रुपये कमाये थे उस वक्त, सिर्फ थोड़े से अरसे में। कितनी चारों तरफ मूसली बेची जा रही थी। और किस-किस तरह की खेती लोग करते थे और कितना भारी लाभ मिलता था, उसकी तरफ आपका बिलकुल ध्यान नहीं है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि किसान हित में मेडिसिन प्लांटेशन बोर्ड को जाग्रत कीजिये, ज्योति जलाइये ताकि किसान अपना उसका लाभ उठा सके, किसान को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो।

इसी तरह जो हमारे कालेज हैं, उनके अन्दर अपनी काफी सीटें खाली रहती हैं। क्यों रहती हैं? क्या कारण हैं? बंद होते जा रहे हैं। आपके जितने भी हमारे टाइम में खुले हुए, आपके टाइम में तो मेरे ख्याल से अभी खुला ही नहीं कोई; यूनिवर्सिटी भी तब बनी, आयुर्वेद कालेज भी तब बना, और सारी व्यवस्था उस वक्त हुई; आज उस तरफ ध्यान नहीं है। आपके कालेज बंद हो रहे हैं, आपके अच्छे डाक्टर्स तैयार नहीं हो रहे। वैद्य को आप वर्दी पहनने के लिए उसको कहो, उसको सम्मान दिलाओ। एक वैद्य को सम्मान मिले जितना आपके डाक्टरों को सम्मान मिलता है, उसी तरह वैद्य को सम्मान मिलना चाहिए। कोई जमाना था, लोग गांव में बैठे हुए वैद्य से बात करते थे कि वैद्यराज, आप बताओ, इस मामले में क्या करें। बीमारी की बात नहीं, वैद्य को गुरु मानते थे गांवों में कि वैद्यजी के पास चलें, यह इंसाफ करवाना है, यह पंचायती करानी है। वे चीजें खतम होती जा रही हैं। भारतीय संस्कृति को जाग्रत करो, उठाओ, जागो, भारत को नया स्वरूप दो, आयुर्वेद को पनपाओ। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री कालीचरण सराफ। (व्यवधान) नहीं हैं।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): इधर से उधर वह डेपुटेशन कब...(व्यवधान)

श्री सभापति: श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ऐसा है, यह विषय बहुत लम्बा है, आप पछताओगे।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): हम नहीं पछता रहे, आप पछता रहे हो। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): दुखती रग पर हाथ मत रखो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया आप शांति बनायें, कार्यवाही चलने दें सदन की।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): यह जब दुःख फूट गया ना, मैं जिस पर दो साल से चुप हूं...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, राधेश्यामजी।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): जब मैं इस पर बोल गया तो आपकी बोलती बंद हो जायेगी।

श्री सभापति: राधेश्यामजी, यह विषय नहीं है अभी, चर्चा इस विषय पर नहीं है। कृपया शांति बनाये रखें। श्री कालीचरण सराफ साहब। अनुपस्थित हैं। श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगा कि वे यह नाम परिवर्तन का बिल लेकर आये हैं। इसके उद्देश्यों और कारणों को अगर अपन पढ़ते हैं तो इसमें से इसकी सारी भूमिका स्पष्ट होती है। आपने लिखा है कि ''आयुर्वेद और संस्कृत परस्पर निकटतापूर्वक सम्बद्ध हैं। भारत के राष्ट्रपति डाक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन संस्कृत और दर्शन शास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान थे। उनका वैज्ञानिक, तर्कवादी और मानवतावादी दृष्टिकोण हमारे देश के लिए एक धरोहर है। राष्ट्र और मानवता के प्रति उनके समर्पित जीवन के कारण उन्हें 'भारत रत्न' से सम्मानित किया गया।'' सभापति महोदय, डाक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से आयुर्वेद विश्वविद्यालय का नाम करना समीचीन है और मैं इसके लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं, यह आप बहुत बढ़िया बिल लेकर आये हैं लेकिन जब हम आयुर्वेद के ऊपर डिस्कस करते हैं तो आपने इसमें एक शब्द लिखा है कि संस्कृत और आयुर्वेद, ये एक साथ सम्बद्ध हैं और ये सम्बद्ध भी हैं, यह भी आपने बिलकुल ठीक लिखा है क्योंकि आयुर्वेद की जो पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों के सारे सारांश संस्कृत में लिखे हुए हैं, उदाहरण के लिए मृत्युभक्षणात पाण्डुरोगम् भवै:, मिट्टी खायेंगे बच्चे तो उसके पांडु रोग हो जायेगा। इस प्रकार से सब प्रकार की बातों का उसमें वर्णन है। आपने यहां तो सम्बद्धता लिख दिया लेकिन आपने आदेश जारी कर दिये, उस आदेश के अन्तर्गत अब आयुर्वेद में एडमिशन लेने वाले को संस्कृत पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आज फर्स्ट ईयर पास है किसी भी सब्जेक्ट में, बोटनी से भी, वह भी आयुर्वेद में एडमिशन ले सकता है। इसलिए इसकी सम्बद्धता को आपने स्वयं ही समाप्त कर दिया। आप एक बार पुनः विचार करें इस बात पर। जिसको अंग्रेजी की जानकारी नहीं

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

है वह मेडिकल साइंसेज को पढ़ने में कितना कामयाब होगा, जिसको संस्कृत की जानकारी नहीं है वह संस्कृत में लिखी हुई सारी पुस्तकों को किस प्रकार पढ़ सकेगा और किस प्रकार उसका अर्थ निकाल सकेगा, यह आप इसकी जानकारी करें। इसके कारण से आयुर्वेद की प्रतिष्ठा गिर रही है। जिस समय संस्कृत से पढ़कर आता था, आयुर्वेदाचार्य, आयुर्वेदरत्न उसको लिखते हुए बड़ी प्रसन्नता होती थी। आज अंग्रेजी से पढ़कर आता है, वह वैद्य नहीं लिखता, बी एम एस डाक्टर। तो, भैया, आपको बी एम एस डाक्टर बनना है तो अंग्रेजी पढ़ो। तो यह आपने इसका जो संबंध तोड़ा है, उस संबंध को तोड़ने से आयुर्वेद का नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है लेकिन आयुर्वेद पढ़ने वालों का सबका बहुत बड़ा नुकसान इससे हुआ है।

दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि आयुर्वेद पर खोज का काम हमेशा-हमेशा के लिए बंद कर दो और आयुर्वेद के लोगों ने कमाई करने के लिए एक वैकल्पिक रास्ता निकाल लिया, सारी आयुर्वेदिक दवाइयों का नाम अब अंग्रेजी दवाइयों के नाम से अब मार्केट में आ रहा है। आज लिव-52 एक मात्र प्योर आयुर्वेदिक औषधि है। लिवोना, हिमालय की रूमालिया, लिवकेयर, सारी दवाइयों को अंग्रेजी नाम से बाजार में बेचा जा रहा है। हम उसको अच्छी तरह से देख रहे हैं। एक मैं परसों ही विज्ञापन देख रहा था, आयुर्वेदिक गुणों से युक्त क्रीम और उसको लगाने से गोरा हो रही थीं, एक महिला आई थी सामने, वह गोरी हो रही थी। इतना गलत प्रचार हो रहा है। अगर आयुर्वेद के नाम से कोई क्रीम बन गई और उससे गोरे हो रहे हैं तो जकिया जी हमारे यहां बैठी हुई हैं, एक-दो डब्बे उधर भी पहुंचा दो। क्या बिगड़ जाएगा आपका? ममता को ही दे दी आपने सारी डिब्बियां। अगर जकिया जी को दे दो तो क्या तकलीफ है? ये ऐसे विज्ञापन भी रोकने चाहिए। यह मैं मजाक में नहीं कह रहा हूं। (व्यवधान) मुझे जरूरत है कि आप अच्छी लगो (व्यवधान) अभी लग रही हैं, और अच्छी लगें। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि नाम पर ऐसा न हो।

दूसरा, आयुर्वेद का जो माननीय राधेश्याम जी ने कहा अभी सबसे बड़ा काम था, राजस्थान में आयुर्वेद की जो हर्बल औषधियां हैं, उनका जो उत्पादन है और उनके उत्पादन के आधार पर जो औषधियां बनती हैं, उनका क्या हुआ? क्या आयुर्वेद विश्वविद्यालय में यह कोर्स है? 5,500 औषधियों का वर्णन है चरक संहिता के अन्दर; पांच हजार और पांच सौ औषधियों का वर्णन है, उनमें से हमारी आयुर्वेद यूनिवर्सिटी को अभी तक केवल 350 औषधियों की जानकारी

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

है। वे जड़ी-बूटियां गायब हो रही हैं। उनका संरक्षण करने का, उनको बढ़ाने का काम आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के जिम्मे था। क्या आयुर्वेद विश्वविद्यालय ने वह काम किया है? इस बात को हमको सोचना बहुत जरूरी है। मैं उदाहरण के लिए कहना चाहता हूं, दिव्य फार्मेसी स्वामी रामदेव जी की है, मैंने वहां पर जाकर देखा तो उन्होंने मेहनत करके 1,500 औषधियों को चिह्नित किया है और 1,500 जड़ी-बूटियां वहां पर उपलब्ध हो गई हैं। क्या हम उनके माध्यम से और किसी माध्यम से उन औषधियां का विवरण करें या नहीं करें? उस समय तो परीक्षण एक होता था तक्षशिला में, जब वह लड़का आयुर्वेद का पढ़कर बाहर आता था तो 100 वर्ग किलोमीटर का एक बहुत बड़ा बाग़ था, उसमें उसको भेज देते थे और कहते थे कि तुम जाकर इसमें से सौ औषधियों का चयन करके लाओ कि ये सौ औषधियां हैं, ये पत्ते हैं, ये जड़ी हैं, ये बूटी हैं, इनको मैं पहचानता हूं। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि बाजार में पसारी के यहां से जो दवाई आती है, उनको हम खरीदकर, कूट काटकर आज दवाई बनाते हैं और वे चलती भी हैं। च्यवनप्राश पर सब जगह लिखा हुआ आता है सष्टवर्गयुक्त च्यवनप्राश। सष्टवर्गयुक्त च्यवनप्राश कब बना था? च्यवन ऋषि ने बुढापे में एक जवान लड़की से शादी कर ली थी ...(व्यवधान) मैं बता रहा हूं सुन तो लो। जब उनको कोई जरूरत पड़ी तो उन्होंने च्यवनप्राश बनाया और वे जवान हो गये। आपने इतने च्यवनप्राश के डिब्बे खा लिए, फिर भी आपके बाल ही नहीं उगे टांट पर। तो आप देखो, इस च्यवनप्राश में है क्या? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सारी दवाइयों का जो निर्माण होता है, उनमें वह औषधियां हमको प्राप्त ही नहीं हो रही हैं। ये सारा का सारा इसलिए हो रहा है कि उन औषधियों का चयन नहीं है, उन औषधियों के बारे में हम जानते नहीं हैं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन, आयुर्वेदिक औषधियों की पकड़ और आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन ठीक प्रकार से हो, जड़ी-बूटियों का उत्पादन ठीक प्रकार से हो, इसकी बहुत आवश्यकता है।

दूसरा, महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपसे उठाना चाहता हूं भस्मों के संबंध में। आयुर्वेद में कई प्रकार के हैं, आयुर्वेद में काष्ठ की औषधियां हैं, रस और रसायन हैं, आंवले हैं और भस्म हैं। अलग-अलग प्रकार की औषधियां होती हैं, आयुर्वेद में एक प्रकार की औषधि नहीं है। आयुर्वेद में और एलोपेथी में बड़ा फर्क है। एलोपेथी चिकित्सा का विज्ञान है ...(व्यवधान) नवाबों के पास दूसरी चीजें होती हैं, आपको जरूरत हो तो बोलो। आयुर्वेद में अलग-अलग प्रकार की

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

औषधियों का अलग-अलग प्रकार से वर्णन किया हुआ है तो उनके बारे में अलग-अलग प्रकार की जांच होनी चाहिए। अब उदाहरण के लिए कुछ आपके आसव व इस प्रकार के रिश्ते जो प्राइवेट घरों में बनाये जाते हैं आयुर्वेद के नाम से और उनमें एल्कोहल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, उसका दुरुपयोग केवल होता है। सभापति महोदय, आप तो जानते हैं, इस तरह से कई बार कोई चीज नहीं मिलती है तो उस आसव का सेवन करके आदमी अपना काम चला लेता है। सभापति महोदय, ये जो सारे आसव हैं, इनके बारे में आप क्या कर रहे हो? उसी प्रकार आयुर्वेद की भस्में हैं। यह एक बहुत बड़ा प्रश्न इस समय हिन्दुस्तान में खड़ा हुआ है, जो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के बारे में भी है। ये भस्में धातुओं से बनती हैं कुछ और उस धातु की भस्मों को जिस प्रकार से बनाना चाहिए, वह पूरी जब नहीं बनती है तो किडनी पर असर करती है, यह एलोपेथी के डाक्टर कहते हैं। उदाहरण के लिए सोने की भस्म बनती है, चांदी की भस्म बनती है, तांबे की भस्म बनती है, ये सारी भस्में बनती हैं और भस्में आयुर्वेद में उसी प्रकार से काम में ली जाती हैं जिस प्रकार से एलोपेथी के अन्दर अंतगोगत्वा स्टेराडड्स को काम में लेते हैं। उसी प्रकार आयुर्वेद की स्टेराडड्स के रूप में अगर देखो तो भस्मों का है। उन भस्मों के बारे में वैज्ञानिक रूप से राज्य सरकार को आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के अन्दर एक प्रकार का इस प्रकार का विभाग बनाना चाहिए जो इस प्रकार की जांच करे और प्रमाणित करे कि भस्म खाने से किडनी पर, लीवर पर असर होता है या नहीं होता है। हजारों वर्षों से जो लोग भस्में खा रहे हैं, भस्म बना रहे हैं, उनके बारे में इस प्रकार की बातों का प्रचार क्यों किया जाता है, इसकी एक उचित जानकारी हमको प्राप्त होनी चाहिए।

श्री नगराज (धरियावद): यह खाते क्यों हैं?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): खाते क्यों हैं, बीमार होता है तो दवाई लेता है।

सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि आयुर्वेद विश्वविद्यालय के बारे में अब दूसरी जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इनकी नौकरियों की बात है और इनके द्वारा यूज करने वाली दवाइयों की बात है। आयुर्वेद के जो वैद्य हैं, वैद्य हो सकता है, मेरे नाराज हो जाए लेकिन उनको आपने एलोपेथी की दवाइयों को यूज करने का अधिकार कब से दिया? और अगर नहीं दिया है तो वे प्रयोग क्यों करते हैं? यह सबसे बड़ा प्रश्न है, इसकी आपको जांच करनी

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

पड़ेगी या फिर उनको अधिकार दीजिए, एक सब्जेक्ट दे दीजिए। उसी प्रकार से इन दोनों की मिली-जुली चिकित्सा पद्धति अगर हो सकती हो तो उस पर भी आप ध्यान दीजिए।

मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहूंगा कि आयुर्वेद के अन्तर्गत एक योग की फैकल्टी कायम करें। आयुर्वेद में जब तक योग की फैकल्टी साथ-साथ नहीं होगी तब तक आयुर्वेद विश्वविद्यालय परिपूर्ण नहीं होगा। आयुर्वेद विश्वविद्यालय में संस्कृत की फैकल्टी करनी पड़ेगी, आयुर्वेद विश्वविद्यालय में योग की फैकल्टी करनी पड़ेगी, आयुर्वेद विश्वविद्यालय में हर्बल औषधियों की फैकल्टी करनी पड़ेगी, आयुर्वेद विश्वविद्यालय में आसव-अरिष्ट, आंवले हैं और भस्मों से संबंधित अलग-अलग प्रकार की फैकल्टी जब तक आप पैदा नहीं करेंगे तब तक इसका काम नहीं चलेगा। यह आयुर्वेद के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है। लेकिन बजट कितना है, ऊंट के मुंह में जीरा। आज आयुर्वेद का बजट शून्य है। 95 परसेंट बजट सारा चिकित्सा का एलोपेथी पर है। होम्योपेथी, आयुर्वेदिक, यूनानी पर, सब मिलाकर 5 परसेंट नहीं आता। यूनानीपेथी भी बहुत अच्छी है। खमीरा गाजवा, और कई प्रकार की औषधियां हैं जिनको आप जैसे बुजुर्ग आदमी लेते रहते हैं। तो वे दवाइयां भी बहुत अच्छी हैं। उसका भी बजट नहीं है, होम्योपेथी का भी बजट नहीं है, आयुर्वेद का भी बजट नहीं है। तो, सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि इसको हम गम्भीरता से लें। ये फेकल्टीज जब तक हम क्रियेट नहीं करेंगे तब तक आयुर्वेद का हम भला नहीं कर पाएंगे।

फिर उसके बाद में आपके विश्वविद्यालय तो हैं लेकिन आपके कॉलेज तो समाप्त हो रहे हैं। कॉलेज हैं ही नहीं, विश्वविद्यालय में स्टूडेंट्स कहां से आएंगे? तो ये आयुर्वेद कॉलेज, पी.जी. करने वाले स्टूडेंट्स आपको चाहिए तो एक ही केवल आप यूनिवर्सिटी रखेंगे, उसमें एक ही कॉलेज रखेंगे, उसमें एक ही फैकल्टी रखेंगे तो आयुर्वेद का विकास नहीं होगा। आयुर्वेद का विकास किसी आदमी के लिए आवश्यक नहीं है, आयुर्वेद का विकास हमको मानव जाति के लिए आवश्यक है। आयुर्वेद कोई धर्म की चीज नहीं है। हमारे यहां चार वेद हैं, यजर्वेद, ऋगवेद, सामवेद और अथर्ववेद और उसके बाद पांचवां वेद कहा गया है, वह आयुर्वेद को कहा गया है। यह पांचवां वेद है और वेद दुनिया के सबसे पुराने धार्मिक और सामाजिक ग्रन्थ हैं। यह आज हम ही नहीं कह रहे हैं, दुनिया मान रही है। यह पांचवां वेद क्यों कहा गया, भगवान धन्वंतरि इसको

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

लेकर आये अमृत कलश के रूप में और यह मनुष्य जाति के लिए अमृत का काम था जीवन पद्धति का काम था। तो वह जीवन पद्धति ज़ीने की हमने भुला दी। अब वह आयुर्वेद के विद्यार्थियों में नहीं है, आयुर्वेद के पढ़ाने वालों में नहीं है।

इसलिए इस पर आप, मंत्री महोदय, गम्भीरतापूर्वक विचार करें। वैसे आयुर्वेद का ज्यादातर संरक्षण राजाओं, महाराजाओं, नवाबों ने किया है तो वह भी आपका कर्तव्य है। आप उसी श्रृंखला के आदमी हो, नवाब हो आप, इसलिए आप उसका संरक्षण करो। नवाबशाही से करो, लोकशाही से न करो तो। तो कैसे न कैसे उसका संरक्षण करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि बिल लाकर आपने बहुत बढ़िया काम किया है। इसी आयुर्वेद में इसका नाम दुनिया भर में हमने किया लेकिन हम उसको भूल गये, हमने भुला दिया।

अभी डा. जितेन्द्र सिंह जी नहीं हैं, उन्होंने कहा था, जब आयुर्वेद पर हम चर्चा कर रहे थे कि जर्मनी में हमारे कुछ डाक्टर्स गये हुए थे, डाक्टर गये तो वहां एक जगह लिखा था कि सरकालाजी। तो सरकालाजी की स्पेलिंग, हमारे यहां तो अंग्रेज ज्यादा हैं, उन्हें लगा कि सरकालाजी की स्पेलिंग गलत है तो उन्होंने कहा कि आपके यहां तो सरकालाजी की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। तो उनको बताया, आप बैठो, कहां से आये हो, वे बोले, कि हम भारत से आये हैं, तो वो बोले, मित्रों, यह सरकालाजी नहीं, यह चरकालाजी है। चरक सबसे पहला फिजीशियन था दुनिया का जिसने सारी बात लिखी, इसलिए जर्मनी की मेडिकल यूनिवर्सिटी में उन्होंने उसका नाम लिखा चरकालाजी। इसी प्रकार हेनीमेन ने भी अपनी किताब में लिखा है कि मैंने सारा जो आधार लिया है, वह चरक का लिया है। तो चरक और सुश्रुत सर्जन और फिजीशियन, ये दोनों हुए हैं। धन्वंतरि अमृत कलश लेकर आये हैं। सारी दुनिया को हजारों साल पहले हमने इस बात को दिया। इसका संरक्षण का काम राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने, बी जे पी की सरकार ने, सबने किया। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने इसका संरक्षण किया।

आप इस पद पर आये हो, ये बिल लेकर आये हो, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इसके पूर्ण संरक्षण के लिए आने वाले बजटों में ठीक से व्यवस्था करें, इसके विभागों के बारे में व्यवस्था करें, इसकी हर्बल औषधियों के बारे में व्यवस्था करें, रस, रसायन, भस्म, अवलेह के लिए व्यवस्था करायें और संस्कृत से जो इसका संबंध तोड़ने का प्रयत्न किया गया है उसको वापस

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

जोड़ने का प्रयत्न करें और इस विश्वविद्यालय में एक योग फैकल्टी आप कायम करायें ताकि मिल-जुल कर मनुष्य में जीने की जीवन पद्धति इस आयुर्वेद के द्वारा हम दे सकें। इसी के साथ आप यह जो बिल लाये हैं, इसका मैं समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री पेमाराम।

श्री पेमाराम (धोद): सभापति महोदय, मैं वैसे तो धन्यवाद देना चाहूंगा कि ढाई साल में पहली दफा इस राजस्थान की विधान सभा के पटल पर आयुर्वेद विषय पर चाहे इस बिल के मार्फत ही चर्चा क्यों न हो, लेकिन चर्चा के लिए आया है और नाम परिवर्तन का जहां तक सवाल है, निश्चित तौर पर डाक्टर साहब के बारे में कौन नहीं कह सकता, मैं भी इसका स्वागत करता हूं, लेकिन इससे पहले मैं दो-चार बातें कहना चाहूंगा। मेरे कहने का मतलब यह है, मैं समझता हूं कि सरकार यह कागजों में नाम परिवर्तन करके आयुर्वेद को बचाना चाहे, यह मेरी समझ से बाहर की बात है क्योंकि ऐसा करके इतिश्री करे, ढाई वर्ष में पहली दफा चर्चा हो और कागज में एक नाम परिवर्तन करने से आयुर्वेद न बच पाएगी।

मैं तो, सभापति महोदय, आयुर्वेद के प्रति इस राजस्थान में गहलोत साहब की सरकार का जो उपेक्षापूर्ण रवैया है, उसका एक नजरिया और नमूना आपको बताना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि यहां पर दो सौ विधायक विराजमान हैं और शायद विधायकों के पास भी गये होंगे लोग, अभी तीन-साढ़े तीन साल पहले आयुर्वेद में जो खाली पद वर्षों से चल रहे थे, उन पर अनुसूचित जाति/जनजाति के सैकड़ों लोगों को आखिरी टाइम में ही सही लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको भर्ती किया था। तीन वर्ष हो गये आज तक, ढाई वर्ष में यह आयुर्वेद पर चर्चा हो रही है, तीन साल से आयुर्वेद में जो कंपाउंडर और वैद्य की पोस्टों पर जिन शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के गरीब परिवारों के बच्चे जो भर्ती हो गये, उनको आज तक कन्फर्म करने के लिए, मैं समझता हूं, राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार को तीन साल तक तो समय नहीं मिला और आने वाले दो साल में समय नहीं मिल पाएगा और नहीं मिल पाएगा तो वे लोग जिनका शोषण हो रहा है, निश्चित तौर पर वह करेंगे। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर मंत्री महोदय, क्योंकि इनका डिपार्टमेंट भी शून्य में सोया हुआ है। मंत्री महोदय से निवेदन है कि विश्वविद्यालय नाम

(श्री पेमाराम)

परिवर्तन कीजिये, स्वागत है लेकिन कहीं पर आयुर्वेद में किस तरह से इन्जस्टिस हो रहा है, उस पर भी तो वाच कीजिये।

मानननीय मंत्री महोदय, मैं सभापति महोदय के मार्फत आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जहां आयुर्वेद बचाने की बात करते हो, अभी सांगानेर से आने वाले माननीय विधायक महोदय कह रहे थे कि इसको बचाने की आवश्यकता है, यूनिवर्सिटी और कालेजों की मैं कहना चाहूंगा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक ऐसा आयुर्वेद चिकित्सालय है जहां पर वैद्य बैठता है, कंपाउंडर बैठता है, पूरा स्टाफ है और राजस्थान की सरकार को कम से कम साढ़े तीन-चार लाख रुपये पर-मंथ तनख्वाह चुकानी पड़ती है। सभापति महोदय, आयुर्वेद के प्रति सरकार के उपेक्षापूर्ण रवैये का एक नमूना बता रहा हूं, ग्रामीण लोगों ने, गांव की ग्राम पंचायत ने 10 साल पहले अपने गांव में से जमीन आयुर्वेद चिकित्सालय के नाम पर दे दी, जमाबन्दी में नाम हो गया, नक्शे में हो गया, मैं भी इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक लगातार तीन दफा हो आया, मैंने तो अर्ज किया था प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से कि राजस्थान की सरकार एक कमरा बना दे क्योंकि उसकी इसलिए आवश्यकता है कि स्थाई भवन नहीं है। सभापति महोदय, कम से कम चालीस गांवों के बीच में दूसरा कोई अस्पताल नहीं है और वे आयुर्वेद वाले अस्पताल के अलावा, दूसरी जगह वहां से चलकर सीकर मुख्यालय पर आते हैं। तो तीस किलोमीटर दूर अपना उपचार कराने के लिए जनता को जाना पड़ता है। उस आयुर्वेद अस्पताल की हालत यह है कि जिस तरह से सरकारी कर्मचारी का स्थानान्तरण होता है, कभी जयपुर, जयपुर से सरकारी हुक्म हुआ बाड़मेर ज्वाइन करना पड़ता है, बाड़मेर से हुक्म हुआ तो उसको कभी गंगानगर जाना पड़ता है, वो आयुर्वेद चिकित्सालय एक साल में चूंकि किराये के भवन में चलता है, मालिक की मर्जी है, जब मर्जी आये अपने भवन को खाली करने का नोटिस दे देता है। दान-पुण्य में दे रखा है गांव वालों ने। ये मंत्री महोदय बैठे हैं और इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुन रहे हैं, एक नया पैसा किराये का नहीं ले रहे हैं गांव वाले। गांव वालों ने अपना मकान इसलिए दे रखा है, तीन किलोमीटर की परिधि में कोई किसी प्रकार का चिकित्सालय नहीं होने की वजह से। यह उपेक्षा है। मैं तो कह रहा हूं, आयुर्वेद को बचाने की कहां बात करते हो, गहलोत साहब की सरकार के पास पैसा नहीं है। सभापति महोदय, मैं भी गरीब परिवार से आया हूं, पैसा तो मेरे पास भी नहीं है लेकिन यह सही है, मंत्री जी, जब गांव वालों ने जमीन दे दी, इर्द-गिर्द के कम से कम

(श्री पेमाराम)

डेढ़ सौ आदमी प्रतिदिन वहां पर उपचार करवाने के लिए आते हैं, कहां हैं वैद्य जी, तो बोलते हैं कि वैद्य जी का ट्रांसफर हो गया, उस कमरे से उधर वाले कमरे में चले गये। कभी गांव की उत्तर साइड में, कभी गांव की दक्षिण साइड में, कभी पूर्व साइड में, कभी पश्चिमी साइड में। मंत्री महोदय, मैं समझता हूं कि यदि वाकई में आयुर्वेद को बचाना है तो आप आज कहेंगे कि इस विश्वविद्यालय के साथ-साथ भवन निर्माण के लिए भी आप, आप कहेंगे कि हमने भारत सरकार को भेज दिया, आप कहेंगे कि हम पैसा मंगा रहे हैं लेकिन 1947 में यह भारत देश आजाद हुआ था, हम कब तक सुनेंगे, निजी मकान बनाने के लिए कल न कहेंगे कि अमेरिका से पैसा मंगाया है। मैं समझता हूं कि राजस्थान की सरकार चालीस गांवों को उपचार देने के लिए जहां साढ़े तीन, चार लाख रुपये महीने की तनख्वाह दे रही है, गांववासियों ने जमीन दे दी, वहां उसका भवन बनाने के लिए क्या राजस्थान की सरकार के पास पैसा नहीं है? आप दीजियेगा, मंत्री महोदय, भवन निर्माण करने के लिए बजट मंजूर कीजियेगा। फिर भी वहां कोई कमरा कम रहेगा तो निश्चित तौर पर मैं विधायक कोष का पैसा जो सरकार का पैसा है, उससे मैं भी अनुशंसा दूंगा। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): पहले आप ही शुरू करा दो ना कमरा बनाकर।

श्री पेमाराम (धोद): निश्चित तौर पर जिस दिन अमराराम राजस्थान का मुख्य मंत्री होगा, सचेतक महोदय बात सुन लो, दर्द होने की आवश्यकता नहीं है, बात सुन लो, उस रोज एक लाइन का आदेश निकालेंगे ...

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): बंगाल में घर-घर में आपने एकदम दूध-दही की नदियां बहा दी ना ।

श्री पेमाराम (धोद): सुन लो, 24 साल तक, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया है जो लगातार 24 साल तक बंगाल में हमने शासन किया है। राजस्थान में गांधी के चेले बनने वालों, किसी की मां ने दूध पिलाया है तो मुझे बता दो जो 24 साल तक लगातार मुख्य मंत्री की गद्दी पर रहा हो? कहां बात करते हो आप बंगाल की? कहां बात कर रहे हो आप? कहां राजा भोज और कहां...

श्री सभापति: विषय पर बात करें।

श्री पेमाराम (धोद): सभापति महोदय, मैं मेरी बात तो पूरी कहूं। आपने भी देखा है कि ढाई साल में पहली दफा आयुर्वेद पर चर्चा हो रही है और मैं आयुर्वेद पर ही बोल रहा हूं, मैं कोई गलत बात भी नहीं बोल रहा, यह कायदे की बात है। भवन बनाना कोई गलत बात है तो निश्चित तौर पर जनता ने हमें वोट देकर इसीलिए भेजा है कि हम जनता की बात यहां राजस्थान की विधान सभा में रखें। यह कोई गलत नहीं है। मैं समझता हूं कि जब मेरे यहां नहीं है माननीय विधायकों आप भी अपने इलाकों में झांक कर देखो हो सकता है कि आपके यहां भी बिना भवन वाला आयुर्वेद का चिकित्सालय चल रहा हो। (व्यवधान) सब जगह हैं ना? माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा मैं और कहना चाहूंगा अभी विश्वविद्यालयों का बिल पास कर रहे थे, प्राइवेट विश्वविद्यालय निश्चित तौर पर एक व्यापारी की दुकान है। दो तरह की शिक्षा बना दी एक अमीर के बेटे के लिये, एक गरीब के बेटे के लिये। जो गांव के गरीब आते हैं हमारे गरीब के बेटे उस स्कूल में पढेंगे जहां मास्टर नहीं होगा, जहां पर सब्जेक्ट टीचर नहीं होगा और अमीर का बेटा वहां पढ़ेगा, जहां बढ़िया वाला होगा। क्या गुनाह किया है हमने? माननीय मंत्री महोदय, शेखावाटी की जनता ने क्या गुनाह कर दिया? यही तो गुनाह किया कि सीकर के बेटों ने अभी कल कारगिल हुआ था, सबसे ज्यादा कुर्बानी देने वाला कोई इलाका है तो वह शेखावाटी इलाका है। राजस्थान विश्वविद्यालय के बाद 10 हजार की संख्या वाला कोई कालेज है तो वह सीकर का कल्याण कालेज है और इसलिए शेखावाटी विश्वविद्यालय नहीं खोल रहे हो कि वहां पर एस एफ आई चुनाव जीत कर आती है। इसका जवाब आपको निश्चित रूप से जनता को देना होगा।

इसलिए मैं समझता हूं कि जिस तरह से भेदभावपूर्ण रवैया अपनाकर के हर काम में जो आगे हो, आप नाम परिवर्तन करें, बढ़िया बात है, इस बिल के मार्फत आयुर्वेद पर चर्चा हुई, उसके लिये मैं सरकार का आभारी हूं कि उन्होंने आयुर्वेद पर चर्चा तो करवाई लेकिन इसी के साथ मैं एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि जो वैद्य और कम्पाउंडर जो बैकलोग पर अनुसूचित जाति और जनजाति के गरीब परिवारों से आये थे, उनका अब तो आर्थिक शोषण बंद करो। कहीं छठे वेतन आयोग की बात करते हैं, कभी दूसरे टी ए, डी ए की बात करते हैं, उन गरीब के बेटों ने क्या अनर्थ कर दिया? आयुर्वेद की ट्रेनिंग लेकर के वे लग गये तो उन्हें कन्फर्म तो करो, तनख्वाह तो पूरी दो, यही तो मैं मांग कर रहा हूं। मैं यही तो मांग कर रहा हूं कि सीकर जिले का माजीपुरा गांव

(श्री पेमाराम)

नेतड़वास पंचायत के माजीपुरा गांव के भवन के लिये पैसे, दिल्ली और मुम्बई की बात छोड़ो, राजस्थान की सरकार आयुर्वेद का एक भवन बनाने के लिये मंजूरी जारी करे।

इसी के साथ जहां विश्वविद्यालयों की चर्चा चल रही है, हमारे यहां के तो आबकारी मंत्रीजी भी हैं ...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। कृपया समाप्त करें।

श्री पेमाराम (धोद): सभापति महोदय, अभी तो मैंने शुरू किया है। शेखावाटी की जनता के साथ भी राजस्थान सरकार न्याय करेगी, ऐसी मेरी आशा है। यही कहते हुए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा।

श्री सभापति: श्री अमराराम।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सभापति महोदय, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक, 2011, नाम परिवर्तन डाक्टर राधाकृष्णन के नाम से कर रहे हैं, उसके लिये तो मैं मंत्री महोदय और सरकार का आभार व्यक्त करता हूं।

जहां तक आयुर्वेद की जो दुर्दशा है, निश्चित रूप से उसको मेरे से पूर्व वक्ताओं ने विस्तार से रखा कि जिस तरह से आयुर्वेद सबसे बड़ी चिकित्सा पद्धति है और जिसकी शिक्षा की दुर्व्यवस्था, राजस्थान में आयुर्वेद विश्वविद्यालय बना दिया गया लेकिन स्टेट टाइम से सीकर में एक आयुर्वेद महाविद्यालय था जिसकी दुर्दशा सरकार की 80 प्रतिशत एड होने के बाद भी जिस तरह से उस महाविद्यालय का हश्र हुआ है और पूरे राजस्थान में जो भी आयुर्वेद महाविद्यालय थे, उनकी स्थिति न केवल दयनीय है बल्कि उदयपुर का एक पी जी महाविद्यालय है, उसमें भी प्रोफेसर वगैरह नहीं हैं, उसकी मान्यता खतम होने की स्थिति हमारे बीच में आ रही है। मैं समझता हूं आयुर्वेद विश्वविद्यालय खोल देने मात्र से आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का जिस तरह से विकास होना चाहिये था, मैं समझता हूं कि जो राजस्थान जड़ी-बूटियों में सबसे अग्रणी था, आज उस चिकित्सा पद्धति में हम पिछड़ते जा रहे हैं। केरल जहां पूरे हिन्दुस्तान से इस आयुर्वेद पद्धति से इलाज कराने के लिये लोग जाते हैं और अपना स्वास्थ्य लाभ करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी सरकार को भी न केवल यह नाम परिवर्तन करके बल्कि इस पूरी चिकित्सा पद्धति पर किस तरह से वापस हमारा कन्संट्रेशन हो, बजट का प्रोविजन हो, तमाम जड़ी-बूटियों का विकास हो और उनसे बनने वाली हर दवाई, जिस तरह से 2 अक्टूबर से

(श्री अमराराम)

राजस्थान की सरकार यह दावा कर रही है कि हर अस्पताल में हम दवाई फ्री करेंगे, तो कम से कम मंत्री महोदय यह तो कहें कि राजस्थान में जितने भी आयुर्वेद चिकित्सालय हैं, उनमें भी 2 अक्टूबर से दवाई फ्री आफ चार्ज मिलेगी। जब एलोपेथी के हर हास्पिटल में मिलेगी तो आयुर्वेद में भी मिलनी चाहिये। आपने सी एच सी पर तमाम चिकित्सा पद्धतियों को एक जगह किया है तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस चिकित्सा पद्धति को मजबूत करने की आवश्यकता है।

जहां तक विश्वविद्यालयों का सवाल है, मैं समझता हूं कि शेखावाटी के साथ बहुत बड़ा इन्जस्टिस हुआ है। आज भी राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, जो राजस्थान विश्वविद्यालय है, उसमें भी 50 प्रतिशत विद्यार्थी उसी इलाके के हैं। आप एक दिन में 6-6 निजी विश्वविद्यालय खोल रहे हैं, उनको पांच साल तक शेखावाटी याद नहीं आई, न भरतपुर का महाराजा सूरजमल याद आया, न भर्तृहरि याद आया, न शेखावाटी याद आया। आखिर में अभी तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, हमने आखिर में महामहिम राज्यपाल महोदय के पास एक प्रस्ताव भेजा। आप जब आये थे उसी साल अगर भेजते और एक्ट लेकर आते और इस विधान सभा में पास करते तो किसी राज्यपाल की हिम्मत नहीं थी। लेकिन केवल वोट के लिये थोथी घोषणाएं करना, मैं समझता हूं कि पूर्ववर्ती सरकार की भी रही है और वर्तमान सरकार का तो मैं समझता हूं कि उस शेखावाटी का जो शिक्षा में सबसे अग्रणी है, राजस्थान में झुन्झुनूं ग्रामीण क्षेत्र में सबसे अग्रणी, महिला शिक्षा में जहां राजस्थान पिछड़ा हुआ है, वहां झुन्झुनूं एक नंबर पर है, सीकर दूसरे नंबर पर है लेकिन जहां सबसे ज्यादा पढ़ने वाले हैं वहां विश्व विद्यालय नहीं होगा।

सभापति महोदय, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारे मुख्य मंत्रीजी शेखावाटी के दौरे पर जाते हैं और यह घोषणा करते हैं कि शेखावाटी में विश्वविद्यालय की जरूरत नहीं है, इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि बीकानेर का विश्वविद्यालय धूल फांक रहा है। अगर आयुर्वेद विश्वविद्यालय का ढांचा सही नहीं है, बीकानेर विश्व विद्यालय में आज संसाधन नहीं हैं, इसके लिये शेखावाटी के लोग तो जिम्मेदार नहीं हैं। सबसे बड़ा जिम्मेदार है तो वह कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है जिसने इस राजस्थान में सबसे लंबे समय तक राज किया है और उसके बाद अगर कोई जिम्मेदार है तो मेरी दांई तरफ बैठे हुए लोग हैं जिन्होंने

(श्री अमराराम)

उन शिक्षण संस्थाओं को मजबूत करने की बजाय उनको जर्जर करने की कोशिश की, इसलिए जर्जर करने की कोशिश की कि जो व्यवसाय के रूप में शिक्षा के माध्यम से आ रहे हैं, आज सबसे बड़ा कोई मुनाफे का धंधा है तो वह शिक्षा और चिकित्सा है। जहां हमारे मुख्य मंत्रीजी कहते हैं कि निजी चिकित्सालय आदमी के मरने के बाद तीन तीन दिन तक डायलिसिस पर रखने के बाद राजस्थान की जनता को लूट रहे हैं, तो आज मुख्य मंत्रीजी को यह कहने की आवश्यकता नहीं है, कार्यवाही करने की आवश्यकता है। हम मुख्य मंत्रीजी की बात को तब एप्रिशिएट करते जब ऐसे निजी चिकित्सालय जो पेशेंट के मरने के बाद भी जनता को लूटते हैं, ...लूटने वाले चिकित्सालयों को बंद करके ताला लगाकर जेल के को बंद करते तो बात समझ में आती।

इसलिए मैं, सभापति महोदय, पुनः आपके माध्यम से इस नाम परिवर्तन का तो मैं समर्थन करता हूं लेकिन उम्मीद करता हूं कि सरकार जो राजस्थान की आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति है, शिक्षा व्यवस्था है, उसको सुदृढ़ करने का काम करेगी। यही बात कहते हुए, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: प्रभारी मंत्री उत्तर देंगे।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से मेरे साथी विधायकगण का तहेदिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, जो उन्होंने डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की तरफ अपनी भावनाएं प्रकट की हैं, मैं समझता हूं कि वे ऐसी शख्सियत थी जिनके लिए हम कोई आनर, जो भी दें, वह कम होता है और इसलिए जो उन्होंने सरकार की भावना को एक्सेप्ट करते हुए इस यूनिवर्सिटी का नाम डाक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर जो एक्सेप्ट किया है, मैं उनका तहेदिल से धन्यवाद देता हूं। साथ-साथ मैं और भी यह कहना चाहता हूं...(व्यवधान)

श्री सभापति: मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं, माननीय सदस्य, कृपया बैठें आप।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हमारे आदरणीय साथियों ने जो भी यहां अपनी भावना प्रकट की है और जो भी सजेशन दिये हैं, उनका कुछ तो मैं प्रयास करूंगा कि ....

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): सभापति महोदय, मेरा भी नाम है बोलने का। (व्यवधान)

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): जो यहां अपने सजेशन हमारे माननीय साथियों ने, माननीय विधायकगण ने दिये हैं, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं पूरी तरह से सीरियसली उनको, आपने जिस भावना से दिये हैं उनको मैं कंसिडर करूंगा। साथ-साथ जो कुछ कमियां आपने बताई हैं, मैं यह बताना चाहता हूं कि हमने पिछले ढाई साल में इस पद्धति को कितना सीरियसली लिया है, उसका मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इण्डियन सिस्टम आफ मेडिसिन, चाहे वह आयुर्वेद हो, चाहे वह यूनानी हो और उसके साथ-साथ पिछले साल के बजट में जो आपने भावना प्रकट की थी, जब हमने यूनानी के डायरेक्टरेट का ऐलान किया था, उस वक्त आम हमारे साथियों की यह भी भावना थी कि एक डायरेक्टरेट होम्योपेथी के लिए भी खुले, उसके लिए भी हमारे मुख्य मंत्रीजी ने और हमारी सरकार ने वह एक्सेप्ट करके आज की तारीख में हमने तीनों के डायरेक्टरेट अलग इसी वजह से किये हैं कि इन पद्धतियों को बढ़ावा मिलना चाहिये, हम यह मानते हैं कि वाकई अब तक जितना मिलना चाहिये था, नहीं मिला मगर हमारा प्रयास यह रहा है और रहेगा कि आगे आने वाले समय में हम इन पद्धतियों को जितना भी इनकरेज कर सकें, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं अपनी और से भी ओर सरकार की ओर से भी कि हम उसको करेंगे।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि कोच्चि के अन्दर पूरे वर्ल्ड की कान्फ्रेंस हुई थी, उस वर्ल्ड कांफ्रेस का खाका आप निकलवाओ और उसमें देखो कि उसमें क्या-क्या चीजें हैं और किस तरह हमारा देश तरक्की कर सकता है इस मामले में।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैं बेशक जो आपने कहा है, उसको मैं स्टडी कर लूंगा, निकलवा लूंगा।

मैं यह बताना चाहता हूं कि जहां तक यूनिवर्सिटी का ताल्लुक था, आपको सबको मालूम है कि पिछले सालों में काफी कमियां आ गई थीं जिसकी वजह से वहां सी सी आई एम ने इसकी मान्यता पर कुछ सवाल उठाये थे। तो मुझे कहते हुए यह खुशी होती है कि विश्वविद्यालय के जितने आर्डिनेंस, स्टेट्यूट्स और सर्विस रूल्स थे, पहली दफा हमने बना दिये हैं और उसकी वजह से अब जो हमारी रिक्रूटमेंट की बात थी जैसे वहां विश्वविद्यालय में प्रोफेसर 6 हैं, एसोशिएट प्रोफेसर 14 और एसिसटेंट प्रोफेसर 15, तो यहां तो

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान)

कोई सीट वेकेंट नहीं है। इसके साथ-साथ कुछ यूनिवर्सिटी के हास्पिटल और कालेज के लिए हमने 3 करोड़ 78 लाख रुपये मंजूर कर दिये जिससे कि उनका इन्फ्रास्ट्रक्चर ठीक किया जाए।

इसके साथ-साथ जहां आपने कमियों की बात की है, चिकित्सकों की कमियों की, मैं आपको बताना चाहता हूं 2009 में 378 आयुर्वेदिक चिकित्सकों को रिक्रूट किया गया, 322 नर्सों और कम्पाउंडरों को हमने ढाई साल के अन्दर रिक्रूट किया। आज की तारीख में मुझे यह कहते हुए फख्र होता है, हालांकि हमारी जो डिस्पेंसरियां हैं इनमें बहुत कमियां है, यह भी मैं मानता हूं मगर आज की तारीख में राजस्थान में हाइएस्ट नम्बर आफ आयुर्वेद डिस्पेंसरीज हैं 3,695, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा हमारे यहां डिस्पेंसरीज हैं। मैं हमारे साथियों को यह भी बताना चाहता हूं कि नम्बर टू ...(व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): गुजरात में पहली यूनिवर्सिटी और हिन्दुस्तान की दूसरी यूनिवर्सिटी राजस्थान में हुई है। आज भी गुजरात में काम हो रहा है इस विषय में। आप थोड़ा सा अध्ययन करवायें, बहुत सी ऐसी चीजें निकलकर आएंगी जो आपको खुद को अच्छी लगेंगी।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैं मानता हूं कि हमारे यहां पर काफी कमियां हैं और आपने जो कमियां बताई हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उन कमियों पर हम पूरा ध्यान देकर उनको जल्दी से जल्दी खतम करें, यह हमारा पूरा प्रयास रहेगा । आज की तारीख में राजस्थान में डिस्पेंसरीज हैं, हाइएस्ट हैं, उसके बाद वैस्ट बंगाल आता है जिसके पास सिर्फ आधी हैं उससे। इसलिए हमारी इसकी सीरियसनेस जो है...(व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): Sorry to disturb you. एक बात कहना चाहती हूं, आपने एक तो कहा कि हमारे यहां आयुर्वेद की मैक्सिमम डिस्पेंसरीज हैं, लेकिन क्या आपने यह पता लगाया कि जो आयुर्वेद डिस्पेंसरीज हैं, वे खाली पड़ी हैं, रिक्त पद हैं, वहां कुछ एक्टिविटी नहीं हो रही है?

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैंने मान लिया है कि उसमें कमियां हैं और उसके लिए मैंने आपको यह भी बता दिया है कि हमने कितना रिक्रूटमेंट किया है। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): कितनी उनमें रिक्त पड़ी हैं?

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

क्या आपके पास इसका कोई आंकड़ा है कि कितनी डिस्पेंसरीज हैं जिनके बारे में आप वाहवाही ले रहे हैं कि Rajasthan is the first state जहां सबसे अधिक आयुर्वेद की डिस्पेंसरी हैं, उनमें से कितनी डिस्पेंसरीज आज खाली पड़ी हुई हैं जहां एक डाक्टर, एक कम्पाउंडर की नियुक्ति नहीं है? ऐसा कोई आंकड़ा है आपके पास ?

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हैं आंकड़े और आपको मैं भिजवा दूंगा।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): बताइये प्लीज, पटल पर रख दें। (व्यवधान)

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैं आपको भिजवा दूंगा। यह डिस्कशन आयुर्वेद पर नहीं था, यह यूनिवर्सिटी पर था इसलिए आंकड़े अभी नहीं हैं, मैं आपको भिजवा दूंगा।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): मोर देन सेवंटी परसेंट, मोर देन सेवंटी परसेंट खाली पड़ी हैं।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): आपने जो अभी रिक्रूटमेंट का कहा, वे इंटरव्यू मेरे टाइम में हुए थे, आपने तो सिर्फ अपाइंटमेंट दिये हैं। (व्यवधान)

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह जो रिक्रूटमेंट के फिगर आपको बताए 2009 के और पिछले ढाई साल के मैंने रिक्रूटमेंट के फिगर बताए हैं । इसके साथ-साथ इस पद्धति को, हमारे माननीय तिवाड़ी जी ने दवाइयों के बारे में जिक्र किया, मैं जब भी उनको इस विषय पर सुनता हूं, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मैं उनका आदर करते हुए, उनसे जरूर इसके बारे में और सीखने की कोशिश करूंगा, मगर मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अजमेर में हमने ड्रग टैस्टिंग लैबोरेटरी की आयुर्वेद के लिए स्थापना कर दी है और वह इसलिए कि गलत तरह की दवाइयां वितरण नहीं हों।

एक हमारे आदरणीय साथी ने यह कहा था कि दो अक्टूबर से दवाइयां वितरित हो रही हैं, उसमें आयुर्वेद की दवाइयों का आपने सवाल उठाया था, आयुर्वेद की दवाइयां वैसे भी मुफ्त में दी जाती हैं मगर उसमें जो बजट है, वह हम बढ़ा रहे हैं और दो अक्टूबर से ...(व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): बजट है भी नहीं आपके पास... (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): बजट जो भी फिक्स होगा .... (व्यवधान)

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपने मेरी पूरी बात सुनी नहीं ...(व्यवधान) उसका हमने प्रपोजल भेज दिया है कि उसको हम...(व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): आपके अधिकारी ...(व्यवधान) आपके अधिकारी आपको गलत रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। आप इसको चैक करवाइये। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय मंत्रीजी, न तो दवाइयां फ्री में दी जा रही हैं ...(व्यवधान) आपके पास जो दिया जाता है ...(व्यवधान) कहीं नहीं दी जा रही है जानकारी।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): दवाई नाम की चीज नहीं है। (व्यवधान)

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, दो अक्टूबर से जहां हम एलोपेथी की दवाइयां दे रहे हैं, हम यह भी कोशिश करेंगे, ये भी दवाइयां ज्यादा से ज्यादा और अच्छी से अच्छी उपलब्ध करा सकें। (व्यवधान) यह हम उपलब्ध कराएंगे।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): दो अक्टूबर से फ्री देंगे ना? अभी तो नहीं दे रहे । (व्यवधान)

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): दो अक्टूबर से आप फ्री दवा का ऐलान कर रहे हैं, वाहवाही लूट रहे हैं, कितनी परसेंटेज दवाइयां वितरित करेंगे, यह बता दीजिए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: सभापति महोदय, क्वेश्चन आवर है क्या यह? (व्यवधान)

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैं आपको और बताना चाहता हूं कि हमारे पहली दफा, पिछले साल में हमने पहली दफा, मैं भी शेखावाटी का हूं, मेरी भी पैदाइश वहीं की है, तो जितना आपको शेखावाटी में....(व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): भवन तो बनवाओ उसका। दो ही चीजें हैं, एक तो शिड्यूल्ड कास्ट के बच्चे हैं उन्हें परमानेंट करो और एक वह भवन बनाओ। दो ही चीजें हैं।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): जहां तक हमारे 129 औषधालय हैं, हमने पिछले साल पहली दफा 82 करोड़ वहां लगाये हैं, रिपेयर के लिये, हर उसके अपग्रेडेशन में, औषधालय में 63.36 लाख हमने दिये हैं जो कि पहली दफा राजस्थान में ऐसा हुआ है।

बाकी जो भी आपने सुझाव दिये हैं, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, हम पूरा उन पर कंसिडर करके जल्दी से जल्दी उनको हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2011 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2011 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार।

खण्ड-2 । श्री केसाराम चौधरी संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर का नाम परिवर्तन करने का जो सदन में बिल लाये हैं, मेरे विचार से इसका नाम परिवर्तित करके बाबा स्वामी रामदेव आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर नाम से रखा जाए। मेरा यह विचार है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): कौन हैं बाबा रामदेव? (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): बाबा रामदेव वे हैं जिन्होंने काले धन को उजागर किया और आपके काले कारनामों को खोला ... (व्यवधान) भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया। बाबा रामदेव, जिन्होंने आयुर्वेद को विश्व में विख्यात किया, उस बाबा का नाम है बाबा रामदेव। (व्यवधान) उसके

(श्री केसाराम चौधरी)

लिये, हां, वह आपको सहन नहीं होगा। यह आपको सहन नहीं हो सकता है। आपके काले कारनामे उजागर किये उस बाबा ने इसलिये आपको कड़वा लग रहा है। सत्य कड़वा होता है।

श्री सभापति: प्रभारी मंत्री उत्तर देंगे।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, केवल नाम परिवर्तन से नहीं, अगर उसकी गुणवत्ता में सुधार नहीं किया जाता तो उसकी महत्ता कम होती है और आज आयुर्वेद की जो दशा है, आज आप कहते हैं, दंत मंजन चाहिए तो बाबा रामदेव वाला दो। बाजार में जाते हैं, आयुर्वेद के क्षेत्र में स्वामी रामदेव जो क्रांति लाये हैं, पूरे विश्व में यह बता दिया कि आयुर्वेद भी कोई व्यवस्था है और आयुर्वेद के लिये वे पूरी क्रांति लाये हैं। इसलिये मेरे विचार से इसका नाम स्वामी रामदेव रखना चाहिए था।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): एजेंसी ले रखी है क्या उसकी?

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): आपको भी दिलवाऊंगा, चिंता मत कीजिए। (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, आज इस आयुर्वेद की क्या दशा हो रही है? मेरे क्षेत्र में 50 वर्ष पहले एक दानदाता ने आयुर्वेदिक हास्पिटल पूरा बनाकर दिया और उस हास्पिटल को अभी तक आयुर्वेद विभाग ने अपने अण्डर में नहीं लिया। जो भवन दानदाता ने उम्मीद से दिया था, चिकित्सालय उसमें चल रहा है मगर आज तक उस भवन का कब्जा नहीं लेने की वजह से लोग उस पर कब्जा कर रहे हैं। होम्योपेथी में आपने जो डायरेक्टरेट खोला इसके लिये तो धन्यवाद देता हूं मगर होम्योपेथीक का जोधपुर में ही कालेज चल रहा है, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है और उसमें जो डाक्टरी करके पास बच्चे निकल रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है क्योंकि दिल्ली में उस कालेज का रजिस्ट्रेशन नहीं है। अब उन बच्चों के विषय में, करीबन 400-500 बच्चे हैं उनका भविष्य अधरझूल में खड़ा है। तो आप तुरन्त प्रभाव से उनको डिग्री दिलाने की व्यवस्था करें।

यह व्यवस्था आपने लागू तो कर दी मगर उनकी गुणवत्ता के बारे में कोई पता नहीं है। माननीय सभापति महोदय, आज हम सदन में पक्ष और विपक्ष दोनों बैठे हैं और सबकी आत्मा से पूछा जाए कि आज विश्वविद्यालयों की हालत क्या है, आज हम जयपुर में बैठे हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी का एक

(श्री केसाराम चौधरी)

भी पीरियड कोई लगता हो तो बता दें। और हम कहते हैं कि हमारे विश्वविद्यालय अच्छे चल रहे हैं। नाम परिवर्तन कर देंगे, इससे उसमें गुणवत्ता आ जाएगी, यह मेरी समझ से परे की बात है। अगर उन यूनिवर्सिटीज में हमारे इन बच्चों का भविष्य बनाना है आज अगर अपन इनके लिये कुछ नहीं करेंगे तो आने वाला समय कोसेगा। आज जिस तरह से नेतागिरी और जिस तरह से यूनिवर्सिटीज का बुरा हाल हो रहा है, उनकी गुणवत्ता की तरफ ध्यान देना चाहिए। नहीं तो अपन जो करने जा रहे हैं, उसका सही मायने में उपयोग नहीं होगा और सच्चे रूप में उसका जो हमारा उद्देश्य है, वह परिपूर्ण नहीं होगा।

इसलिये मैं चाहता हूं कि इसका नाम महात्मा रामदेव आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर रखा जाए। यह मेरा संशोधन है। (व्यवधान) लोक गुरु बाबा रामदेव।

श्री सभापति: प्रभारी मंत्री उत्तर देंगे। (व्यवधान) समाप्त, माननीय सदस्य, आपका संशोधन समाप्त। प्रभारी मंत्री। (व्यवधान) मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं, कृपया दोनों पक्ष शांति बनायें।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, यह नाम परिवर्तन सरकार को स्वीकार्य नहीं है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् के नाम से ही इसका नाम रखा जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि खण्ड-2 में जो संशोधन श्री केसाराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 स्वीकार किया गया।

खण्ड-3 एवं 4 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-3 एवं 4 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

खण्ड-3 और 4 स्वीकार किये गये।

अनुसूची, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची स्वीकार की जाए?

(स्वीकृत)

अनुसूची स्वीकार की गई।

खण्ड-एक, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-एक, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-एक, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान साहब।

विधेयक का पारण

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2011 को पारित किया जाए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): सभापति महोदय, जिस महापुरुष के नाम से आप नाम परिवर्तन कर रहे हो, उसके लिये आपको बधाई लेकिन इस ओर भी झांकना चाहिए कि अब तक तो यह आयुर्वेद विश्वविद्यालय था इसलिये आपकी कमियां-खामियां बर्दाश्त के काबिल थीं परन्तु एक ऐसे महापुरुष के नाम से आप विश्वविद्यालय का नाम तो कर लोगे लेकिन आपके डिपार्टमेंट की जो कमियां हैं, वे अगर ऐसी की ऐसी धरी पड़ी रहेंगी तो इस महान विभूति को क्यों बदनाम और अपमानित करना चाह रहे हो? आपकी क्षमता नहीं है, आपके पास साधन नहीं हैं, इसलिये आप डिपार्टमेंट को सुधार नहीं सकते हैं।

बहुत दुःख के साथ कहना पड़ता है, यह एक ऐसी पद्धति है जो गरीबों के लिये वरदानदायक है, आपका जो मेडिसिन वाला है, हमारे गांव में जब कभी भी डाक्टर 200 रुपये की दवाई लिख देता है ना, तो वह इधर-उधर झांकता फिरता है क्योंकि उसकी जेब में 200 रुपये नहीं होते हैं।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(15.00 बजे)

लेकिन आयुर्वेद ऐसी पद्धति है जिसमें उसके बिना पैसे से, दो रुपये और पांच रुपये में उसका इलाज हो जाता है। अब तक मैं यह कह सकता हूं कि इस आयुर्वेद ने, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों, पिछड़े क्षेत्रों की जो सेवा इन पचास-साठ सालों में इस विभाग ने की, दुर्भाग्य हमारा यह है कि यहां सचिवालय में बैठने वाले और हम लोग इस पद्धति को समझ नहीं पाते और इसको घटिया समझकर इसके साथ हमने जो पचास साल में व्यवहार किया है न, उसके कारण से ही हमारी दुर्गति हुई।

मैं सोचता हूं कि आज से चालीस-पचास साल पहले भी अगर किसी वैद्य की इंटीरियर, ट्राइबल एरिया में भी उसकी पोस्टिंग होती थी तो वह वैद्य वहां जरूर नौकरी करता था। वह कभी भी पद खाली नहीं था। कम से कम उस गांव के बच्चों को छोटा-मोटा इलाज भी उस वैद्य के माध्यम से मिल जाता था।

जैसे-जैसे आपने तरक्की की है न और जैसे-जैसे, दुर्भाग्य है, इस मेडिकल के साथ इस आयुर्वेद को रखकर इस आयुर्वेद की हत्या कर रहे हो आप। अगर वास्तव में आप आयुर्वेद को पनपाना चाहते हो, केवल शब्दों से और भाषणों से नहीं होगा। हकीकत में फील्ड में जाकर किसी ने देखने की कोशिश नहीं की कि आज आयुर्वेद की स्थिति क्या है। आयुर्वेद का आपका वैद्य, दुर्भाग्य मानिये कि वह आज आयुर्वेद पद्धति को छोड़कर एलोपेथी के आधार पर अपने काम को चला रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपने पद्धति पर से विश्वास हटा दिया उस वैद्य का जो उससे वह अपना पेट भर रहा है और अपने बच्चों को पाल रहा है। इस हकीकत को हमने जानने की कोशिश नहीं की।

आज भी आप जो कह रहे हैं न, आपने विश्वविद्यालय बना दिया, बहुत बड़ा तुर्रा मार लिया लेकिन आयुर्वेद की स्थिति क्या है? आयुर्वेद में आज की तारीख में, जैसा आपने कहा कि मैंने 300 वैद्य भर्ती कर लिये। आज की तारीख में आपके स्वीकृत पद हैं 3,879, उनमें से आपके वैद्यों के पद कितने खाली? 1100 पद। 1100 पद आज वेकेंट है। एक तरफ बच्चा नौकरी को रो रहा है और दूसरी तरफ आप उसकी भर्ती नहीं कर पा रहे हो। किस कारण से? क्या आपके पास पैसा देने का नहीं है? अगर तनख्वाह देने की नहीं है तो काहे

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

को राधाकृष्णन् को यहां ला रहे हो? अगर तनख्वाह देने की आपके पास क्षमता नहीं है तो फिर काहे को राधाकृष्णन् को इस बीच में यहां घसीटते हो? यह आयुर्वेद रहकर भी निकालते दिन, जैसे निकलते हैं। इतने बड़े व्यक्ति के नाम पर अपन नाम करके समझो, बड़ी तालियां पीट रहे हैं, बहुत अच्छा करो। मन का भाव अच्छा हो सकता है लेकिन काम भी अच्छा होना चाहिए। जब किसी महापुरुष के नाम से कोई संस्था करते हैं न, तो उस संस्था की दुर्गति या उसका अपमान उस महापुरुष का अपमान करना होगा। हम उसके प्रति सम्मान नहीं कर रहे हैं, उसका अपमान करेंगे। यही नहीं, नर्स के 4,400 आपके पद कुल हैं, उनमें से आज भी 1,050 पद खाली हैं। आप क्या कहना चाहते हो?

मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मंत्री महोदय, यह आप जो कुछ कर रहे हो न इस आयुर्वेद के साथ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आयुर्वेद की जो स्थिति है न, इस विभाग में तकनीकी अधिकारी नियमित नहीं हैं। निदेशक है क्या आज की तारीख में आपके यहां? कोई डायरेक्टर है? कोई आपका अतिरिक्त निदेशक है? कोई आपका उप निदेशक है? कोई आपका जिला आयुर्वेद अधिकारी है? एक भी व्यक्ति सलेक्टेड नहीं है। आपने इधर-उधर से लाकर व्यवस्था कर रखी है। क्या आपका यह डिपार्टमेंट और आपके अधिकारी यह डी.पी.सी. नहीं कर सकते? डी.पी.सी. करके उनको अधिकृत रूप में नहीं बैठा सकते? काहे की बेकार में गप्पे मार रहे हो, बेकार की बातें करके अपने आपको बहुत आसमान में चढ़ा रहे हो। यानी इस डिपार्टमेंट की जो दुर्गति आपके रहते हुए हो रही है, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, एक भी व्यक्ति अप टू आपका जिला आयुर्वेद अधिकारी, कोई भी डी.पी.सी. के द्वारा नियुक्त नहीं है। क्या व्यवस्था सुधरेगी? कौन देखेगा आपके आयुर्वेद अस्पताल को? कौन करेगा निरीक्षण? आपके पास स्ट्रक्चर क्या है? आपको कोई यह नहीं पता है, आज दिन तक आपने यह काम, आज ढाई साल हो गये, कितनी डी.पी.सी. कर लीं? कितने लोगों को प्रमोशन दे दिया? (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, यह जिस लहजे में आप डांट रहे हो, यह ठीक नहीं है, साहब। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): नहीं, नहीं, सॉरी।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): यह ठीक नहीं है, साहब; ये हमारी सरकार के माननीय मंत्री हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): नहीं, डांट नहीं रहा, मैं क्षमा चाहता हूं। मैं उनका पूरा सम्मान करता हूं, उनकी सहृदयता की तारीफ करता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन मेरे मन को एक पीड़ा है कि आप इतने बड़े व्यक्ति के नाम से तो विश्वविद्यालय खोल रहे हो और विश्वविद्यालय में ढ़ाई साल में हम एक डी.पी.सी. नहीं कर सके, हम अधिकृत रूप से डी.पी.सी. से चयनित डायरेक्टर को नहीं लगा सकते। जिसका मुखिया नहीं होगा उस परिवार की क्या दुर्दशा होगी, उसके बारे में कोई कल्पना भी कर सकता है। ये अधिकारी आपके यहां बैठते हैं, कभी ये बताते नहीं हैं कि आखिर यह डी.पी.सी. क्यों नहीं कर सकते? ये किस बात की तनख्वाह लेते हैं? अगर इनकी सर्विस बुक तैयार नहीं है तो कौन तैयार करेगा? और आज नहीं तो कल, करना तो पड़ेगा। लेकिन इस डिपार्टमेंट को कोई देखने वाला नहीं है जैसे कोई बेकार का डिपार्टमेंट हो। गरीब की आज भी कोई चिकित्सा करता है न तो यही डिपार्टमेंट चिकित्सा करता है।

मुझे बड़ा अफसोस है, मैंने आपको पिछली बार बहुत आग्रह किया। आपने सहृदयता से हमारा जो एक मात्र आयुर्वेद कालेज है सरकार का, एक मात्र, राजस्थान में एक मात्र आयुर्वेद कालेज; पहले दो थे, एक जयपुर का था और एक उदयपुर का था। उदयपुर का आयुर्वेद कालेज कब बना, आपको आश्चर्य होगा कि वहां के महाराणा ने 1933 में आयुर्वेद कालेज की स्थापना की। कब, 1933 में। उस समय संस्कृत, आपका यह आयुर्वेद और एक और, आपकी ज्योतिष; इन तीन विषयों को मिलाकर 1933 में एक इस महाविद्यालय की स्थापना की। 1944 में इसको विधिवत एक आयुर्वेद कालेज बनाया। राजस्थान में एक भी दूसरा सरकारी आयुर्वेद कालेज नहीं है। एक जो जयपुर का आपका था, उसको आपने 1978 में दिल्ली के साथ एफिलिएटेड करके अपग्रेड कर दिया, राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र बना दिया। आज की तारीख में आपके पास एक आयुर्वेद कालेज था और सन् 1944 से था। उसके पास सब प्रकार की सुविधा थी। यह राजनैतिक द्वेषता कितनी होती है और राजनैतिक पक्षपात कितना होता है, इससे बड़ा सबूत कोई नहीं मिलेगा। उदयपुर के इस आयुर्वेद कालेज में आपको सब प्रकार की सुविधाएं थीं, सभी प्रकार की। इसके 14 तो आपके विभाग हैं, इन विभागों के सारे के भवन हैं। आपके आयुर्वेद कालेज के 200-200 बेड के दो हास्पिटल हैं, आपके पास उदयपुर से 15

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

किलोमीटर दूर 108 बीघा का वनस्पति उद्यान है, जिसके पास सभी प्रकार के हास्टल हैं, जिसके पास सभी प्रकार की आपकी अनुसंधानशालाएं हैं, जिसकी रसायनशाला है लेकिन उदयपुर में विश्वविद्यालय नहीं बन सकता क्योंकि उदयपुर का चीफ-मिनिस्टर नहीं है। इस पीड़ा को कौन समझेगा? यानी हमारा हक था, हक था, केवल भिखमंगे की तरह से नहीं, हक इसलिए था कि हम उसके लिए डिजर्व करते थे। आपके पास जोधपुर में था क्या? आप केवल राजनैतिक आधार पर लेकर चले गये। आपके पास केवल वहां एक नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर था। नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर। नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर। जहां कालेज की, विश्वविद्यालय की सारी सुविधाएं उपलब्ध थीं, केवल आपको एक एडमिनिस्ट्रेशन का भवन बनाना था लेकिन चूंकि हम ट्राइबल क्षेत्र के लोग हैं, हमारा कोई धनी-धोरी नहीं है, डेढ़ तो मंत्री बना रखे हैं आपने, हमारी जो दुर्गति की है न, उसकी तो मन के अन्दर पीड़ा होती है कि हमारे साथ यह कब न्याय होगा। यानी हम सब प्रकार से डिजर्व करते थे लेकिन हमारे यहां विश्वविद्यालय नहीं बना। जोधपुर में बना और वह कहां बना, बीस किलोमीटर दूर है। आज वहां क्या स्थिति है? क्या-क्या इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया? केवल पैसा लगाना, विश्वविद्यालय बना दिया, इससे 10-20 करोड़ रुपया मिल जाएगा। हमारे पास आपने, केन्द्र सरकार ने हमको साढ़े तीन करोड़ रुपया आज से कुछ समय पहले दिया, जिसके कारण से हमने, सारा स्ट्रक्चर हमारा है।

मैंने पिछली बार भी कहा कि हमारी दुर्गति को हम जानते हैं। हमारा प्रिंसिपल अभी रिटायर हो जाएगा दिसम्बर में- हमारे पास प्रोफेसर नहीं; हमारे पास लेक्चरर्स नहीं हैं; हमारी मान्यता दो साल तक खतम हो गयी; हमारे एक भी बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ। जो कालेज 1944 से ही बना, उस कालेज की यह दशा करके रख दी कि उनके बच्चों को एडमिशन देना, दो बैच आपके गये, पिछली बार मैंने विधान सभा में रखा तब आपने बड़ा मन रखकर एक बैच तो शुरू कर दिया, वह 60 के बजाए 50 का बैच लगा लेकिन आज भी कोई प्रोफेसर है? आज भी आपने एक जैसे-तैसे, जोड़-तोड़ करके मान्यता ले ली लेकिन आज वह मान्यता स्थाई रहेगी? एक महीने के बाद आपकी, मान्यता समाप्त हो जाएगी और वे बच्चे कहां जाएंगे? जो इतने सालों से वहां पर पढ़ रहे थे, पी.जी. वहां कर रहे हैं, आज की तारीख में आपको यानी पीएच.डी. करने वाला बालक वहां नहीं है क्योंकि उसको एडमिशन नहीं दे

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सकते, आपके पास स्टाफ नहीं है, न आपके पास दवाई है। यानी, गांव के अन्दर आपका वैद्य है न तो गांव में कोई प्राइवेट आपको आयुर्वेद दवाई की दुकान नहीं मिलेगी। वह जो दवाई लिखेगा न तो उसको उदयपुर या नाथद्वारा जाकर दवाई लानी पड़ेगी। यानी जब आप इतना बड़ा काम कर रहे हो, बाकी सारे के सारे हॉस्पिटल में आप मेडिकल सुविधाएं फ्री उपलब्ध करा रहे हो, दवाई तो कम से कम भगवान के लिए, और कुछ कर सको, न कर सको, आयुर्वेद के जो भी वैद्य और डाक्टर वहां बैठते हैं न वे कम से कम उस गरीब को दवाइ मुफ्त दे दें तो भी उसका बहुत बड़ा भला कर देंगे और सबसे श्रेष्ठ, सस्ती दवाइयां आती हैं। यानी पांच रुपये और दस रुपये में उसका काम चल जाता है लेकिन हम उसके लिए ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि हम सब यहां बड़े-बड़े लोग बैठते हैं, हमारी आंख के सामने गरीब दिखाई नहीं देता है, हमारी आंख से ओझल हो जाता है, हमको उसकी पीड़ा समझ में नहीं आती।

मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आप सहृदय जरूर हैं लेकिन इस आयुर्वेद की दुर्दशा पर रोना आता है।

(15.10 बजे)

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

इतने सालों तक, न तो यहां विधान सभा में चर्चा आती है और जब चर्चा आती है तो सब डाक्टर और वही विषय पर बोलते रहते हैं। आयुर्वेद के ऊपर कोई बोलता नहीं। आयुर्वेद के ऊपर कोई समय नहीं रहता है। न कोई डिस्कशन होता है, न कोई चर्चा करता है। आयुर्वेद का दुर्भाग्य यह है कि आयुर्वेद के नौकरी करने वाले जितने भी वैद्य हैं, वह भी सब अपने आपको इतना कमजोर महसूस करते हैं, वे सोचते हैं मैं एम.बी.बी.एस.किये हुए डाक्टर से कम हूं। जब दोनों की सैलेरी हमने बराबर कर दी, डॉक्टर और वैद्य की तनख्वाह बराबर कर दी, हमने उसको बराबर का स्टेटस दे दिया, उस स्टेटस देने के बाद भी हम उसका स्वाभिमान क्यों नहीं पैदा कर पा रहे हैं जिसके कारण से वह इसकी सेवा कर सके? हमारी रसायनशाला धूला खा रही है, रसायनशाला की मशीनें धूला खा रही हैं। आपकी रसायनशाला में बनने वाली दवाइयों की दशा क्या है, कभी किसी ने जाकर देखा? कभी किसी ने रसायनशाला का जाकर निरीक्षण करने की कोशिश की? मैं यह सोचता हूं कि डिपार्टमेंट को एकदम बरबाद करके रास्ते में रख दिया और हम डा.

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

राधाकृष्णन्, डा. राधाकृष्णन् कर रहे हैं। कम से कम पहले डा. राधाकृष्णन् का नाम नहीं था, अब तो आपकी दुर्दशा के कारण राधाकृष्णन् पहचाने जायेंगे। इतने बड़े शिक्षाविद् को, इतने बड़े समर्पित एक विद्वान को आपने ट्रेक पर लगा दिया और उसकी दशा नहीं सुधार पाये। क्या चाहिये, आयुर्वेद में 10-20-25 करोड़ रुपये डाल दो ना, तो एक बार आयुर्वेद खड़ा हो जाये लेकिन आप तो 10 -20 करोड़ रुपया नहीं लगा सकते। लोग 10-20 करोड़ का सामान खरीदकर यूं ही डम्प कर देंगे, चाहे बिल्डिंग नहीं हो तो भी सामान खरीदने का धंधा ये अधिकारी सब कर सकते हैं लेकिन उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकते। इसका कारण हमारी मानसिकता नहीं है कि हम किस गरीब की मदद करना चाहते हैं, किस डिपार्टमेंट को उठाना चाहते हैं।

मेरी प्रार्थना है अगर मेरी बात आपके ध्यान में है तो उदयपुर का एक मात्र आयुर्वेद कालेज है, उसमें आप प्रोफेसर, लेक्चरर, रीडर्स की नियुक्ति करो ताकि इस साल जो बैच जा रहा है, वह बैच बीच रास्ते में नहीं बिखर जाये और उनकी जिन्दगी खराब नहीं हो जाये और हमारी मान्यता रद्द नहीं हो जाये। आपके पास सब टोटल इन्फ्रास्ट्रक्चर है, अगर एक के बजाय दो विश्वविद्यालय बन जायें तो क्या पाप हो जायेगा? मेवाड़ क्योंकि आदिवासियों क्षेत्र है, गरीबों का क्षेत्र है, इसलिये वहां पर यूनिवर्सिटी नहीं बन सकती। वहां का मोहनलाल सुखाड़िया कभी मुख्य मंत्री थे, उनके जाने के बाद में जो बदला लेने की भावना इस राजनीति में आई है और उसके कारण से हम डिजर्व करते थे, लेकिन उसके बाद में भी 2002 में यह विश्वविद्यालय वहां ले जाया गया, जहां एक कौड़ी का इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं था, सारा का सारा सब नया करना पड़ रहा है। उसके बाद में आप खुश होकर कह रहे हो। हम अपनी पीड़ा को अपने मन में जानते हैं। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि कम से कम जो कुछ भी ढांचा हमारे पास में है, उसको सुधारो ताकि उन बच्चों का भविष्य नहीं बिगड़े।

श्री अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): पेश कर दिया अनुमति के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): कुछ तो बोलो, हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा? स्टाफ लगेगा कि नहीं लगेगा?

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय कटारिया जी ने अपनी भावना प्रकट की, अगर आप चाहेंगे तो पिछले 10 साल का इस विभाग में क्या हुआ है, कम्पेरेटिव कोई स्टेटमेंट अगर आप चाहेंगे तो वह मैं आपको नजर कर दूंगा। आखिर के पांच साल आपके पास भी यह विभाग था।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2011 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2011 को पारित किया गया। (व्यवधान)

कृपया बिराजें, आसन पांवों पर है।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): मेरा प्रस्ताव वापस लेना था, नाम परिवर्तन का प्रस्ताव वापस लेना था। मेरा नाम है, वापस लिये बिना ही पास हो गया।

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने और प्रतिपक्ष की नेता ने, उप नेता ने व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में एक चर्चा शुरू की और उस पर चर्चा की मांग की जिसको तत्काल सत्ता पक्ष ने और सत्ता पक्ष के मुख्य मंत्री, सदन के नेता ने स्वीकार करते हुए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने यह तय किया कि आज और कल, दो दिन कथित रूप से बढ़ रहे भ्रष्टाचार की रोकथाम के उपायों पर विचार करने के लिये सदन चर्चा करे। निश्चित रूप से जिस प्रकार से वातावरण आज देश में बना हुआ है, उसकी गम्भीरता को यह सदन भी महसूस करता है, आप सभी माननीय सदस्यों ने महसूस किया। मैं चर्चा प्रारम्भ कर रहा हूं। सत्ता पक्ष की ओर से 11 माननीय सदस्यों के नाम बोलने के लिये आये हैं और विपक्ष की ओर से 14 माननीय सदस्यों के नाम बोलने के लिये आये हैं। मैं इस बात को महसूस करता हूं कि आपने जिस विषय को छूने की कोशिश की है, उसकी गम्भीरता को पूरे सदन ने महसूस किया है। माननीय सदन के नेता ने सहृदयतापूर्वक इसको स्वीकार किया है कि इस पर चर्चा हो।

एक करबद्ध प्रार्थना आसन की ओर से मैं आप सबसे करना चाहता हूं कि आज जो चर्चा का विषय है, वह है इस समस्या के समाधान पर चर्चा करना। इस बीमारी से कैसे देश बच सके, क्योंकि नीचे से लेकर ऊपर तक

(श्री अध्यक्ष)

दुनिया इस बीमारी से ग्रसित है, उसमें हमारा देश भी अछूता नहीं है। किन्तु मेरी प्रार्थना यह है कि उपायों पर, सुझावों पर यदि चर्चा करें तो सार्थक होगी। यह चर्चा कहीं केवल डिबेट के रूप में या आपसी आरोप-प्रत्यारोप के रूप में बदल गयी तो जिस सार्थकता का आप अहसास कर रहे हैं या जिस आवश्यकता की गम्भीरता को आप महसूस कर रहे हैं, उस गम्भीरता को मैं भी महसूस कर रहा हूं, उसका औचित्य समाप्त हो जायेगा। इसलिये पुनः सदन के आप सब माननीय सदस्यों से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस समस्या के समाधान पर चर्चा करें और समस्या को कैसे दूर किया जाये, इस पर चर्चा करें। आपके क्या सुझाव हो सकते हैं, इस पर आप चर्चा करें, न कि आपस में आप कहीं आरोप-प्रत्यारोप, कहीं दलगत राजनीति के नाम पर, कहीं पक्ष और विपक्ष के नाम पर, उस धारा में नहीं बह जायें, यह मेरी आपसे प्रार्थना है।

इस पर चर्चा शुरू करने के लिये पुनः यही निवेदन करते हुए श्री राजेन्द्र राठौड़ चर्चा शुरू करें। कृपया मर्यादा का ध्यान रखकर के, सदन के सम्मान का ध्यान रखकर, मेरे निवेदन का ध्यान रखकर आप उसी प्रकार चर्चा करें।

विभिन्न विषयों पर विचार

भ्रष्टाचार की रोकथाम के उपायों पर विचार

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, आपका आदेश शिरोधार्य है। आज सदन के अन्दर, अध्यक्ष महोदय, एक ऐसे महत्वपूर्ण, संवेदनशील, ज्वलन्त विषय पर बहस हो रही है, जिसकी गूंज हिन्दुस्तान की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान से निकलकर गांव की चौपाल तक चली गयी है। जब इस बहस को मैं प्रारम्भ कर रहा हूं, उसी वक्त हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अन्दर भी नियम 342 के तहत इस पर चर्चा चल रही है। अध्यक्ष महोदय, यह समस्या कितनी गम्भीर है, आपने सही फरमाया कि यह पक्ष और प्रतिपक्ष की बात नहीं, यह लोकतंत्र की आत्मा पर घुन लगा और उसके लिये 65 साल की इस लोकतांत्रिक यात्रा का अगर हम आकलन करें तो कहीं न कहीं इस पूरे सिस्टम के अन्दर हम सब लोग अपने आपको गुनहगार पायेंगे। अध्यक्ष महोदय, कल जब लोक सभा में शून्य काल चल रहा था तो राहुल जी ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि मौजूद व्यवस्था से निराश

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

लोगों को जगाने का काम अन्ना ने किया। यानी जिस राहुल गांधी के नाम पर मेरे सामने बैठे मित्र काफी उद्वेलित हो जाते हैं, उनके काफी प्रशंसक भी हैं। जब वे खुद मान रहे हैं कि मौजूद व्यवस्था निराशाजनक है तो निश्चित तौर पर चिन्ता बढ़ जाती है।

अध्यक्ष महोदय, जब हम आजादी की 65वीं वर्षगांठ मना रहे थे, पूरे देश का मीडिया चीख-चीखकर कह रहा था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की उस रिपोर्ट के बारे में, जिस रिपोर्ट में यह कहा गया कि भारत दुनिया के भ्रष्टतम देशों में से एक देश हो गया। यहां 80 प्रतिशत लोगों को अपने काम के लिये कभी न कभी रिश्वत देनी पड़ी, इसी टी.आई. की रिपोर्ट यह कहती है। अध्यक्ष महोदय, 'करप्शन परसेप्शन इंडेक्स', उसमें आज हम 178वें स्थान पर खड़े हैं। अध्यक्ष महोदय, अमेरिका की एक कम्पनी है गेलप, उसका सर्वे भी प्रकाशित हुआ था, उस सर्वे में यह कहा गया कि पिछले पांच वर्षों में पहले की तुलना में भारत में 27 प्रतिशत भ्रष्टाचार बढ़ा। यह रिपोर्ट मई, 2011 की है, अध्यक्ष महोदय, और यह सर्वेक्षण यह कहता है कि बीते पांच वर्षों में पांच में से एक व्यक्ति को अपना वाजिब काम कराने के लिये रिश्वत देनी पड़ी। अध्यक्ष महोदय, यह भ्रष्टाचार का यह दंश कितना तीखा है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री हमारे देश की प्रमुख इंडस्ट्रीज में से एक है, एक सर्वेक्षण छपा था कि एक ट्रक वाला सालाना अस्सी हजार रुपये रिश्वत देता है। देश के अन्दर 36 लाख ट्रक हैं, ट्रक आपरेटर्स से एक वर्ष में बाइस हजार करोड़ रुपये की रिश्वत चली जाती है। यही नहीं, अभी 24 जून, 2010 से 18 सितम्बर, 2010 तक का बी बी सी ने एक सर्वे करवाया और उस सर्वे में यह कहा गया कि भारत में अगर सबसे ज्यादा चर्चा होती है तो भ्रष्टाचार की होती है और पाकिस्तान में होती है तो आतंकवाद की होती है। हमारे केन्द्र के जो सतर्कता आयुक्त हैं प्रतुल सिन्हा, सितम्बर, 2010 में रिटायर हुए, उन्होंने यह कहा कि मेरा व्यक्तिगत आब्जर्वेशन है कि 35 प्रतिशत भारतीय पूरी तरह भ्रष्ट हैं।

अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार और घोटालों के बारे में इतिहास के पन्ने पलटने लगें तो यह एक लम्बी फेहरिस्त है। वह लम्बी फेहरिस्त 1949 में +++ प्रारम्भ होती है जीप खरीद घोटाले से लेकर। अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान की राजनीति में एक परिवर्तन भी आया। 1987 में बोफोर्स तोप घोटाले के बारे में ए जी ने कुछ टिप्पणी की। +++ द्वारा अस्सी लाख डालर तत्कालीन +++ को देने को लेकर कई तरह की चर्चाएं चलीं।

श्री अध्यक्ष: सदन के सदस्य जो भी नहीं हैं, अगर उनका नाम लिया जाता है तो एक्सपंज कर दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, आज इस देश के अन्दर, मैं उन पुराने इतिहासों के अन्दर नहीं जाऊंगा पर ज्वलन्त जो बातें हैं, आज गांव की चौपाल पर चले जाओ, 2 जी स्पेट्रम का नाम ले लो, कहेंगे, एक लाख छिहत्तर हजार करोड़ रुपये का घोटाला हो गया; कामनवेल्थ गेम्स की बात ले लें, सत्तर हजार करोड़ का घोटाला; आदर्श सोसायटी की बात ले लें, आठ सौ करोड़ का घोटाला; सत्यम घोटाले की बात हम करें, चौदह हजार करोड़ का घोटाला; और तेलगी के स्टाम्प की बात हम करें तो तियालीस हजार करोड़ का घोटाला। रतन टाटा जो इस देश के प्रमुख उद्योगपतियों में से एक हैं, वे अगर मीडिया के सामने उद्योग परिसंघ की मीटिंग में कह दें कि एक केन्द्रीय मंत्री ने मुझसे पन्द्रह करोड़ की रिश्वत मांगी, मैंने रिश्वत नहीं दी इसलिए मुझे एयरलाइन्स का लाइसेंस नहीं मिला। ये सारी बातें चिन्ता की हैं। मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा।

सदन के नेता बैठे हैं, मैं इनको इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि कांग्रेस पार्टी का बुराड़ी सम्मेलन जो दिसम्बर, 2010 में हुआ और सोनियाजी ने भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए पांच सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा की। बुराड़ी सम्मेलन में सोनियाजी ने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त नेताओं और अफसरों के खिलाफ शीघ्र कार्यवाही की नई व्यवस्था होनी चाहिए। बिलकुल ठीक है, अध्यक्ष महोदय, होनी चाहिए क्योंकि यह कोई राजनीतिक चश्मा नहीं, कुछ बातें अच्छी हैं। सिस्टम को सुधारने के लिए, सदन के नेता महोदय, आप इस पर इम्प्लीमेंट कर लेते तो न तो वन क्षेत्र में खानें किसी की चलतीं, न नियमों के विपरीत जिन्दल शॉ कम्पनी को भीलवाड़ा में लीज दी जाती, न जलमहल परियोजना के अन्दर बिना ग्लोबल टेंडर के निर्मित एरिया बढ़ाया जाता। ये सारी बातें जबावदेही की हैं, अध्यक्ष महोदय, मैं उनके बारे में कह रहा हूं, आरोप नहीं लगा रहा।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा जो सोनियाजी ने कहा, उन्होंने यह कहा....

एक माननीय सदस्य: फिर आप नाम ले रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैं उनकी बडाई कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि सरकारी खरीद ठेकों में पारदर्शिता के लिए नीति और कानून बने। मैं इसलिए कह रहा हूं, सदन के नेता महोदय, कि यह जो ई-टेंडरिंग सिस्टम जो

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आपने इंट्रोड्यूस किया, यह बिलकुल कागजों में रह गया। आगे उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की प्रतिस्पर्धा में खुली प्रणाली हो, चुनावी खर्च के लिए सरकारी धन हो और मंत्रियों के अधीन अधिकारियों की समीक्षा और परित्याग हो। अध्यक्ष महोदय, अगर वास्तव में भ्रष्टाचार कहीं से प्रारम्भ होता है तो चुनाव से होता है। अध्यक्ष महोदय, आप जिस आसन पर विराजे हैं, मैंने आपको छात्र नेता के रूप में भी देखा है, पहला चुनाव भी आपने लड़ा और आज भी आप चुनाव लड़ रहे हैं। हम सबने चुनाव लड़ा। क्या हमें इस चीज को नहीं स्वीकारना चाहिए कि चुनाव के अन्दर हमारी राजनीतिक पार्टियां पच्चीस-पच्चीस, पचास-पचास लाख रुपये का चन्दा देकर, तिलक लगाकर मैदान में उतारती हैं? कहां से आता है वह पैसा? क्या हिन्दुस्तान के अन्दर आज तक इस बात पर विचार किया गया कि जब पच्चीस-पचास लाख रुपये एक-एक उम्मीदवार को देकर, राजनीतिक पार्टियां भेजती हैं, राजनीतिक पार्टियों के पास भी कहीं से फंड आता होगा और जो फंड देता है, वह हमारे तंत्र को कैसे प्रभावित नहीं करेगा। यह बहुत बड़े विचार की बात है।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में सी वी सी हैं जिनकी चर्चा कल जब लोकायुक्त की रिपोर्ट पेश हुई, उसके अन्दर आयी। उनके दामन पर कई तरह के दाग लग गये। मुझे आज कहने में कोई संकोच नहीं कि जो सी वी सी का सिस्टम है, सदन के नेता महोदय, जब तक इसको सक्रिय नहीं करोगे, यह आज पंगु बन गया, इसको सक्रिय करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज राजस्थान के अन्दर 350 से अधिक भ्रष्ट अधिकारी ऐसे हैं, हम एक दूसरे की जांघ भी उखाड़ेंगे, कपड़े भी फाड़ेंगे, गैलेरी में बैठे हमारे ये लोग जो हमारे पास फाइल प्रस्तुत करते हैं मंत्री के रूप में, टिप्पणी लिखकर लाते हैं कि आप इस पर चिड़ी बिठा दो, आज जब उनके भ्रष्टाचार की बात होती है तो किसी न किसी प्रकार से हम पर्दे के पीछे से बचाने की कोशिश करते हैं। आज 350 भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों से ज्यादा के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति पेंडिंग पड़ी है। मैं समझता हूं कि यह सबसे बड़ी चिन्ता की बात है।

मुख्य मंत्रीजी, बुराड़ी सम्मेलन के बाद आपने सभी मंत्रियों को पत्र लिखा पर एक मंत्री के अलावा किसी ने भी आपको सुझाव नहीं दिया। मंत्रीमण्डल में कितना... मैं फिर कह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, आप मुझे बोलने की अनुमति दें, मैं दायरे में बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष: आप समाप्त करें। आपको ग्यारह मिनट हो गये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। आपको मालूम है, अध्यक्ष महोदय, जब से आप आसन पर विराजे हैं, हम अनुशासन में रहे हैं और अनुशासन में बोलने वाले लोगों को संरक्षण भी आप देते हैं।

श्री अध्यक्ष: समय की भी मेरी एक मजबूरी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मुख्य मंत्रीजी, एक आप टुडेज चाणक्य का, प्रदेश के बारे में सर्वे पढ़ा होगा, उस सर्वे के अन्दर 63 परसेंट लोगों ने यह कहा कि प्रदेश के अन्दर भ्रष्टाचार की सीमाएं लांघी जा रही हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप कृपया विराज जाएं। अंकित नहीं होगा। व्यवधान पैदा नहीं करें। आप विराज जाएं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): भ्रष्टाचार से तंग आकर देश की जनता सड़कों पर आ गयी और अन्ना हजारे में दूसरे गांधी का अक्स उन्होंने देखना प्रारम्भ कर दिया और जब इन्हीं अन्ना हजारे ने जन लोकपाल की बात कही, क्षमा करें, जिनको हमारे प्रधान मंत्री कहते हैं लोक सभा में कि मैं उनके जज्बे को सैल्यूट करता हूं, जस्टिस सावंत आयोग के नाम पर उन पर किस तरह के वार किए, उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा। अध्यक्ष महोदय, यह और है कि इन्हीं को पद्मविभूषण और पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।

अध्यक्ष महोदय, आई बी की जो रिपोर्ट है, जिसके बारे में प्रतिपक्ष की नेता ने कहा था, अब लोग 'करो या मरो' की बात पर हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो लोकपाल का विधेयक है, यह कोई पहली बार नहीं आया और इस लोकपाल विधेयक पर पहले प्रशासनिक आयोग में मोरारजी देसाई ने सुझाव दिया था। सितम्बर, 2004 के अन्दर हमारे प्रधान मंत्रीजी वक्तव्य देते हैं कि हमारी सरकार लोकपाल विधेयक को पास करने में तनिक भी देर नहीं लगायेगी। आज वह तनिक देर कितने वर्षों में बीत गयी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज बहुत बड़ी आवश्यकता है, राजस्थान के अन्दर यह व्यवस्था 38 साल से है, गोपनीय प्रतिवेदन सदन के अन्दर आता है, अध्यक्ष महोदय, आज तक लोकायुक्त की एक भी रिपोर्ट पर ए टी आर नहीं बनी, एक्शन टेकन रिपोर्ट नहीं हुई। मैं निवेदन करना चाहता हूं, पिछली बार जब आप विराजे थे, 17 साल पुराना, सत्रहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ था इसी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सदन के अन्दर और इसके अन्दर उन्होंने सिफारिश की थी, तत्कालीन मंत्री के खिलाफ सिफारिश की थी, तीन-तीन आई.ए.एस. अधिकारियों के खिलाफ सिफारिश की थी। तत्कालीन मंत्री पूर्व मंत्री हो गये, राज्यपाल यहां से गये और तीनों आई.ए.एस. अधिकारी रिटायर हो गये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज लोकायुक्त की रिपोर्ट जो कल सदन में पेश हुई, मुख्य सतर्कता आयुक्त पर अगर टिप्पणी हो जाए, विभागीय जांच आयुक्त पर टिप्पणी हो जाए, आर.ए.एस. अधिकारी पर अगर टिप्पणी हो जाए, इसलिए, नेता महोदय, जब तक लोकायुक्त की रिपोर्ट आप समय की पाबंदी में नहीं बांधोगे तब तक काम चलने वाला नहीं है और लोकायुक्त की रिपोर्ट पर ए.टी.आर. साथ में आये। आज भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ...

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें। समाप्त करें, समय बहुत हो रहा है, इतना समय नहीं है अब। लिस्ट लम्बी दी है आपने।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यहां तो आया ही नहीं मैं।

श्री अध्यक्ष: लिस्ट आपने लम्बी दी है, मैं क्या करूं या तो संख्या कम कर दीजिए बोलने वालों की।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): संख्या कम कर देंगे, साहब।

माननीय अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, जो ए.सी.डी. है उस ए.सी.डी. में तीन वर्ष पुराने 145 प्रकरण अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ लम्बित पड़े हैं और मैं निवेदन करना चाहूंगा, मुख्य मंत्रीजी, इस ए.सी.डी. के बारे में श्वेत पत्र जारी करवाना चाहिए आपको, श्वेत पत्र जारी करके पता लगे, कितने मामले लम्बित हैं, ये मामले हैं, कितने परिवाद आये, किस मंत्री के खिलाफ आये, किस अधिकारी के खिलाफ आये और आज किस स्थिति में हैं, कितनों में पी ई हुई और कितनों में एफ.आर. हुई।जब तक यह मामला नहीं चलेगा तब तक बात नहीं चलेगी।

इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो जन लेखा समिति है और ...

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें। श्री प्रताप सिंह खाचरियावास।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ बोल ही नहीं पाया।

श्री अध्यक्ष: मैं समय लिख रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो मुख्य मंत्रीजी को सारी बात बताना ही भूल गया। मुख्य मंत्रीजी, ...

श्री अध्यक्ष: बाद में आप चैम्बर में मिलकर और बता देना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं, ये जो बातें हैं, पी.ए.सी. की रिपोर्ट आती है, माननीय अध्यक्ष महोदय, पी.यू.सी. की रिपोर्ट आती है, पी.ए.सी. और पी.यू.सी. की रिपोर्ट पर जो आडिट पैरा हमारे सामने आते हैं...

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजें आप। देखिये, समय की मेरी मजबूरी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): हां, पांच मिनट।

श्री अध्यक्ष: पाँच मिनट अब कहां से? अभी आपने 3.16 पर शुरू किया था 3.31 पर पहुंच गये, 15 मिनट आप बोल चुके हो। 14 के आपने नाम दिये हैं, 11 के इधर से नाम हैं। तो भला आखिर कब तक चलाना है सदन, तय कर लीजिए, सदन तय कर लेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मेरे को कन्क्लूड तो करने दो।

श्री अध्यक्ष: मैं दस मिनट से ज्यादा किसी को नहीं देना चाह रहा हूं। इसी में बहुत लम्बा हो जायेगा।

श्री जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): अध्यक्ष जी, फॉर्मेलिटी मत निभाओ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: चलिये, दो मिनट में समाप्त कर दीजिए आप।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): या तो समय बढ़ाओ या संख्या कम ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है। (व्यवधान) समय की सीमा है, आप बैठ जाइये।

एक माननीय सदस्य: सुझाव दे सकते हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि ये जो जन लेखा समिति और राजकीय उपक्रम समिति हैं, जो आडिट पैरा बनते हैं, यह जो आडिट पैरा बनते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब ये परीक्षण के लिए आते हैं तब तक तो दस-बारह-पन्द्रह साल हो जाते हैं और ये दोनों जन लेखा समिति और राजकीय उपक्रम समिति जब सिफारिश करती हैं, उसमें इतना समय हो जाता है कि जिनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए वे चले जाते हैं। इसलिए इसमें भी कोई न कोई सुधार की आवश्यकता है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अब, मुख्य मंत्रीजी, कुछ बातें ऐसी हैं ...

श्री अध्यक्ष: अब कुछ बातों को तो आप छोड़ दीजिए, समय का ध्यान रखिये। श्री प्रताप सिंह खाचरियावास।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): इन बातों पर आज कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। यह जो राजस्थान वेयरहाउसिंग कारपोरेशन है, स्विस चैनल केस में आपने शुभम लोजिस्टिक कम्पनी को दे दिया।

श्री अध्यक्ष: नहीं बैठें तो मैं क्या करूं? (व्यवधान) माननीय सदस्य, कृपया विराज जाएं, समय की मजबूरी है मेरी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैं यह नहीं कहता, आपने दिया, लोग यह चर्चा करते हैं कि यह शुभम लाजिस्टिक कम्पनी कल्पतरू ...

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: आप शुरू करें। अब अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। कृपया विराज जाएं।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पूरा हिन्दुस्तान ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: विराजें आप, अंकित नहीं हो रहा। कितनी देर बोलेंगे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: ओपनर हैं, इसीलिए मैंने आपको सबसे ज्यादा समय दिया है। आप समय देख लीजिए, आपको ध्यान रहता नहीं है कि कितने मिनट... आप एक काम करें, आप कितनी देर और बोलना चाहते हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: नहीं, मैं आपकी सूची में नाम काट देता हूं फिर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: आपकी सूची में नाम काट देता हूं। आप आधे घंटे बोल लीजिए, मुझे दिक्कत नहीं है, नाम काट देता हूं। समय की मजबूरी है मेरी।

एक माननीय सदस्य: दूसरों को मौका मिलना चाहिए। राठौड़ साहब रोज बोलते हैं।

श्री अध्यक्ष: आप विराजो। आप शुरू करिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पूरा हिन्दुस्तान ...(व्यवधान)

इजाजत हो गयी अब तो, राठौड़ साहब। वे उधर से मुझे कह रहे हैं, अब आप विराजो, आप बहुत सीनियर हो।

श्री अध्यक्ष: अब गुरु-चेले का आपस का मामला है, मैं नहीं पड़ूंगा। आप शुरू हो जाओ।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): अच्छा नहीं लगता यह। अध्यक्ष जी, आप व्यवस्था दे दो न। अच्छा नहीं लगता, दोनों आपस में बोलते रहें।

श्री अध्यक्ष: अब दे दी व्यवस्था, आप शुरू करिये।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पूरा हिन्दुस्तान राजस्थान विधान सभा की तरफ देख रहा है और पूरा हिन्दुस्तान आज इस बात के लिए पूरे सदन को, राजस्थान की विधान सभा को धन्यवाद... मैं आदरणीय तिवाड़ी साहब से, मैडम से निवेदन करूंगा कि राठौड़ साहब को, जब अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दे दी तो मैं ...

श्री अध्यक्ष: आप अपनी बात चालू रखिये, आपका भी समय निश्चित है, आपका भी समय सीमित है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): अध्यक्ष जी, मैं कहूंगा तो दोनों बोलेंगे, तो कोई समझ में नहीं जायेगा।

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा, आपका समझ में आ रहा है, आप चालू रखिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: आप कृपया सहयोग करें। कृपया सहयोग करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: नाम पुकार चुका हूं, समय आप काफी ले चुके हैं, और वक्ताओं से ज्यादा समय ले लिया है।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): अध्यक्ष महोदय, आज पूरा हिन्दुस्तान राजस्थान की विधान सभा की तरफ देख रहा है और देखने का कारण है कि जब लोक सभा चल रही है और लोक सभा की तरफ पूरे हिन्दुस्तान की ही नहीं, पूरी दुनिया की नजरें हैं। हिन्दुस्तान के उस विषय पर लोकसभा में चर्चा हो रही है, जिस विषय को लेकर हिन्दुस्तान का पूरा आम-खास, गांव से लेकर, शहर से लेकर, ढाणी से लेकर हर गली-मोहल्ले में बैठा हुआ व्यक्ति यदि सबसे ज्यादा समस्या से परेशान है तो भ्रष्टाचार से परेशान है। राजस्थान की विधान सभा में मैं धन्यवाद दूंगा सदन के नेता, मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी को, प्रतिपक्ष की नेता वसुन्धरा राजे जी को, तिवाड़ी जी को, इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि तीनों ने मिल कर यह फैसला किया और पूरे सदन ने यह फैसला किया कि अन्ना हजारे जी को पूरे सदन की तरफ से यह कहा जाय कि आपने जो विषय उठाया है, वह पूरे देश के मन का विषय है, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपना अनशन तोड़ दीजिए। उसके बाद सदन के नेता ने आगे बढ़कर यह कहा कि मैं खुद भ्रष्टाचार पर चर्चा करवाना चाहता हूं, फैसला करना चाहता हूं और यह जो नयी शुरूआत राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत ने की है, प्रतिपक्ष की नेता वसुन्धरा जी ने कहा कि भ्रष्टाचार पर चर्चा करवाइये और अशोक जी गहलोत ने माना, यह राजस्थान की विधान सभा की नयी शुरुआत है, इससे राजस्थान की जनता में बड़ा संदेश गया है कि राजस्थान की विधान सभा के 200 सदस्य भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहते हैं और विषय भी यह रखा गया कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने के क्या-क्या तरीके अपनाये जाएं कि भ्रष्टाचार समाप्त हो सके।

मैं आज के दिन अन्ना हजारे जी को भी सैल्यूट करता हूं, राहुल गांधी जी को भी सैल्यूट करता हूं, राहुल गांधी जी ने आगे बढ़कर अन्ना हजारे जी को धन्यवाद दिया और यह कहा, उनका स्वागत करते हुए आगे बढ़कर उन्होंने धन्यवाद दिया और राहुल गांधी जी ने पार्टियों से ऊपर उठकर यह कहा कि आज मैं अन्ना हजारे जी को धन्यवाद देता हूं, इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि इस भ्रष्टाचार को लेकर पूरा देश चिंतित है, पूरी कांग्रेस पार्टी चिंतित है और कांग्रेस पार्टी ने बुराड़ी के अधिवेशन में कहा कि मुख्य मंत्री और मंत्रियों का विवेकाधीन कोटा खतम करा जाय। वह काम राजस्थान की सरकार ने तय किया, मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत ने कह दिया, न तो मेरा विवेकाधीन कोटा होगा, ना मेरे किसी मंत्री का विवेकाधीन कोटा होगा, और उस मार्ग पर चलने का काम शुरू हो गया।

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

आज के दिन हम खुद यह मानते हैं, पूरा राजस्थान जानता है, हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है, सुबह सड़क बनती है शाम को टूट जाती है; आम आदमी परेशान है। अब इस भ्रष्टाचार को खतम करने के लिए यदि हम यही बात करते रहे कि आपके शासन में तो यह हुआ था, हमारे शासन में ऐसा हुआ था, आपने वह घोटाला कर दिया हमने यह घोटाला कर दिया तो इससे भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा। राजस्थान की जनता हम पर हंसेगी, हिन्दुस्तान की जनता हम पर हंसेगी और यह कहेगी कि विधान सभा में बैठ कर, लोक सभा में बैठ कर जिन लोगों को काम करना चाहिए था भ्रष्टाचार खतम करने का, वे भ्रष्टाचार को खतम करने का, उसके उपाय करने का काम नहीं कर रहे हैं, वे आपस में थूक उछालने का काम कर रहे हैं, आपस में आरोप-प्रत्यारोप करने का काम कर रहे हैं। हमको लोगों ने चुन कर भेजा है, देवदूत बनाकर भेजा है और यह तय करके भेजा है कि राजस्थान की विधान सभा कोई कानून बनाएगी तो हमारे अधिकारों के लिए बनाएगी, हमारे सम्मान के लिए बनाएगी। इस तरह का कानून बने कि कोई विधवा पेंशन लेने के लिए जाय, कोई वृद्वावस्था पेंशन लेने के लिए जाए, कोई विकलांग पेंशन लेने के लिए जाय, गरीब आदमी जाकर खिड़की पर खड़ा हो तो उसको इस बात की व्यवस्था हो कि कोई भी कर्मचारी यह नहीं कह सके कि तू तेरी तीन महीने की तनख्वाह मुझको दे दे, दो महीने की तेरी पेंशन मुझको दे दे तब तेरी पेंशन बनेगी। इस बात की व्यवस्था हम करें।

मैं आज के दिन इस बात की बधाई देता हूं कि जब आदरणीय कटारिया जी बोल रहे थे, बहुत अच्छी बात कही, आज लोक सेवा गारंटी कानून बिल के ऊपर सोमवार को चर्चा होगी, यह जो लोक सेवा गारंटी कानून, बिल आया है, मैं इतना कह सकता हूं कि लोक सेवाओं की गारंटी तय कर दी, अब कोई पासपोर्ट बनवाने जाएगा, कोई लाइसेंस बनवाने जाएगा, कोई मूल निवास प्रमाण पत्र लेने जाएगा, कोई जन्म-मृत्यु का प्रमाण पत्र के लिए जाएगा, कोई तहसील में जाएगा, कोई पटवारी के पास जाएगा, कोई कलक्टर के पास जाएगा तो उसको गारंटी तय करनी पड़ेगी कि इतने दिन में काम हो जाएगा, नहीं तो उसको उसके लिए दोषी करार दिया जाएगा। उसमें डर पैदा होगा। मैं इसकी बड़ाई नहीं चाहता कि यह बिल गहलोत सरकार ने पेश किया है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बजट के समय जब मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा कि यह बिल लेकर हम आयेंगे, आम आदमी को हम अधिकार देंगे, क्योंकि पहले हमने

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

नागरिक अधिकार पत्र जारी किया था, हम वे ही लोग हैं, जिससे जो चीफ विजिलेंस आफिसर हर विभाग में बना है, वह मजबूत हो सके। अभी राठौड़ साहब कह रहे थे, इनको मजबूत करने की जरूरत है, बिल्कुल इनको मजबूत करने की जरूरत है।

मैं आज अन्ना हजारे जी को भी सैल्यूट करता हूं कि इस उम्र में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। आम आदमी आज उनके साथ खड़ा हुआ नजर आता है। वह आम आदमी यह नहीं समझ रहा है, उसको लोकपाल चाहिए या जन लोकपाल। बस, वह इतना जानता है कि इस देश में भ्रष्टाचार है। मुझे पुलिस के भ्रष्टाचार से मुक्ति दे दो, मुझे कोई ट्रैफिक पुलिस वाला तंग नहीं करे, मैं थाने में जाऊं तो मुझे न्याय मिले, मैं तहसील में जाऊं तो कोई पटवारी, तहसीलदार मेरे से रिश्वत नहीं मांगे। मैं जहां जाऊं, वहां मेरे काम हों। मेरा बेटा मर जाय, मैं मृत्यु प्रमाण पत्र लेने जाऊं और मेरे से रिश्वत मांगी जाय, इससे बड़ा अन्याय कुछ नहीं हो सकता । सुबह सड़क बनें, शाम को टूट जाय, एम एल ए, एम पी का फंड उसमें यह सिस्टम हो जाय कि एम एल ए, एम पी का फंड हम दें तो जनता को उसमें भागीदार बनाओ, 31, 51 लोग उसमें शामिल करो। क्यों शामिल करो, क्योंकि एम एल ए जो पैसा देता है बोरिंग के लिए, उसमें जलदाय विभाग पांच लाख रुपये खर्च करता है और जब हम अपने पैसों से बनाएं तो दो लाख में वह पूरा बोरिंग हो जाता है। ऐसा क्या सिस्टम है? आखिर क्या यह सदन सिर्फ अधिकारियों की चोरी छुपाने के लिए रह गया है? क्या उनकी गलती छिपाने के लिए रह गया है? वे हमको चलायेंगे, वे हमको बिल बनाकर देंगे, हम उस पर ठप्पा लगा देंगे? चोरी करे कोई और भुगते विधायक और एम पी। यह नहीं चलेगा।

जब लोक सेवा गारंटी कानून आया, मैंने मुख्य मंत्रीजी को खुद को बधाई दी, धन्यवाद दिया, मुख्य मंत्रीजी, इसमें आज आपने बहुत बड़ी शुरुआत की है, कोई गुंजाइश होगी तो और सुधार हो जाएगा लेकिन कहीं से शुरुआत हुई है और ऐसे समय में हुई है, तो उन्होंने मुझे कहा कि यह शुरुआत तो बजट के वक्त ही हो गयी थी। आज बहुत बड़ा काम आपने अपने हाथ में लिया है।

मैं आज कह सकता हूं, लोग क्या नहीं करते। आज बात आती है, कोई डाक्टर के पास जाता है, कोई जलदाय विभाग में जाता है, कोई बिजली विभाग

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

में जाता है, यदि आपको जल्दी चाहिए तो उसको रिश्वत देनी पड़ेगी। आज रेले के रेले सड़कों पर घूम रहे हैं, नौजवान तिरंगा झण्डा लेकर निकल गया, आवाज उठा रहा है, भ्रष्टाचार से मुझे मुक्ति चाहिए। यह मौका है, कल आने वाली पीढ़ी हमको माफ नहीं करेगी। इस वक्त इस सदन का मानना एक ही है कि भ्रष्टाचार समाप्ति के उपायों पर चर्चा करें। मुद्दा यह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कौनसा घोटाला हुआ, कांग्रेस की सरकार में क्या हुआ। यह यदि हम करने लग गये, तो ना तो इस भ्रष्टाचार समाप्ति के उपायों पर चर्चा होगी, ना बहस होगी, न कोई कंक्लूजन निकलेगा, न इस बात का फैसला होगा कि कल लोग हमको धन्यवाद दें। कल लोग यह कह देंगे कि अशोक जी गहलोत साहब और विपक्ष की नेता वसुन्धरा जी, और तिवाड़ी जी, तीनों ने मिलकर यह प्रस्ताव किया भ्रष्टाचार समाप्ति के उपायों का, उस पर सबने मिलकर एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाए, उन्होंने तो कहा आपके राज में यह घोटाला हुआ था, इन्होंने कहा आप भी यह कर रहे हैं। आज लोग यह नहीं सुनना चाहते, आज गरीब लोग सिर्फ इतना सुनना चाहते हैं कि अशोक जी गहलोत और वसुन्धरा जी ने मिलकर लोक सभा के साथ-साथ ऐसे कौनसे उपाय किये जिससे कि राजस्थान में एक नई क्रांति, एक नई दिशा की शुरुआत हुई।

आज आप दोनों सदन के नेता हैं, एक विपक्ष की नेता हैं और एक सदन के सत्ता पक्ष के नेता हैं। आज जब आपने नई शुरुआत की है, मैं आज आपसे अनुरोध करूंगा, पूरा राजस्थान आपके साथ खड़ा है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि एक सशक्त, मजबूत अभी बात हुई लोकायुक्त की, लोकायुक्त पहले से है लेकिन आम आदमी जो छोटे स्तर पर भ्रष्टाचार से परेशान है, जो पग-पग पर भ्रष्टाचार से परेशान है, क्या राजस्थान की विधान सभा ऐसा कोई कानून ला सकती है, जब सत्ता पक्ष चर्चा कर रहा है, ऐसा कोई विचार कर सकती है? हम पार्टीबाजी से ऊपर उठकर इस सदन में एक फैसला करें कि अन्ना हजारे ने जो मुहिम चालू की है, जो रास्ता दिखाया है, वह रास्ता राष्ट्र के निर्माण का है और उस पर पहल राहुल गांधी ने कल कर दी, उन्होंने कह दिया मैं चुनाव आयोग की तरह एक ऐसे और भी सशक्त लोकपाल की बात करता हूं जो पूरे देश से इस करप्शन को खतम कर सके।

मैं आज के दिन जब इस भ्रष्टाचार पर बहस शुरू हुई है, अध्यक्ष जी,

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

आपसे निवेदन करूंगा कि इस सदन से इस तरह की बात निकलनी चाहिए, एक ऐसा रास्ता निकलना चाहिए जो रास्ता लोगों के मन में यह संदेश लेकर जाय। यह भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, यह हिन्दुस्तान के लोकतंत्र की बात है और राजस्थान की विधान सभा में सात करोड़ लोगों के भविष्य को ध्यान में रखकर, सात करोड़ लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखकर, हिन्दुस्तान के सवा सौ करोड़ लोगों के मन को देखकर, पार्टीबाजी से ऊपर उठकर राष्ट्र निर्माण के ...

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

लिए इस कानून का निर्माण किया है। इस तरह का संदेश तब जाएगा जब आपस में आरोप-प्रत्यारोप से ऊपर उठकर एक नये कानून की बात करें, एक नई योजना की बात करें और वह बात बिल्कुल पाजिटिव हो, नेगेटिव नहीं हो। इस बात को लेकर तो नहीं हो कि इसने तो वह कर दिया, उसने यह कर दिया।

आज वोट का फैसला नहीं हो रहा है, लोग आज वोट की प्रतिस्पर्धा भी हमसे नहीं चाहते, लोग आज हमसे कुछ फैसला चाहते हैं। लोग यह देखना चाहते हैं, लोगों के मन में कल यदि ऐसा हो गया, पार्टियों से भरोसा उठ जाएगा, लोग यह समझेंगे कि ये सिर्फ वोट की बात करते हैं। जब हमारे मुद्दे आते हैं, आम आदमी के अधिकार की बात आती है, कहीं भी कोई भी चोरी करे, किसी भी पद पर हो, कितना भी बड़ा अधिकारी हो, कितना भी बड़ा नेता हो, उनको जेल का रास्ता देखना पड़ा। आज राजा जेल में है, कलमाड़ी जेल में है, आदर्श सोसायटी घोटाले में एक बात पर अशोक चह्वाण को इस्तीफा देना पड़ा। क्यों नैतिकता निभानी पड़ती है? एक इशारा किया इस देश के नेताओं ने जवाहर लाल नेहरू के समय, आदरणीय नेहरू लोकपाल लाना चाहते थे, उनके मन में भावना थी। भ्रष्टाचार आज पैदा नहीं हुआ, नेहरू के टाइम में आदरणीय जवाहर लाल नेहरू ने लोक सभा में कहा, मैं इस भ्रष्टाचार से परेशान हूं, भ्रष्टाचार को खतम करना चाहता हूं।

आज जब महात्मा गांधी की फोटो लगाकर एक गांधीवादी निकला है तो लोग कल्पना कर रहे हैं कि यह गांधी के रास्ते पर निकल गया है और निकल कर पूरे देश को बदलना चाहता है, लेकिन एक अच्छी बात है, उन लोगों ने भी, दिल्ली में अन्ना हजारे ने कहा कि तिरंगा सबके हाथ में है, हम पार्टीबाजी की बात नहीं कर रहे हैं, हम राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं, हम वोट की बात नहीं कर रहे, हम आरोप-प्रत्यारोप की बात नहीं कर रहे हैं, हम

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

तो भ्रष्टाचार को खतम करना चाहते हैं। पूरी लोक सभा, पूरी लोक सभा में बैठे हुए दोनों पक्ष इस बात के लिए तैयार हैं। अब राजस्थान की विधान सभा से यह सन्देश नहीं जाना चाहिए कि लोक सभा में तो पाजिटिव चर्चा हुई लेकिन यह जो राजस्थान की विधान सभा वाले थे, अच्छी चर्चा करते-करते फिर लड़-भिड़कर बाहर निकल गये।

इसलिए मेरा निवेदन है कि अब जब मौका आया है, इस मौके पर कोई भी बात, राइट टू इन्फार्मेशन एक्ट, यह क्रांति किसने खड़ी की, यह सूचना का अधिकार किसने दिया, इसी कांग्रेस सरकार ने, इसी सोनिया गांधी ने सूचना का अधिकार दिया और उस सूचना के अधिकार को सबसे पहले किस स्टेट ने लागू किया, उस सूचना के अधिकार को इन्हीं मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने ...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

...केन्द्र से पहले लागू कर दिया। यह बहुत बड़ी बात है। मैं आज के दिन इतना कह सकता हूं कि हमेशा डेमोक्रेसी का सम्मान कांग्रेस पार्टी ने किया है, कांग्रेस की सरकार ने किया है और आज मौका है, वही कांग्रेस सत्ता पक्ष में है, हम बी जे पी का भी सम्मान करते हैं, यह सदन 200 विधायकों का है, यहां पार्टीबाजी से ऊपर उठकर जब राष्ट्र के गौरव की बात चल रही है, भ्रष्टाचार को खतम करने की बात चल रही है, अब न तो कोई बी जे पी पर आरोप हो, न कांग्रेस पर आरोप हो लेकिन एक क्रान्ति की शुरुआत हो और वह क्रान्ति ऐसी हो कि इस बार राष्ट्र निर्माण की बात राजस्थान की विधान सभा कर रही है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, जब मैं खड़ा हुआ तब हमारे मन में यह बात थी कि एक दूसरे को समझना आसान है, एक दूसरे पर आरोप लगाना आसान है लेकिन अपना धर्म निभाना बहुत मुश्किल है। आजकल... (व्यवधान) खतम कर रहा हूं। एक सबसे बड़ी बात यह है कि हर व्यक्ति यह समझता है, मैं सबसे सच्चा आदमी हूं, मैं सबसे बड़ा सपूत हूं, मैं ही सबसे बड़ा ईमानदार हूं। जबकि ऐसा होता नहीं है, जो यह समझता हो कि मेरे से गुणवान दूसरा हो सकता है, मेरे से अच्छा दूसरा हो सकता है। जब भ्रष्टाचार की बात अखबारों में छपी तो, अध्यक्ष जी, लोगों ने मेरे से पूछा, एक-दूसरे को

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

गालियां दोगे, वैल में आओगे, हंगामा करोगे, मुख्य मंत्री पर चार्ज करोगे, वसुन्धरा जी पर चार्ज करोगे और फिर विधान सभा खतम हो जायेगी। तब मैंने कहा, ऐसा नहीं होगा, कल आप देखना, हम कोई नयी बात शुरू करना चाहते हैं, हम कोई नयी शुरुआत करना चाहते हैं। हमारी वसुन्धरा जी से कोई दुश्मनी नहीं है...

श्री अध्यक्ष: समाप्त करें। कृपया समाप्त करें। श्री नरपत सिंह राजवी।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): हमारे गहलोत साहब का भी हम सम्मान करते हैं।

मैं अन्त में इतना ही कहूंगा, एक नयी बात निकलनी चाहिये जो भ्रष्टाचार को खतम करने में...

श्री अध्यक्ष: कृपया विराज जाएं, माननीय सदस्य। समाप्त करें।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): हम सबको आगे ले जा सके..

श्री अध्यक्ष: कृपया समय का ध्यान रखते हुए समाप्त करें।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): और विधान सभा पूरे देश को एक नया रास्ता दिखाये। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अध्यक्ष महोदय, 1952 से भ्रष्टाचार के बारे में चर्चा का अगर इतिहास देखें तो हर बजट सत्र में या दूसरे सत्र में हमेशा चर्चा हुई है लेकिन पहली बार दोनों पक्ष एक साथ बैठकर भ्रष्टाचार जैसे एक रोग पर चर्चा कर रहे हैं। यह वास्तव में नेता प्रतिपक्ष ने मांग की, उनका आभार प्रकट करता हूं और सदन के नेता ने उसको स्वीकार किया, इसलिये उनका भी आभार प्रकट करता हूं।

हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार यह भ्रष्टाचार क्यों है, कैसे है और कैसे रोक सकते हैं इन तीनों पर चर्चा नहीं करेंगे तो राजनीतिक भाषण देकर यहां से जरूर जा सकते हैं लेकिन इसकी सार्थकता पर हमको देखना पड़ेगा। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार हमारे समाज एवं राष्ट्र पर तीन विशिष्ट एनटिटीज हैं जिनका असर पड़ता है, धन, पाप और शक्ति, पावर। अर्थ को चार पुरुषार्थों में एक माना है और कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में अर्थ शास्त्र में धन को बहुत आवश्यक माना है क्योंकि धर्म और काम पर अर्थ निर्भर करता है। हिन्दू धर्म

(श्री नरपत सिंह राजवी)

में अर्थ प्राप्त करना ही मूल लक्ष्य नहीं है, त्याग और धर्म को एक दूसरे के पूरक के रूप में माना है...(व्यवधान) तैयारी करके आया हूं। जो राजा धर्म के मार्ग से हटकर काम करता है उसे हटाया जाना चाहिये। कौटिल्य ने 40 तरीके ऐसे बताये हैं, जो गबन हो सकता है, उसको रोकने के रास्ते भी बताये हैं। ऐसे कई तरीके भ्रष्टाचार को, जो आफेंस कमिट किया जाता है, फोर्जरी, काउंटरफीटिंग, मिलावट, एडल्टरेशन, स्मगलिंग, होर्डिंग फार प्रोफेटीयरिंग और उनको डील करने के रास्ते भी बताये हैं। आज भी वे के वे सामने हैं। एडल्टरेशन रोकने के भी एक्ट्स हैं, लेकिन वह रुकता नहीं है। होर्डिंग फार प्रोफेटीयरिंग को रोकने के एक्ट्स हैं, लेकिन रुक नहीं पा रहा है। यहां पर अध्यादेश की बात हो, मिलकर व्यवस्थाओं में जब तक हम परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक यह बात नहीं बन पायेगी।

मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहूंगा। मोहम्मद गजनवी लूटने की नीयत से आया। मुगल काल में प्रजेंट्स लेना और देना, यह आधार बना था जिससे मनसबदारों को, ओहदेदारों को ईनाम दिया जाता था। उसे प्राप्त भी किया जा सकता था। इसी इंस्टिट्यूशन को आगे चलकर एक्सटोर्शन और बेस्टोवल, जबराना और बख्शीश का दस्तूर बन गया, कस्टम बन गया... (व्यवधान) हां, है।

श्री अध्यक्ष: कृपया डिस्टर्ब नहीं करें बीच में।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अलाउद्दीन खिलजी के समय यहां तनख्वाह बढ़ाकर उनको ताकि टेम्प्टेशन कम हो, वह व्यवस्था आरम्भ की और उसके बाद में अगर नहीं रुका तो कठोर दण्ड देने की भी बात की थी।

आजादी के बाद में दो सबसे बड़ी बातें हैं जिनके कारण से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है, विलम्ब और गोपनीयता। राइट टू इन्फोर्मेशन के तहत सूचना मिलने लगी। 2002 में राजस्थान विधान सभा में पारित हुआ और देश में सबसे पहले हुआ, यह गौरव की बात है। सूचना मिलने के बाद में भ्रष्टाचार के परदे खुलने लगे। नहीं तो, इंडिविजुअल एक, दो के आरोप लगते थे, उसके बाद भी नहीं पता लगता था। एक पार्ट तो उसमें कवर हुआ है, लेकिन दूसरा पार्ट है डिले। अब जो आप एक्ट लेकर आये हैं, मैंने अभी पूरा देखा नहीं है, अखबारों के माध्यम से आया है कि इसमें डिले में हरेक, जैसे सिंगल विण्डो एक्ट में आपने प्रोविजन किये। सिंगल विण्डो एक्ट मेरा ही बनाया हुआ था।

(श्री नरपत सिंह राजवी)

मैंने उसमें काफी मेहनत की थी। उसको इम्प्रूव तो आपने किया है, अच्छी बात है लेकिन व्यवस्थाएं एक ही एजेन्सी के माध्यम से अगर करायेंगे तो कभी गरीब को न्याय नहीं मिलेगा और जब तक गरीब, अधिकांश लोग लोअर मिडिल क्लास से हैं, उनको न्याय नहीं मिलेगा तो हम यहां पर जस्टिफाई नहीं करेंगे इस चर्चा करने के बाद।

झूठी शिकायत अगर किसी की भी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे एम एल हो, चाहे मंत्री हो, शिकायत तो झूठी लेकिन मीडिया से एक ऐसा बन जाता है जिससे जजमेंट में फर्क पड़ जाता है। तो झूठी शिकायत करने वालों पर भी कार्यवाही होनी चाहिये। यह भी व्यवस्था इस प्रकार की रखनी चाहिये। एफ आई आर झूठी लगाते हैं, होम मिनिस्टर बैठे हैं, सुन रहे हैं गौर से, कितनी 182 की कार्यवाही झूठी एफ आई आर में कितनी बार होती है, नहीं होती है। अदमसबूत, अदमवकुआ लगकर एफ आर लग जायेगी लेकिन झूठी एफ आई आर करने वालों पर कार्यवाही नहीं होगी। ऐसी झूठी शिकायत करने वाले पर अगर होगी तो निश्चित तौर पर झूठी शिकायत करने वालों पर भी अंकुश लगेगा।

वैस्ट में ओम्बड्समैन का विचार लगभग सौ साल से ज्यादा पुराना है। अकाउंटेबिलिटी वहां पर तो लागू हुई है, भारत में अभी तक अकाउंटेबिलिटी नहीं है। विधान सभा की एक समिति बने, सर्वोच्च समिति बने। कठोर निर्णय लेने हैं वे लोग लें उसमें लें। निक्सन जैसे एक सबसे बड़े राष्ट्र के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, उसको रिजाइन करने पर मजबूर किया जा सकता है तो एम एल ए, एम पी को भी लाइन पर चलने पर मजबूर किया जा सकता है।

विदेशी बैंकों में चाहे कालाधन हो, उसको लाने के लिये भी व्यवस्था करनी चाहिये। 'ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल' ने भारत को फिफ्थ मोस्ट करप्ट कण्ट्री माना है पूरी दुनिया में। सारे स्कैंडल्स हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है, और भी बहुत आ जायेंगे। एडवर्ड गिबन ने एक कोट किया है कि तीन सौ वर्षों तक राज करने वाले रोमन एम्पायर, उसके पतन का कारण है तो करप्शन है, करप्शन के कारण तीन सौ साल तक राज करने वाला ताश के पत्ते की तरह ढह गया। जनता का कांफिडेंस हम खो चुके हैं, इस सिस्टम में जनता का कांफिडेंस नहीं है। नेता कोई भी जाता है तो अनुमान तो यही लगाते हैं कि यह भ्रष्ट होगा ही। ऐसा नहीं है। इस जनता के कांफिडेंस को रेस्टोर करने के लिये हमको आवश्यक परिवर्तन इन व्यवस्थाओं में करने होंगे।

(श्री नरपत सिंह राजवी)

मैं सुझाव देता हूं कि मोर रिकग्नाइज्ड सिटीजन चार्टर एक्ट लागू होना चाहिये। डाइनेमिक रिड्रेसल सिस्टम होना चाहिये जिसमें जो अधिकारी है, वह समय सीमा में वहां पर मिल जाए। कोशिश अगर मंत्रीगण करते हैं तो तुरन्त मिल जाते हैं, बाकी विधायक भी अगर दस बार टेलीफोन करेगा तो अधिकारी तो मीटिंग में ही मिलेगा, चाहे वह मीटिंग में हो, नहीं हो। सरलीकरण होना चाहिये; ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर्स होने चाहिये; रेस्पोंसिवनेस और अकाउंटेबिलिटी आफ ब्यूरोक्रेसी, यह किस आधार पर लायी जा सकती है, इस पर गम्भीरता से बैठकर सर्वदलीय बैठक बुलायेंगे, इस पर और भी सुझाव आ जायेंगे; इंडिपेंडेंट मशीनरी होनी चाहिये। संतनाथ समिति की रिपोर्ट सदन के माननीय नेता मंगाकर देख लें, 1962 में पुटअप हुई थी और 1962 में गवर्नमेंट ने उसे स्वीकार नहीं किया। अब उस पर आप कुछ कार्यवाही कर लें और उस पर जितने सुधारात्मक कदम हैं, आप उठा सकते हैं, वे उठा लें, बहुत अच्छा रहेगा। देश के हित में रहेगा, राजस्थान के भी हित में रहेगा। लेकिन ये सारी बातें हुई क्यों ? इतने वर्षों तक अधिकांश समय तक तो कांग्रेस सत्ता में रही है और सत्ताधारी दल ने जो भी एक लाइन डाल दी कि इस ट्रेक पर यह ट्रेन चलेगी, जो एक परिपाटी डाल दी उससे इंस्टिट्यूशन आफ करप्शन आरम्भ हुआ है

(16.00 बजे)

चाहे वह आजादी से पहले का टाइम हो, चाहे 6 मिनिस्ट्रीज जब बनी थीं, उस समय बहुत सारी शिकायतें आयी थीं और गांधी जी ने कहा था, मुझे इतना अफसोस है कि "I would like to 90 to the length of giving the whole Congress a decent burial rather than put up with the corruption that is rampant." उसके बाद में दुनिया भर के एग्जाम्पल्स हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णनजी के नाम से अभी विश्वविद्यालय किया, 1947 में राधाकृष्णन जी ने कहा था "Unless we destroy the corruption in high places root out every trace of nepotism, love for power profiteering, black marketing which have spoiled the good name of a country..." प्रिय नेता हैं, अपने ही अग्रणी हैं, उन लोगों ने जो लाइन रखी है, उस पर हमें थोड़ा काम करना चाहिए। संजीव रेड्डी जी ने 1963 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक में कहा ...(व्यवधान) यह आप लोगों के भी पढ़े हुए नहीं होंगे, इसलिए कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: दस मिनट बोल चुके हैं। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): 15 मिनट में ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अच्छा बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: टाइम मेरी मजबूरी ...(व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): संजीव रेड्डी जी ने जुलाई, 1963 में कांग्रेस प्रेसिडेंट के नाते कहा, "Congressmen who were paupers in 1947 are now millionaires and multi-millionaires."

श्री अध्यक्ष: समाप्त करें।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): कर्नाटक के पूर्व चीफ मिनिस्टर ने भी ऐसा ही कहा 1963 में कि कुछ लाख रुपये से मैं मुख्य मंत्री बन गया, करोड़ रुपये होते तो प्रधान मंत्री बनता। यह ए आई सी सी के रिकार्ड में भी है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ए आई सी सी का रिकार्ड आपको कैसे मालूम है? वह तो हमारे पास है ...(व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): मैंने पढ़ लिया, गलती से ले आया। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): आर टी आई के तहत कापी ले ली। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ए आई सी सी का रिकार्ड हैक हो गया अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान) रिकार्ड भी ले लो ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अनुभव भी बहुत है और आपके पास बैठे हुए माननीय सदस्य का अनुभव आपसे ज्यादा है। उन्होंने भी आपको कुछ राय दी होगी।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अध्यक्ष महोदय, इन्होंने तो आजादी से पहले भी कांग्रेस में भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया (व्यवधान) आजादी का आंदोलन लड़ रही थी कांग्रेस, वहां भी भ्रष्टाचार का ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजें, विराजें, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): परचेज आफ जीप का हो 1948 का ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अन्य किसी माननीय सदस्य का अंकित नहीं होगा।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): मुद्‌गल साहब का केस हो, जहां पर उनको रिजाइन करना पड़ा; मूंदड़ा का केस हो जहां उस समय के मंत्री को रिजाइन करना पड़ा...(व्यवधान) सिराजुद्दीन स्कैंडल हो, उनको रिजाइन

(श्री नरपत सिंह राजवी)

करना पड़ा; प्रताप सिंह जी कैरो और बख्शी गुलाम मोहम्मद, कितना पढ़ें। और तो और, पी एम ओ में एम.ओ. मथई का नाम भ्रष्टाचार के कारण से ही सी आई ए के साथ जुड़ा हुआ आया।

श्री अध्यक्ष: थैंक यू। श्री पेमाराम।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): धन्यवाद।

श्री पेमाराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में भ्रष्टाचार पर चर्चा है और हमारे सदन में सरकार ने विपक्ष की मांग को स्वीकार करते हुए भ्रष्टाचार पर चर्चा करवायी, उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: आप अपना शुरू कर दीजिये, फिर समय कम बचेगा।

श्री पेमाराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, भ्रष्टाचार नीतियों से जुड़ा हुआ सवाल है। भारत 1947 में आजाद हुआ, आजादी से लेकर के आज तक लगातार भ्रष्टाचार तो होता रहा लेकिन आटे में नमक जितना था लेकिन सन् 1991 में जिन आर्थिक नीतियों को लेकर के, जिन वैश्वीकरण की नीतियों को लेकर के, जिन निजीकरण की नीतियों को लेकर के, सवाल यह नहीं है कि सरकार में कौन है, राजस्थान में भी सरकार में या तो कांग्रेस रही है या भारतीय जनता पार्टी रही है, भारत में भी कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी ने ही ज्यादा समय तक सरकारें चलायी हैं, अध्यक्ष महोदय, 1991 की जो नीतियां, आर्थिक उदारीकरण की नीतियां चलाकर के जो काम किया, उसमें एक ही काम हुआ, अमीर के पक्ष में काम हुआ और गरीब, गरीब बनता गया। दो तरह की जिंदगी बन गयी। लोगों की उम्मीदें तो ये थीं हिन्दुस्तान की आजादी के दौरान कि भारत आजाद होगा तो आजादी के बाद इस देश की धरती पर पैदा होने वाले प्रत्येक बच्चे को शिक्षा मिलेगी, दो हाथों को काम मिलेगा, भारत माता की धरती को पानी मिलेगा और शायद धरती पर स्वर्ग आयेगा और भारत में पैदा होने वाले को स्वर्ग में हिस्सेदारी मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए कोई अफसोस नहीं है कि ये दोनों पार्टियां जिन नीतियों को लेकर के आगे बढ़ीं; उसी का परिणाम आज नरेगा है। कोई भी चर्चा करता है तो नरेगा पर, बोले कि ये नरेगा वाले काम नहीं करते, क्योंकि गरीब हैं। लेकिन कोई यह नहीं कहता कि जो आई ए एस, मैं तो आप लोगों से भी कहना चाहूंगा कि आज तो नहीं आ पाये, लेकिन अधिकारी दीर्घा में भी

(श्री पेमाराम)

भ्रष्टाचार के मुद्दे पर यदि डिपार्टमेंट्स के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज चर्चा सुनते तो मैं समझता हूं कि यह सार्थक होती और बेहतर होती।

अध्यक्ष महोदय, इच्छा शक्ति का सवाल है। पिछले पांच साल में यही गहलोत साहब मुख्य मंत्री के रूप में आये, पिछले पांच सालों में करप्शन को लेकर के लोगों में भय था लेकिन अब पता नहीं, इच्छा शक्ति क्यों कमजोर हो गयी कि खुल्ला छोड़ दिया और उसका परिणाम यह है कि गांव में कोई गरीब नरेगा के जाब कार्ड बनाने वाले ग्राम सेवक के पास जाता है, खेत से निकलकर, ढाणी से निकलकर पटवारी के पास जमाबंदी लेने के लिए जाता है, लेकिन जाने से पहले उसकी छाती कंपकपाती है। यह इच्छा शक्ति का ही कारण है।

अध्यक्ष महोदय, निजीकरण को आगे बढ़ाने वाली कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, दोनों पार्टियां हैं। निजीकरण का जीता-जागता नमूना है, दोनों ने राज किया है, मैं जलमहल वगैरह की बात नहीं करता, यह जयपुर में है सुबोध कालेज, सन् 1966 में अलाटमेंट हुआ, सूचना के अधिकार में मुझे जो बताया गया, उसमें यह बताया कि 50 हजार रुपये जमा कराये 16 मार्च, 1966 को, दोनों पार्टियों ने सरकार चलायीं, उसको जमीन और अलाट कर दी, अभी तक सुबोध कालेज को पट्टा जारी नहीं हुआ जे डी ए के द्वारा। अभी सड़क चौड़ी हुई, रामबाग सर्किल तक की सड़क चौड़ी हुई, 2 करोड़ रुपया सुबोध कालेज को दे दिया। कोई कारण नहीं था। यहीं पर कांग्रेस बैठी है और यहीं पर भारतीय जनता पार्टी बैठी है, गरीब के घर में दो रुपया चला जायेगा तो भ्रष्टाचार का सवाल हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, आज बिलकुल ठीक कहा प्रताप सिंह जी ने, हमारे इलाके में जब हम टयूबवेल बनाते हैं तो 2 लाख रुपये में ग्राम पंचायत के द्वारा और पानी के महकमे में टयूबवेल देना पड़ता है तो इनकी रेट है साढ़े 6 लाख रुपये। निश्चित रूप से इसमें रिव्यू करने की आवश्यकता है। हमने सड़क गोसाना से लोसल तक ग्राम पंचायत के द्वारा डामर सड़क बनायी, उस पर साढ़े 3 लाख रुपये एक किलोमीटर में खर्च हुआ आज की तारीख में, बाकी सड़कें 30 लाख रुपये, या जो प्रधानमंत्री योजना में सड़कें हैं, तमाम सड़कें...

श्री अध्यक्षः अब समाप्त करें।

श्री पेमाराम (धोद): यह निजीकरण का असर है, जिसमें ठेकेदार को

(श्री पेमाराम)

दिया जाता है और ठेकेदार घटिया काम करता है। उसके बाद यू सी जारी कर देते हैं। उसकी वजह से सड़कें टूट जाती हैं।

अध्यक्ष महोदय, यही हालत बिजली महकमे की है, बिजली महकमे में सारे के सारे तार उतार लिये जाते हैं। अपने स्वार्थ के लिये, यहां पर बैठकर के बड़े अधिकारी, वह तार उतार लो, वह ट्रांसफार्मर उतार लो, स्टोर में एक भी जमा नहीं हो पाता।

अध्यक्ष महोदय, मुझे समय आपने कम दिया, मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा, मैं फख्र के साथ कह सकता हूं कि हिन्दुस्तान में ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपकी संख्या के हिसाब से, दल के हिसाब से दिया है, जो ज्यादा है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): दल बढ़ रहा है दिनों-दिन।

श्री पेमाराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से बढ़ोत्तरी चल रही है लेकिन एक बात मैं सदन में फख्र के साथ कह सकता हूं कि या तो कांग्रेस के नेता भ्रष्टाचार में सम्मिलित हैं और जेल यात्रा कर रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के नेता भ्रष्टाचार में सम्मिलित हैं और जेल यात्रा कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: श्री रतन देवासी।

श्री पेमाराम (धोद): 1947 से लेकर के आज तक निश्चित रूप से राज भी किया, लेकिन हम फख्र के साथ कह सकते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) का एक भी नेता नहीं है जो भ्रष्टाचार के आरोप में घिरा हो और जेल यात्रा गया हो। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए सरकार को निश्चित रूप से उपाय करने चाहिए।

एक माननीय सदस्य: आपको मौका नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष: श्री रतन देवासी।

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, आज की इस चर्चा में और आज के इस ऐतिहासिक दिन की चर्चा में जब देश की पार्लियामेंट में इस विषय पर चर्चा हो रही है, इस पूरे मुल्क में, राजस्थान की विधान सभा में भी भ्रष्टाचार पर चर्चा हो रही है। अध्यक्ष महोदय, हम रोज बात करते हैं, हम बजट की चर्चा करते हैं, हम अलग-अलग विषयों पर चर्चा करते हैं, हम यहां अलग-अलग नियमों के तहत हमारी बात कहते हैं, उन तमाम चीजों के अन्दर

(श्री रतन देवासी)

हमारी तकलीफें आ जाती हैं और हम उनको यहां इस सदन के अन्दर बता भी देते हैं। इस देश के अन्दर इस विधान सभा का एक उदाहरण गया है, आज विधान सभा में मांग उठी कि भ्रष्टाचार के ऊपर, इसको रोकने के उपायों के बारे में चर्चा होनी चाहिए, राजस्थान विधान सभा के सदन के नेता ने इस बात को कहा कि इस पर चर्चा होगी। तो मैं समझता हूं कि हमारे पास कहने के लिए बहुत कुछ है और सुनाने के लिए भी बहुत कुछ है।

मेरे से पहले तीन माननीय सदस्य बोले और बोलने के बाद में मैं जो माननीय सदस्य यहां बैठे हैं, उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज की चर्चा वह नहीं है। हम हमारी बातें बहुत कहते हैं कि आपने यह किया, हम यह कर रहे हैं; यह सारा समय तो चलता रहेगा, आज इस देश में, इस मुल्क में जो माहौल बना है, एक माहौल भ्रष्टाचार का जो बन रहा है और इस माहौल के अन्दर जो पालिटिकल लोग हैं, उस माहौल के अन्दर जो जन-प्रतिनिधि हैं, भले ही वे गांव के वार्ड पंच हैं, पंचायत समिति के मेम्बर हैं, जिला परिषद के मेम्बर हैं, एम एल ए हैं या एम पी हैं, कितने भ्रष्ट होते हैं, कितने वार्ड पंच भ्रष्ट हो जाते हैं, कितने पंचायत समिति के सदस्य भ्रष्ट हो जाते हैं, कितने जिला परिषद के मेम्बर भ्रष्ट हो जाते हैं, कितने सदन में बैठे हुए एम एल ए भ्रष्ट हो जाते हैं या कितने एम पी भ्रष्ट हो जाते हैं, ये सारी बातें हम जानते हैं बराबर मगर फिर भी इस देश के अन्दर यह माहौल ऐसा बना दिया है कि सारी की सारी उंगलियां, वह गांव से लेकर दिल्ली की पार्लियामेंट तक हम जन-प्रतिनिधियों पर उठ रही हैं। हम जन-प्रतिनिधियों पर कीचड़ उछल रहा है और पूरी कंट्री में यह माहौल ऐसा बना दिया है। अगर आज हम यह बात करने लगेंगे भ्रष्टाचार की कि आप यह कर रहे हैं, हम यह कर रहे हैं, अगर पेमारामजी, माननीय सदस्य यह बोलेंगे कि दोनों राज में आकर गए हैं तो, साथियों, इस विधान सभा में आने वाला हर नौजवान, वह इससे दूर भागने लगेगा कि मैं इस विधान सभा के अन्दर नहीं जाऊंगा। जो नौजवान जीतकर भी आए हैं पहली बार, उनको खुद को भी वहां जाकर उनके घरों और कांस्टिट्यूएंसी में यह पूछते हैं कि आप लोग वहां जा रहे हैं, कितना माल कमाया। पर ऐसा नहीं है। हम विधान सभा क्षेत्र में जाएं, राजस्थान की विधान सभा और इस हिन्दुस्तान की तमाम विधान सभाओं में, अगर राजस्थान में इस पर चर्चा हो रही है तो हमको भी सकारात्मक चर्चा करनी पड़ेगी और यहां से वह मेसेज भेजना पड़ेगा कि हमने भ्रष्टाचार को रोकने के उपायों पर बात

(श्री रतन देवासी)

की है, हमने एक दूसरे पर कीचड़ नहीं उछाला है। हमने इस राजस्थान के अन्दर लोगों को यह संदेश दिया है कि राजनीति में बैठा हुआ हर व्यक्ति चोर नहीं है; सिस्टम में बैठे हुए लोग चोर हो सकते हैं मगर राजनीति में बैठा हुआ आदमी चोर नहीं है, एम पी या एम एल ए या वार्ड पंच चोर नहीं है। साथियों, आप आगे आओ, लीडरशिप डवलप करो और इस प्रदेश के हितों के बारे में सोचो, तब तो हमारा यहां बैठना और इस पर डिस्कस करना बहुत सकारात्मक है वरना तो आरोप और प्रत्यारोप करके झगड़ कर हम जा सकते हैं।

आज हम देखते हैं, लोग पूछते हैं, हम वहां बैठते हैं, एम पी के घर का घेराव हो रहा है, एम एल ए के घर का घेराव हो रहा है, कई जगहों पर हम बैठे रहते हैं, कई जगहों पर एम पी और एम एल ए स्वयं मजाक कर लेते हैं, उनके बीच में आकर बात कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं यह बात। यह बात पालिटिकल लीडरशिप के लिए बहुत खराब है, इस देश की लीडरशिप के लिए खराब है। इस देश की लीडरशिप जिसको पूरे विश्व की ताकतें मानती हैं, हिन्दुस्तान में नौजवान नेता होते हैं, हिन्दुस्तान में विभिन्न कौमों, जातियों, धर्मों के लोग आकर इस देश के बारे में फैसला करते हैं, यहां की लीडरशिप में दम है। लोगों को जगह मिलती है कि लीडरशिप डवलप हो, सिस्टम की ताकत से वे चुनकर आते हैं, वे वहां बैठते हैं और अपनी बात कहते हैं। आज हम इस कंट्री में जो माहौल हो रहा है, आज हम उस सिस्टम को तोड़ने के लिए जा रहे हैं। काम एम एल ए क्या करता है, मंत्री के पास कब काम जाता है, यहां बैठे हुए जन-प्रतिनिधि, हम क्या काम करते हैं, हमें सिस्टम को सुधारना पड़ेगा।

इस बात से हम इन्कार नहीं कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचार बढ़ा है और बढ़ भी रहा है, उसका कारण है कि इस टेक्नोलाजी के युग में, कम्प्यूटर के युग में जहां नैनो जैसी कार लाख रुपए में मिल गई है तो आदमी की डिमांड बढ़ गई है और इस डिमांड को बढ़ाने के लिए और हमारी डिमाण्ड पूरी करने के लिए हम मिलकर इस भ्रष्टाचार को फैला रहे हैं। हम जब तक सीमित संसाधनों में जीना नहीं सीखेंगे तब तक भ्रष्टाचार को जरा भी नहीं रोक पाएंगे।

आपको यह तय करना पड़ेगा, हमें यह तय करना पड़ेगा कि जो पालिटिकल लोग हैं, जो पालिटिकल लीडरशिप है, उस पर सीधा आरोप लग

(श्री रतन देवासी)

जाए तो हमें शर्म आती है, लोग हर एंगल से यह देखने लग जाते हैं कि कोई एम पी जा रहा है या एम एल ए जा रहा है तो ये तमाम चोर होंगे, यह तमाम लोग भ्रष्ट होंगे। अगर इस माहौल को हमने एक जुट होकर खतम नहीं किया तो आने वाले समय में, हम इस सदन में बैठे हैं, खुद हमको भी और आने वाली जो पीढ़ी होगी अगर आने वाला जो नौजवान होगा, इस विधान सभा में आने का सपना देखता है और मेहनत करता है, वह भी अपने सपने को देखना छोड़ देगा।

हम इस बात को स्वीकार करते हैं, अन्ना हजारे जी ने भ्रष्टाचार को खतम करने की बात की है तो भ्रष्टाचार खतम होना चाहिए और हमें उनका साथ देना चाहिए कि उनकी बात सही है और गांधीयन तरीके से वे अपनी बात कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए मगर फिर भी मैं वापस एक बात कहता हूं कि अगर हम कांस्टिट्यूशन के दायरे में रहकर, कांस्टिट्यूशन के ऊपर जाकर कोई कहना चाहेगा तो फिर हमें लगता है कि हम भी इस विधान सभा में आकर बैठे हैं और इतनी मेहनत करके इस विधान सभा में कोई आता है अपनी बात रखने के लिए, तो फिर उसका विधान सभा में आना व्यर्थ है, उसको विधान सभा में ही नहीं आना चाहिए। फिर कांस्टिट्यूशन का क्या मतलब निकलेगा? क्यों हम लोग यहां आए, क्यों हम लोग यहां आने की बात करें? हम खुद ही बाहर से भी अपनी बात मनवा सकते हैं। ये तमाम चीजें हैं, अध्यक्ष महोदय। मेरा सुझाव है कि भ्रष्टाचार जो फैल रहा है, वह ग्रास रूट्स से, नीचे से फैल रहा है, वह नीचे से फैल रहा है। नीचे की छोटी-मोटी तमाम चीजें हैं, गांव और गरीब आदमी की जरूरतें हैं, गांव और गरीब आदमी की जरूरत है, वहां बैठे हुए पूरी हो सकती हैं, एक मिनट में।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि एक डिबेट हुई काशस आफ करप्शन इन इंडिया, उसमें जो परिचर्चा हुई, करप्शन जो चल रहा है, उसको खतम करके बेटर वर्ल्ड, लुकिंग फोर बेटर वर्ल्ड विषय पर चर्चा हुई। यह मिस्टर प्रेम कुमार सबलोक ने आयोजित की थी और इसको हम नेट पर देख सकते हैं। उसके अन्दर जो बात उभर कर आई कि पालिटिकल सिस्टम को सुधारना चाहते हैं तो 73वां और 74वां अमेंडमेंट वे, वह आज की तारीख में हमको मजबूत नहीं वीक कर रहे हैं, पोलिटिकल लीडरशिप को मजबूत होना पड़ेगा और कहा गया कि सिस्टम इसलिए खराब हो रहा है कि We have rusted and fragile bureaucrats in this country। यह बात

(श्री रतन देवासी)

उस परिचर्चा से निकल कर आती है तो सिस्टम जो चल रहा है, उस सिस्टम को चलाने वाले ब्यूरोक्रेट्स की बात कह दी, पालिटिकल लीडरशिप की बात कह दी, हमें इस सब सिस्टम को सुधारना पड़ेगा।

आज सबसे बड़ी डिमांड अन्ना हजारेजी ने जो उठाई है जो वन पाइंट पर है कि सरकारी कर्मचारियों को उसमें शामिल करो, मतलब यू डी सी और एल डी सी को भी उसमें शामिल करो। हमारे प्रदेश के अन्दर भी अगर हम भ्रष्टाचार को रोकने के उपाय ढूंढ रहे हैं, बात कर रहे हैं और हम वास्तव में यह चाहते हैं कि यह सिस्टम सुधरे तो सोशल सिक्योरिटी की जो स्कीम्स हैं, उनमें जो प्रभावित लोग हैं और उनको जो डील करते हैं, जो छोटे-मोटे गांव के गरीब की समस्या है, अगर उसको हम ऐसा कानून या ऐसा नियम बनाकर सख्त कर दें कि वहां भ्रष्टाचार न हो तो आपके यहां भ्रष्टाचार की ज्यादा हवा भी नहीं फैलेगी और आम आदमी भी सुखी हो जाएगा।

अंत में, अध्यक्ष महोदय, आपका और सदन के नेता को मैं धन्यवाद देता हूं कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हमने यहां चर्चा की और अभी चर्चा शुरू ही हुई है, सोमवार को भी चर्चा होगी, तो मैं यही निवेदन करता हूं कि हम हमारा समय आपस में बहस करके एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में नहीं गंवाएं। यह राजस्थान विधान सभा में जो बहस हो रही है, पूरे देश की विधान सभाओं में बहस हो रही है, यहां पर जो भ्रष्टाचार के बारे में बहस हो रही है, वह हमारे लिए स्वाभिमान है और इसको बरकरार रखें और जितने भी हम दो सौ जनप्रतिनिधि यहां बैठे हैं और इस पूरे देश में जो माहौल बन रहा है कि जन-प्रतिनिधि चोर होते हैं, जन-प्रतिनिधि ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, एम पी और एम एल ए के पास बनते ही नोटों की बारिश शुरू हो जाती है और पूरे देश के अन्दर जो एक हवा फैलाने की कोशिश हो रही है, हम लोग उसके खिलाफ एक होकर अपनी बात कहें। इन्हीं शब्दों के साथ, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका आभार व्यक्त करते हुए चर्चा का समर्थन करता हूं कि हम भ्रष्टाचार को रोकने लिए कोई सख्त कदम उठाएं और सख्त नियम बनाएं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री ओम बिरला।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पूरे देश में गांव से लेकर दिल्ली तक देश की जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए उठी है और आज अगर संसद में बहस हो रही है और विधान

(श्री ओम बिरला)

सभा में भी बहस हो रही है तो किसी सरकार की पहल पर नहीं, राजनेता की पहल पर नहीं और किसी सरकार की इच्छा पर नहीं, पहल इसलिए हो रही है कि देश की जनता 64 साल बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है।

एक निर्विवादित सामाजिक कार्यकर्ता जिसने आवाज लगाई जनता की धड़कन की, इसीलिए आज विधान सभाओं में भी चर्चा हो रही है और दिल्ली की लोक सभा में भी चर्चा हो रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो चर्चा हो रही है, माननीय सदस्य कह रहे हैं 1945 की भी, माननीय सदस्य कहते हैं कि जनता कहती है कि नेता चोर हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, जनता क्यों नहीं कहेगी कि जन नेता चोर हैं? जब राजा जो सत्ता में बैठा है, वह अगर खुद ईमानदार होगा तो नीचे कारिंदा ईमानदार होगा, अगर खुद भ्रष्ट होगा तो नीचे का पूरा तंत्र भ्रष्ट होगा। आज हम सब लोग जिम्मेदार हैं इस सारी व्यवस्था के लिए। देश ने आजादी दी थी, लोकतंत्र दिया था, जनता के नेताओं को दिल्ली से लेकर राजस्थान की सत्ताओं पर भेजा था कि एक ईमानदार शासन चलाओ जिसके लिए देश के नेताओं ने बलिदान दिया था। क्या व्यवस्था रही? लोक सभा के अन्दर 64 साल तक कोई कानून नहीं बना पाए, विधान सभा के अन्दर हम 64 साल तक कोई ऐसा कानून नहीं बना पाए जिससे भ्रष्टाचार को रोक सकें। हमको शर्म आनी चाहिए। अगर यह जनता आंदोलन नहीं करती तो क्या दिल्ली में संसद में बहस होती? क्या राजस्थान की विधान सभा में बहस होती? हम दोषी हैं, हमारी गलतियां हैं, हम भ्रष्टाचार में लिप्त रहे और इसके कारण नीचे का ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम पूरा भ्रष्ट हो गया।

मैं राजस्थान की चर्चा करता हूं। माननीय मुख्य मंत्रीजी यहां नहीं हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी पिछली बार भी मुख्य मंत्री थे, इस बार भी उन्होंने कहा कि मैं पारदर्शी सरकार लाऊंगा, ईमानदार सरकार लाऊंगा। मुझे भी लगा कि हो सकता है कि अब की बार सरकार आएगी, पारदर्शी आएगी, ईमानदार आएगी, कुछ कानून बनाएगी, कुछ कानून में भ्रष्टाचार को रोकने का काम करेगी। क्या ढाई साल के अन्दर कोई कानून बन गया? कोई भ्रष्टाचार के लिए कोई नई एजेंसी बन गई जिससे भ्रष्टाचार रोका गया। आज विधान सभा के अन्दर जिस बात की मैं चर्चा कर रहा हूं, कौनसा सिस्टम कोलेप्स नहीं हुआ?

(श्री ओम बिरला)

लोकायुक्त की बात कर लो। ए सी डी की बात कर लो। सी वी सी की बात कर लो, अरे, गांव का वह व्यक्ति जो भ्रष्टाचार से पीड़ित है, जाए तो कहां जाए? सी वी सी के अन्दर कौन बैठा है, लोकायुक्त पर सरकारों को विश्वास नहीं, ए सी डी के अन्दर कौन लोग बैठे हैं, ए सी डी क्या एजेंसी है, सारा सिस्टम जानता है लेकिन कभी सिस्टम को सुधारने का प्रयास, माननीय मुख्य मंत्रीजी, आपने भी ढाई साल में नहीं किया। आप भी इसके लिए दोषी हो। अगर आप सिस्टम को सुधारते, कोई बिल लाते, विधेयक लाते, हम अगर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नहीं होते तो दोषी हैं।

आज हमारे साथी चर्चा करते हैं, हमें भी दुःख होता है, कोई कहता है कि टूटी सड़कें हैं, कोई कहता है कि पाइप लाइन ठीक नहीं डली, कोई कहता है अस्पताल की व्यवस्था ठीक नहीं है। कौन सुधारेगा? अभी केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि सड़कें टूट रही हैं, अभी माननीय प्रताप सिंह जी खाचरियावास ने कहा, कौन सुधारेगा? हम जिम्मेदार हैं। क्यों नहीं सड़कों के बनने पर तकनीकी आडिट की व्यवस्था हो जो सरकार के नियंत्रण में नहीं हो, जो निष्पक्ष हो, जिसकी जांच एजेंसी हो? एक हजार करोड़ रुपये पी डब्ल्यू डी का खर्च कर दो साल में, डेढ़ हजार करोड़ आप पी एच ई डी में खर्च कर दो। आपने जैसी बात की, माननीय भरतसिंह जी साहब बैठे हैं, जो नरेगा की बात करते हो, कहते हो नरेगा के सिस्टम से पूरे गांव के हाल सुधर जाएंगे, हम गांव के भी विधायक हैं लेकिन क्या गांव की हालत सुधर गई, क्या नरेगा के सिस्टम से करोड़ों रुपये आने के बाद भी? अरे, एक बार यह तो आडिट करा लो कि इस गांव और पंचायत में आजादी से लेकर अभी तक कितना पैसा खर्च हुआ है। अगर यह आडिट हो जाए कि इस गांव में इतना पैसा आजादी के बाद में खर्च हुआ है तो शायद उस गांव की तकदीर परिवर्तित हो जाती। लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी ने चिंता नहीं की, कोई सिस्टम को सुधारने की बात नहीं करता।

मैं आपसे, माननीय अध्यक्ष महोदय, कहना चाहता हूं, मेरे कुछ बिन्दु हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी यहां नहीं हैं, मुख्य मंत्रीजी, इस सदन में चर्चा से काम नहीं चलेगा, आप लोकपाल, लोकायुक्त जैसा बिल लाओ, कठोर बिल लाओ जिससे सारा सिस्टम सुधरे जिससे हम जन-प्रतिनिधि जिनको दोषी मानती है जनता, हम सुधरें, सरकार के मंत्रियों जिन पर रोज भ्रष्टाचार के आरोप लगाये जाते हैं, किसी से सैल्यूट नहीं होता, किसी की खानें चल रही हैं,

(श्री ओम बिरला)

किसी के क्रेशर चल रहे हैं, ये विवाद आते हैं; सत्य, असत्य पर नहीं जाना चाहता, कोई बिजली का मीटर खराब है, ट्रांसफार्मर का घोटाला है, कोई कहता है कालीसिंध में घोटाला है, मैं विधान सभा में भी चिल्लाया हूं; अगर यह बात गलत थी तो दोषी को सज़ा मिले, नहीं तो सरकार न्याय करे। जिस विधान सभा में जो मुद्दे उठाये, उन पर भी अगर न्याय नहीं मिलेगा तो वह गांव का व्यक्ति जाएगा तो कहां जाएगा?

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी, अच्छा हो कि सारे सिस्टम को सुधारने के लिए आप कठोर से कठोर कानून लाओ और कानून ऐसा लाओ जिससे जन-प्रतिनिधि भी सुधरें, जन-प्रतिनिधि उसके दायरे में आएं, मुख्य मंत्री जी आएं, एमएलए भी आएं, तमाम लोग दायरे में आएं और ब्यूरोक्रेसी भी दायरे में आए।

आज हाल क्या है, इस लोकायुक्त की रिपोर्ट को देखें। कर्नाटक में लोकायुक्त की रिपोर्ट पर कांग्रेस के नेताओं ने कहा, मुख्य मंत्री ने रिजाइन कर दिया। लोकायुक्त की रिपोर्ट का कहा कि एक आई ए एस अफसर ने एक लाख घूस लेकर काम किया, क्या हुआ? अगर यही लोकायुक्त की रिपोर्ट मुख्य मंत्री के खिलाफ आ जाती तो हम कहते, मुख्य मंत्रीजी आज त्यागपत्र दें लेकिन एक अधिकारी के खिलाफ है इसलिए लोकायुक्त रिपोर्ट पर एग्जीक्यूशन नहीं, कितने समय से एग्जीक्यूशन नहीं। लोकायुक्त की रिपोर्ट पर एग्जीक्यूशन नहीं, ए सी डी की जांच पर एग्जीक्यूशन नहीं, सी वी सी के अन्दर कोई मुकदमा नहीं, कौनसी जांच कराकर भ्रष्टाचार को रोकोगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री बता तो दें कि मैंने ढाई साल के अन्दर जो बातें सदन के बाहर कहीं, जो सदन के अन्दर कहीं, उनमें इन-इन बातों का एग्जीक्यूशन किया।

अगर राजा यह कहे कि मेरी प्रजा का व्यक्ति वेंटिलेटर पर पड़ा है लोग वसूल करते रहते हैं; अगर राजा यह कहे कि मेरे यहां दलाल होते हैं; राजा के मंत्री यह कहें कि भ्रष्टाचार चरम पर है; कौन से राज की बात करूं? कौन सा इकबाल आएगा? अगर यह राजा कह दे कि मेरा कारिंदा चोर है, उस राजा को एक दिन भी सत्ता पर रहने का अधिकार नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान की विधान सभा है जिसमें अगर मंत्री असहाय हो जाएं, मुख्य मंत्री असहाय हो जाए तो कौनसा राज चलाना चाहते हो? यह

(श्री ओम बिरला)

लालबत्तियों पर बैठकर एयरकंडिशंड रूम में जब जनता देखती है न कि बड़े-बड़े बंगले, गांव से थैला लटकाकर आता है तो देखता है, यह बड़ा बंगला मंत्री जी ऐश कर रहे हैं तो जनता दुःख पाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सिस्टम को सुधारो, सिस्टम के लिए कानून लाओ। भ्रष्टाचार पर बहस से कुछ नहीं होगा, सिस्टम पर कानून पर सरकार बिल लाएं, विधेयक लाएं, यह लोक सेवा गारंटी विधेयक जैसे कई विधेयक आ जाएंगे; ऐसा विधेयक लाओ, ऐसा कानून लाओ कि हिन्दुस्तान की जनता देखे कि राजस्थान की विधान सभा में ऐसा कानून लाए हैं जिससे करप्शन बाटम से लेकर ऊपर तक खतम होगा तब जाकर इस बहस का नतीजा निकलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): कुछ सुझाव तो दे देते थोड़े-बहुत।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): सुझाव दे दिये न। आपके ढाई सालों में मुख्य मंत्री ने क्या किया? जो सदन के बाहर बोले, सदन के अन्दर बोले, एक पर भी एग्जीक्यूशन किया हो तो बोलो? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री अलाउद्दीन आजाद। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): रिपोर्ट बोलो ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री अलाउद्दीन आजाद। (व्यवधान)

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): आपके मुख्य मंत्री ने किया, वह काम नहीं किया।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): आप तो चोर हैं, तुम्हारा काम है पकड़ने का। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है। ......(व्यवधान)......

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): ×××

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): ×××

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): माननीय अध्यक्ष जी, आज पूरे मुल्क में भ्रष्टाचार के संबंध में एक तूफान सा आया हुआ है और अन्ना हजारे जी ने जो भ्रष्टाचार का मामला उठाया, उससे एक नई जाग्रति पूरे देश में पैदा हुई है। यह क्यों हुई? यह इसलिए हुआ कि जब आजादी आई, आजादी आने के पहले इतना भ्रष्टाचार नहीं था, अभी मेरे साथियों ने बताया, और आजादी के बाद में जो लोग आए उन्होंने भ्रष्टाचार को ज्यों का त्यों आगे बढ़ाया। एक साल आजादी आने के बाद दूसरे ही साल जब 15 अगस्त, 1948 का दिन मनाया गया, जो लोग आजादी से खुश नहीं थे, उन्होंने पूरे नारे लगाये कि – ''यह आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है'' ''मांग रहा है हिन्दुस्तान, रोटी, कपड़ा और मकान।'' आज 60 साल के हिसाब से इन जो-जो पाइंट्स पर वर्तमान सरकार ने 60 साल में काम किये, पूरे विश्व को उसका इतिहास याद है। दूसरे लोग उसी साल नारे लगा रहे थे, जब मैं आठवीं क्लास का विद्यार्थी था और जुलूस में था, एक साल बाद ही वे कह रहे थे ''जिसने मां का शीश कटाया वह सरकार निकम्मी है, गौ-माता पर छुरी चलाती वह सरकार निकम्मी है।'' एक साल के बाद में ही आजादी में दो तरह के लोग इकट्ठे हो गये और उन्होंने धर्म के आधार पर यह बात करनी चालू कर दी। आज पूरे मुल्क में यह सही है कि यह नासूर है, यह भ्रष्टाचार का कैंसर चारों तरफ फैल गया है और हर बच्चा, गरीब से लेकर छोटे से बड़ा आदमी, सब इससे त्रस्त है, मगर आप क्या मेसेज देना चाहते हैं? आप वे लोग जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार के कीर्तिमान स्थापित किये, वे आज यहां पर सदन में ऊंचे हाथ करके बात कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को रोको, सख्त से सख्त कानून बनाओ। सख्त से सख्त सैकड़ों कानून बनाये हुए हैं, ए सी बी में पकड़ने का कानून बनाया हुआ है, आई पी सी और सी आर पी सी हैं, और भी 50 तरह के कानून हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप इस बात से इंकार कर रहे हैं क्या? आज इंकार कर रहे हैं क्या? (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आप जब बोले तो कोई इंटरवेंशन नहीं था।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): आज आप जो इतने ऊंचे होकर बोल रहे हैं, आपकी औकात आपकी जनता, आपके क्षेत्र के लोग सब

(श्री अलाउद्दीन आजाद)

जानते हैं। एक-एक आदमी जो यहां पर बोलकर के बड़ी-बड़ी आदर्शवादी बात कर रहे हैं और महाराजा हरिश्चन्द्र बन रहे हैं, आपकी औकात भगवान भी जानता है और जनता-जनार्दन भी जानती है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी थी, आपने यह व्यवस्था दी थी कि कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगायेगा।

श्री अध्यक्ष: सदन की बैठक सोमवार, 29 अगस्त, 2011 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 16.32 बजे सोमवार, दिनांक 29 अगस्त, 2011 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)